



KMRC

KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED



ANNUAL REPORT
2023-2024

CONTENTS

1.	Board of Directors	...	03
2.	Notice of Annual General Meeting	...	04-06
3.	Report of the Board of Directors	...	07-28
4.	Report on Corporate Governance	...	29-32
5.	Management Discussion and Analysis Report	...	33-35
6.	Certificate of D. Raut & Associates	...	36
7.	Secretarial Audit Report of D. Raut & Associates	...	37-39
8.	Comments of Comptroller and Auditor General of India	...	41-43
9.	Auditor's Report	...	44-55
10.	Annual Accounts	...	57-84



CORPORATE INFORMATION

Company Secretary

Smt. Mohua Datta Gupta

Registered Office

KMRCL Bhavan (HRBC Office Compound)
Munshi Premchand Sarani, Kolkata - 700021
Tel No.: 033 2213 4345
Fax No.: 033-2213 4380
Website: www.kmrc.in

Statutory Auditors

Raj Kuamr Kothari & Co.
Chartered Accountants
32, Ezra Street, Suite No. 403, 4th Floor
Kolkata - 700 001

Secretarial Auditors

D. Raut & Associates
Company Secretaries
2A, Ganesh Chandra Avenue
Commerce House, 8th Floor
Room No. 7A
Kolkata - 700 001

Internal Auditors

Ghosh Basu & Associates
Chartered Accountants
33B, Market Street
Kolkata-700 071

Bankers

State Bank of India, Kolkata Main Branch, Kolkata
Union Bank of India, Dharamtalla Branch, Kolkata
HDFC Bank, Stephen House Branch
UCO Bank, Hastings Branch
Central Bank of India, Camac Street Branch
Punjab National Bank, High Court Branch

BOARD OF DIRECTORS

01.	Shri P. U. K. Reddy	<i>Chairman (from 17.03.2023)</i>
02.	Shri H. N. Jaiswal	<i>Managing Director (till 31.05.2023)</i>
03.	Shri V. K. Srivastava	<i>Managing Director (from 01.06.2023)</i>
04.	Syed Md. Jamil Ahsan	<i>Director (Projects & Planning) (from 20.02.2023)</i>
05.	Shri Asim Kumar Majumdar	<i>Director (RS&T) (from 01.06.2023)</i>
06.	Shri Angshuman Sarkar	<i>Director (Finance) (till 01.02.2024)</i>
07.	Smt. Ambika Jain	<i>Director (Finance) (from 02.02.2024)</i>
08.	Shri Nagsen Moreshwar Dhole	<i>Director</i>
09.	Shri Dhananjaya Singh	<i>Director (from 27.05.2021)</i>
10.	Shri Jaideep	<i>Director (from 29.06.2020)</i>
11.	Shri Sanjeet	<i>Director (from 01.05.2023)</i>
12.	Dr. Saumitra Mohan, IAS	<i>Director (from 18.02.2023)</i>

NOTICE

NOTICE

SHORT NOTICE FOR THE 16TH ANNUAL GENERAL MEETING

Shorter Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, 30th September, 2024 at 03:30 P.M. through Video Conferencing ("VC") to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements (including the Cash Flow Statement and Statement of Change in Equity) of the Company for the year ended 31st March, 2024 together with the Reports of the Board of Directors and the Independent Auditors as also the Comments of Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To take note of the appointment of the Statutory Auditor of the Company appointed by Comptroller and Auditor General of India and to authorise the Board of Directors to fix the remuneration of the Statutory Auditor for the financial year 2024-25 and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT members be and hereby take note of the appointment of the Statutory Auditor of the Company for the financial year 2024-25, by the Comptroller and Auditor General of India and authorize the Board of Directors to fix the remuneration including out-of-pocket expenses based on a recommendation of the Audit Committee."

SPECIAL BUSINESS

3. To consider appointment of Smt. Ambika Jain. IRAS as Director (Finance) of the Company as an additional charge in addition to her own as PFA/Metro Railway Kolkata and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Ordinary Resolution:

"RESOLVED, that pursuant to Section 152(2) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the consent of the Company be and is hereby accorded to the appointment of Smt. Ambika Jain. IRAS as Director (Finance) of the Company as an additional charge in addition to her own as PFA/Metro Railway/Kolkata with effect from the date of assumption of charge till completion of the Project or until further order, whichever is earlier.

RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to sign all such documents as may be necessary, expedient and incidental thereto to give effect to this resolution."

By order of the Board of Directors
For **Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.**

Place: Kolkata
30th September, 2024

Sd/-
Mohua Datta Gupta
Company Secretary

Notes:

1. General Circular No. 09/2023 dated 25.09.2023 MCA has extended the time period for holding of AGM/ EGM or passing of Ordinary / Special Resolution through "**Video Conferencing**" till **30th September 2024**. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and MCA Circulars, the 16th AGM of the Company is being held through VC/OAVM.
2. Pursuant to the provisions of the Act, generally a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself. The proxy need not be a member of the Company. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM.

3. The statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 relating to the item of special business is annexed and forms part of the notice.
4. The meeting is being held by shorter notice.
5. Since the AGM is held through VC/OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.
6. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 in respect of the item of special business set out in the Notice convening the 16th Annual General Meeting to be held on 30th September, 2024

SPECIAL BUSINESS ITEM

Item No. 3

Government of India, Ministry of Railways (Railway Board) *vide* Order No. 2021/E(O)II/40/4 dated 05.02.2024 conveyed appointment of Smt Ambika Jain. IRAS as Director (Finance) of the Company as an additional charge in addition to her own as PFA/Metro Railway/Kolkata with effect from 02.02.2024 and till the completion of the Project or until further order, whichever is earlier.

Smt Ambika Jain assumed charge from 02.02.2024.

The ordinary resolution set out under item no. 3 of the Notice is intended for the purpose. Smt Ambika Jain may be deemed to be concerned or interested in the resolution. No other Director, Key Managerial Personnel or their relatives is concerned or interested financially or otherwise in the Resolution.

Copy of the aforesaid letter of Ministry of Railways (Railway Board) is available for inspection of Members at the Registered Office of the Company during business hours upto the date of the meeting and will also be available at the meeting.

By order of the Board of Directors
For **Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.**

Place: Kolkata
30th September, 2024

Sd/-
Mohua Datta Gupta
Company Secretary

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Note : This page has been kept blank intentionally

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is pleased to present its 16th Annual Report together with the audited financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2024, Report of the Statutory Auditors and Comments of the Comptroller and Auditor-General of India.

Financial highlights

During the year under report, the Company continued to be engaged in implementing the 'East West Metro Corridor' Project - a rail based mass rapid transit system connecting Salt Lake Sector V in the east to Howrah Maidan in the west covering a distance of 16.55 kilometres - out of which 5.74 kilometres is elevated portion and 10.81 kilometres underground corridor.

Profit/(Loss) after Tax as per 'Statement of Profit and Loss' forming part of the financial statements for the year ended 31st March, 2024 amounting to (Rs.1,00,920/-) has been adjusted against 'Reserves & Surplus' under the head 'Other Equity' in the Balance Sheet on that date.

The Company had no subsidiary, associate or joint venture company during the year under report.

Status of the Project

Kolkata Metro Rail Corporation Ltd. ('KMRL') was formed in July'2008 as a joint venture company of Government of India and Government of West Bengal with equal (50:50) equity participation for execution of EAST WEST METRO Corridor in Kolkata. Later, as stated in earlier Reports, Government of India had decided on 23rd August, 2012 that the 'East West Metro Project' be transferred to Ministry of Railways (hereafter 'MoR') and executed as a Central Sector Project. As per the decision, MoR will hold 74% equity of the Company and Ministry of Urban Development balance 26%. All shares held in the Company by Government of West Bengal ('GoWB') were thereafter transferred to MoR. Ministry of Urban Development has since been renamed as Ministry of Housing and Urban Affairs (hereafter 'MoHUA').

Hon'ble Minister for Railways had announced (in August 2015) that the Project will be executed as per realigned route proposed by GoWB and all costs in this regard will be borne by Government of India.

Government of India also decided that the Company as the Project Implementation Unit would continue to function till the completion of execution of the aforesaid Project. However, Government of India will hold all the shares of the Company and after completion of the Project would run the same along with North South Corridor under a unified control. As mandated the revenue services is undertaken by Metro Railway, Kolkata who will be in charge of operation & maintenance of the system.

The unique features of this corridor are:

- 1st transportation tunnel under any mighty river in India
- Corridor connects major terminals Howrah & Sealdah having a combined footfall of 22 lakhs passengers, North - South metro line with upcoming Joka Esplanade Metro Line at Esplanade Metro Station & Interchanging facilities at Saltlake Sector-V with proposed Garia - Bimanbandar metro project.
- Howrah Metro Station is the deepest metro station in India
- Deepest Metro Ventilation cum Egress shaft of India at Strand Road
- Institution of Civil Engineers, UK/ICE had recognized this project among 200 global projects which had significant impacts in making people lives better.

It was elucidated in earlier reports that the Project had faced numerous land acquisition, rehabilitation related hindrances and realignment issues. All the issues are now resolved although challenges in execution still persist which are detailed in this Report.

The Project has been planned to be completed in phases. The details of commissioning of the sections in different phases are as under:

Phase	Sub Phase	Section	Length	Date of commissioning
Phase-I	I A	Saltlake Sector-V to Salt Lake Stadium	5.30 Km	14.02.2020
	I B	Salt Lake Stadium to Phoolbagan	1.67 Km	05.10.2020
	I C	Phoolbagan to Sealdah	2.33 Km	14.07.2022
Phase-II	II A	Howrah Maidan to Esplanade	4.80 Km	15.03.2024
	II B	Esplanade to Sealdah	2.45 Km	Planned in March'2025

Out of 16.55 KM of the corridor, 14.10 Km from Salt Lake Sector-V to Sealdah [9.30 Km] & Howrah Maidan to Esplanade [4.80 Km] has already been opened for the public. Balance 2.45 Km of Underground Section between Esplanade & Sealdah has been planned for completion in the month of March'2025.

Main Reasons for delay in construction:

The main reasons for delay in completion of the project are due to following:

- (i) The realignment of the route due to problem of land availability, traffic block and better connectivity was proposed by Government of West Bengal in 2012 and finally settled in Aug'2015. Pending finalization of realignment issues the part of the Project remained suspended (Underground section between Howrah Maidan to Esplanade).
- (ii) NOC from Ministry of Defence [Clearance in Mar'2017] for Esplanade
- (iii) NOC from Archaeological Survey of India [Clearance in Jun'2017] for Mahakaran
- (iv) Impact of Pandemic of Covid 19
- (v) Three major construction eventualities occurred on 31.08.2019, 11.05.2022 & 14.10.2022 in Bowbazar area.
 - (a) Tunnel inundation in WB tunnel between Sealdah - Esplanade section at Bowbazar area on 31.08.2019 - Severe ingress of water mixed with soil inside the Tunnel Boring Machine when the TBM was passing below dense built-up locality at Bowbazar [West Bound- TBM1] which resulted considerable surface settlement and endangered some buildings in the influence zone of the tunnel.
 - (b) Water ingress with soil in Retrieval shaft area at Bowbazar on 11.05.2022 during construction of Base slab of cast in situ RCC box.
 - (c) Water ingress with soil in Cross Passage work (CP-2) at Bowbazar on 14.10.2022

Cost & Time over-run

The Project cost has increased due to additional expenditure involved in implementation of the Project due to re-alignment of the route, increase in footprint area of three major stations i.e. Howrah, Esplanade & Sealdah, price escalation due to additional time, change in market dynamics in the Metro sector and due to delay in execution and fluctuation of Indian currency in international market, etc. The Company submitted a revised Project cost amounting to Rs. 8996.96 crore to MoR in year 2015-16. After review by a committee appointed by Prime Minister's Office, the same is pruned down to Rs. 8574.98 crore (against sanctioned cost of Rs. 4874.58 crore) which has been approved vide Railway Board's order dated 22-10-2020. The sanctioned Revised Cost Estimate had following basis:-

- (i) The price level for revised cost estimate was December, 2017.
- (ii) The Price Variation paid upto December, 2017 was in-built in the RCE and projected PVC upto December, 2020 was captured.
- (iii) The project completion was taken as June, 2021.

Due to the reasons mentioned above, there is time over run of about four years with respect to what was projected in sanctioned revised cost estimate. The proposed revised cost estimate (RCE-2) has increased due to time over run due to price variation, increase in Taxes, Difference in cost of State and Central wages, variation, change in scope of

work, prolongation of Project Management Consultancy (PMC) & fluctuation of Indian currency in international market etc. The Company has submitted a proposed Revised Cost Estimate [RCE-2] amounting to Rs. 10,442.41 Crores to MoR& the said proposed Revised Cost Estimate [RCE-2] is under consideration of MoHUA and MoR.

Major achievements during 2023-2024 and after March, 2024

Achievement during 2023-2024:

The Phase-IIA of 4.80 Km length from Howrah Maidan to Esplanade was inspected by Commissioner of Railway Safety on 05.02.2024 & 06.02.2024 and Authorisation for opening was received on 12.02.2024. The section between Howrah Maidan to Esplanade (4.80Km) has been commissioned since 15.03.2024 after inauguration of the section by Hon'ble Prime Minister of India on 06.03.2024.

The connection of the corridor for the twin cities of Howrah & Kolkata Station was a major landmark in the financial year 2023-2024. Thesetwocities have beenconnected through tunnel undertheriverHooghly through train communication.Itisanengineeringmarvelasforthefirsttimeinourcountry,Metro train is plyingundermighty river Hooghly since 15.03.2024.

● Underground Corridor civil works [Howrah Maidan to Esplanade]:

- The tunnelling part of underground corridor comprises of twin tunnels being implemented by 'Tunnel Boring' method using precast concrete segmental tunnel liners. There are 4 underground stations in Phase-II has been executed by 'cut & cover' method using diaphragm walls as retaining system. Civil work of all four underground stations [Howrah Maidan, Howrah, Mahakaran& Esplanade] has been completed except two openings at East end of Esplanade station has been kept for the logistics supports for the execution of works in Esplanade & Sealdah section.

- The summary of tunnelling activity in Phase-II are:

Contract Package	Stretch	Tunnel	Tunneling length (Metre)	Tunneling completed (Metre)	% Completion
UG/2	Esplanade to Sealdah	East Bound	4892	4892	100
		West Bound	4892	4886	99.87*
UG/1	Howrah Maidan to Esplanade	East Bound	7,600	7600	100
		West Bound	7600	7600	100

*Only 38m length is balance in which retrieval shaft to connect West Bound Circular tunnel at BowBazar Area where water ingress had happened in TBM in Aug'2019. 32 m length of Cast In Situ Box Tunnel has been completed and balance 6m opening will be closed in West Bound Tunnel after completion of Track Work and other system works in West Bound Tunnel.

- All four UG Stations are commissioned. System works, Entry structure & architectural finishing works in all 4 UG Stations in Phase-IIA are completed except two openings in Esplanade station which are being used as access for balance work of retrofitting of damaged Tunnel , track and system works in the Tunnels between Esplanade and Sealdah, which is targeted to be completed by February 2025.

- The intermediate emergency evacuation-cum-ventilation shaft at Strand Road (In between Howrah and Mahakaran station) along with the adit connections including system works has been completed & commissioned.

● Track work

Entire Head Hardened Rails for ballast-less track for Phase-I & Phase-II have been procured from abroad. The work of track linking from Howrah Maidan to Esplanade in East Bound & West Bound Tunnel has been completed & commissioned [Phase-IIA]. Track works from Esplanade to Sealdah is also completed for interchanging of rakes from Central Park Depot to Howrah Maidan & vice versa. Part of the Track work in west Bound Tunnel between Sealdah and Bowbazar for approx 2.00 Km is also completed. Balance length of 0.45 Km is still left for execution in West Bound Tunnel from Sealdah to Esplanade.



● **Rolling Stock**

The tender for supply, manufacturing and testing of 14 rakes. each of 6 car formation, was awarded to BEMIL Ltd. in 2015-16 at a total cost of INR 899.91 crore. Thus, cost per car without taxes works out to be INR 9.38 crore. All the 14 rakes have been delivered. The additional 3 rakes i.e. 15,16 and 17 have been ordered to BEMIL Ltd. Additional 03 rakes will arrive in Kolkata between 30.09.2024 and 31.12.2024.

● **Power Supply**

Power supply work for entire corridor is entrusted with Siemens Ltd. Power supply work has been completed between Howrah Maidan to Esplanade Section including all four underground stations and also between Sealdah to Sector -V section, which includes 2 underground & 6 elevated stations. The power supply work is held up in tunnel section between Esplanade and Sealdah due to no access available at present.

● **Escalators and elevators**

All lifts & escalators in Phase-I. have already been commissioned and certified by Lift Inspector. All Lifts and escalators in Phase-II have been commissioned and certified by Lift Inspector.

● **Tunnel Ventilation System('TVS')**

TVS shall provide a means to control smoke flow and ensure safe evacuation of passengers in case of fire as well as maintain an acceptable environment in the tunnel and station track way during congestion. The work of TVS for entire corridor has been awarded to M/s.UMPESL.

TVS works are completed in Ph-I & Ph-II and commercial operation already started except Mode Testing between Esplanade East to Sealdah West.

● **Signalling, Telecom and Automatic Fare Collection(AFC) works**

The installation of Communication Based Train Control(CBTC) system is being done by M/s.. HSTS for the whole East-West Metro corridor. AFC work has been awarded to M/s. Indra Sistemas SA, Spain. The Phase I part of the work for Sector-V to Sealdah (except West Bound PF of Sealdah) had already been completed and opened for passenger operations earlier on 14th July'2022. Signalling& Telecom works of four stations of Phase 2A, i.e. Howrah Maidan, Howrah Metro, Mahakaran and Esplanade have been completed and revenue services started on 15.3.2024. The work in the section between Esplanade & Sealdah is in progress and S&T installation likely to be completed by January'2025.

The AFC work for all stations under East-West Metro Project has been completed and commissioned for revenue operations.

● **E&M works in Underground section.**

The E&M Work of Ph-I is commissioned. E&M work for Ph-II from Howrah Maidan to Esplanade has been commissioned, however, some minor defects & deficiencies rectification works are in progress. The work of tunnelling from Esplanade to Sealdah including egress shaft work is in progress and all electrical works are being synchronized with the civil engineering works.

● **Environmental Control System('ECS') work**

The work of ECS system for Phase-II underground stations from Howrah Maidan to Esplanade has been commissioned and in operation. However, some minor defects & deficiencies rectification works are being done for betterment.

● **Platform Screen Doors(PSDs) Platform Screen Gates (PSGs)**

PSD work for 6 underground stations and PSG(half-height platform screen gates) work for 6 elevated stations has been awarded to M/s. CRRC.

Half Height PSG has been commissioned in all the 6(six) elevated stations in Feb'2020.

Full Height PSD system has been installed & commissioned in all the 6(six) undergroundstations. However, integration of PSDs with signalling is pending at Sealdah (WestPlatform) .

Rehabilitation efforts of the Company

The demolished buildings shall be reconstructed and the repairable buildings shall be structurally repaired and structural health thereof will be verified by experts. As the outstay of the shifted residents in these two categories of buildings is considerable, furnished residential flats have been arranged for them by the company at present**.

**The contract has been awarded on 'Design and Build' basis and lump sum cost. Therefore, there should not be any impact on the Company due to this incident as this is within contractual obligation. ITD ITD Cem JV has gone for arbitration in connection with Bow Bazar Tunnel water ingress incident. The AT award has been given in favour of ITD-ITD Cem JV. However, the company has challenged the said award under section 34 of Arbitration & Conciliation Act'1996 in Hon'ble high Court.

EFFECTS OF BOWBAZAR INCIDENTS AT A GLANCE					
Category	Particulars	1 st Incident 31.08.2019	2 nd Incident 11.05.2022	3 rd Incident 14.10.2022	Total
People	People evacuated from Buildings	710	154	192	1056
	People shifted to Hotel	693	154	192	1039
	People re-instated after repair	406	144	192	742
	People rehabilitated at alternative accommodation.(Flats)	298	10	0	308
	Compensation made to families (One time)	202	0	27	229
	No. of Flats (Rented) provided after the incident	71	32	1	104
	No. of Flats (Rented) provided as on date	70	4	0	74
Buildings	Affected Buildings	72	9	12	93
	Buildings Demolished	23	2	0	25
	Buildings repaired	39	7	12	58
	Buildings under observations	10	0	0	10
Shops	Shops affected	81	21	30	132
	Shop owners compensated (one time)	77	16	28	121
	Shops repaired & rehabilitated	0	19	30	49
	Alternative Shops / rented shops provided	32	2	0	34

Timeline for completing the balance section from Esplande to Sealdah (Phase-II B):-

Due to three water ingress incidents in west bound tunnel at Bowbazar area, resulted in major changes in construction works sequences in testing saturated soil condition having technical challenges which was not emphasized earlier. These are:

A. 1st Incident dated 31.08.2019:

- Shaft for retrieving TBM had to be constructed at incident location in West Bound Tunnel
- Retrofitting of distressed tunnel liner by Steel Liner and Peripheral grouting in West Bound Tunnel [Spot-1]

B. 2nd Incident dated 11.05.2022:

- Construction of base slab & cast insitu tunnel
- Closure of Opening at Retrieval shaft, Bowbazar

C. 3rd Incident dated 14.10.2022:

- Closure of Cross Passage no. -2 in West Bound

- b) Retrofitting of distressed tunnel liner by Steel Liner and Peripheral grouting in East Bound [spot-3]& West Bound Tunnel [Spot-4] at Cross passage -2 locations

D. Other construction work:

- a) Egress Shaft has been introduced for NBC Compliance, in lieu of Cross Passage [CP-1, 2 and 3] due to similar geology & Retrofitting in East Bound tunnel at Egress shaft location [Spot-2]
- b) Omission of Intermediate Ventilation Shaft at Subodh Mallick Square
- c) Relocation of Cross passage [CP-5B].
- d) Shifting of Drainage Arrangement from CP-3 location to Egress Shaft
- e) Reconstruction of demolished building

Overcoming Constraints for the balance critical work having technical challenging works between Sealdah and Esplanade :

Completing Critical works in Sealdah – Esplanade [2.45 Km] has an impact on Commissioning of Phase-IIB For executing the balance critical works having technical challenges, the company has engaged Foreign Expert for providing technical guidance to complete the balance critical works between Sealdah and Esplanade tunnel section for the following critical works, majority of which has been completed after March'2023. The present statuses of critical works are as follows:

1. Construction of One cross passages CP 5B connecting east bound and west bound tunnels has been completed.
2. Construction of Egress Arrangement at Bowbazar Retrieval Shaft location is under progress by eliminating three Cross passages (CP1, CP2 & CP3).
3. Construction of IV shaft at Subodh Mallick Square with individual connections of ventilation adits to both the tunnels has been eliminated by operating the both fans [Supply & Exhaust fans] at Sealdah& Esplanade.
4. Completion of the box tunnel of 38 mtrs. length inside the retrieval shaft and closure of the retrieval shaft.32m of box tunnel is completed .
5. Retrofitting of Tunnel Section at Retrieval shaft at Bowbazar (Spot 1) in West Bound Tunnel has been completed.
6. Closure of cross passage (CP2) has been completed.
7. Retrofitting of Tunnel Section near CP-2 location in East Bound Tunnel (Spot 3) and West Bound Tunnel (Spot 4) is in progress.
8. Retrofitting of Tunnel Section in East Bound Tunnel adjacent to Egress Shaft (Spot 2) shall be taken up after completion of retrofitting works of CP-2 locations in East Bound.

Resettlement and Rehabilitation

The Company has a well-defined resettlement and rehabilitation policy for the welfare of Project affected persons whose number was estimated at 677 along the original alignment. However, this figure has significantly reduced as there will be no requirement of rehabilitation at new Mahakaran and Esplanade station areas on revised alignment. Presently there is no bottleneck related to rehabilitation issues in this Project.

Major rehabilitation of the Project affected persons have been done in following locations:

- Shree Market complex (comprising 129 shops) in Howrah Maidan area
- Shifting 7 nos. commercial shops in front of erstwhile Bangabasi theatre in Howrah Maidan area
- Shifting 30 nos. temporary shops at Phoolbagan out of which 18 have been permanently shifted back to erstwhile location
- Rehabilitation of 63 nos. KMC sweepers' quarters at Swabhumi by permanent rehabilitation flats
- Rehabilitating 80 families in Duttabad settlement by permanent rehabilitation flats.

Environmental issues

A project of the size of 'East-West Metro' passing through the most densely populated areas of Kolkata is having huge environmental challenges. The Company factored this challenge in its planning since inception of the Project.

Both the original Project as well as revised proposal was cleared from environmental criteria by West Bengal Pollution Control Board as well as Environment Department of GoWB. The Company is strictly implementing the Environmental Management Plan as indicated in the EIA study report.

The stations are being executed complying norms of Indian Green Building Council as far as practicable. The Depot is designed as green depot with silver rating of LEED.

The 'East-West Metro' Project values preservation of the environment and minimising adverse impact on the greenery. About 1,335 trees have been removed for execution of the Project. All these trees have been identified with the representative of the local municipality which owned these trees and 6,900 trees have been planted in replacement at a total cost of Rs. 45.61 lakh.

International recognition

Considering significant impacts in making people's life better, the 'East-West Metro' Project has been selected as one of the best 200 projects worldwide by Institution of Civil Engineering, UK (a renowned global engineering forum). This is considered to be a remarkable feat.

Conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings & outgo

The Company has initiated various energy conservation measures at the design stage to ensure optimal use and also selecting appropriate technology for various systems. However, the detailed measures are as under :

A) Conservation of Energy -

- (i) the steps taken or impact on conservation of energy.
 - LED-type lighting has been envisaged in the stations and in train coaches.
 - Provision of Platform Screen Doors in underground stations, which would reduce air conditioning requirement substantially and thereby reduce consumption of non-traction energy.
 - Rolling stock planned to be procured for the Project envisages regenerative braking- so that power is generated at the time of braking, which would be consumed by other powering trains running in the system.
- (ii) Elevated station architecture kept in such a way to use natural lights in day time to the extent possible. Use of polycarbonate sheets on elevated stations has been given a fillip to reduce carbon footprint.
- (iii) High COP- type air-conditioning units have been envisaged for underground stations along with energy management system so as to optimize use of chillers, cooling towers, pumps, etc.
- (iv) The steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy.

Large banks of solar cells shall be provided at the Maintenance Depot to generate energy for internal consumption. Depot layout has been kept in such a way so as to use natural lights to the extent possible.
- (v) The capital investment on energy conservation equipment.

This will be quantified at an appropriate stage of the Project

(B) Technology absorption -

- (i) The efforts made towards technology absorption:

The mandate of the Company is to implement the Project. Efforts shall be made in procurement stage to explore the possibility of technology absorption.
- (ii) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution:

The benefits derived shall be detailed at appropriate stage in future.



Improved Opportunities for Economic Development –

This project will provide easy access to existing commercial and institutional areas, as well as encouraging similar development above the stations and along the corridor through management of growth in the form of Transit Oriented Development. The Project is an effort to mitigate ever growing transportation demand in Kolkata and its surrounding and it will substantially reduce traffic congestion and environmental pollution in Kolkata. This line shall also have interchange facilities with upcoming Joka Esplanade Metro Line at Esplanade as per revised alignment. Interchange facilities will be also be provided at Sealdah and Howrah Stations with Eastern Railway as well as major bus terminal at Esplanade. The completion of the new East West Line will promote regional economic growth and improve urban environment by mitigating traffic congestion and air pollution.

Benefits of East West Metro Project:

Kolkata East West Metro Project itself is a modern, safe, eco-friendly mass transportation system which will eradicate the vehicular pollution, traffic congestion and road accidents in the city of Kolkata and surrounding urban areas to a great extent. It will boost up the mass transport scenario of the region providing a fast river communication for the twin cities of Howrah and Kolkata. It is estimated that about 7,5 lakhs people will use this system daily in year 2035. Proper Environmental Impact Assessment [EIA] was done for the project at the inception stage and compliance against the statutory environmental norms has been religiously implemented.

Major environmental and social impacts would occur during project implementation (e.g. involuntary resettlement, poverty reduction, impacts on the natural environment).

Congestion Mitigation – Taking the existing trips to the city core (Mahakaran and Central) from the major transport hubs (Sealdah and Howrah) and residential area (Salt Lake City and future Rajarhat New Town).

Safety and Security – Provision of platform screen doors and state of the art signaling system for the passengers.

Improved Air Quality and reducing sound pollutions – reducing bus trips and catering to increased trip demand as well as providing a better transport system for people to switch over from cars and taxis.

Improved Quality of Life – adding to the quality of life through pleasant and seamless journey experience with near 100% time efficiency, reducing stress, air pollution and noise and traffic nuisance. Even the depot for train stabling and maintenance will be design and built following the principles of eco-friendly and sustainable design.

Financial outlay

The revised budgeted allocation of MoR for the Company for 2023-24 was Rs. 600.00 crore. During the year under report, MoR released Rs. 300.00 crore towards Subordinate Debt and Rs.200.00 crore towards Pass through Assistance.

Share Capital

The authorised share capital of the Company for the time being is Rs. 3758.62 crore.

As on 31st March, 2024, the issued, subscribed and paid-up capital remained at Rs. 3758.62 crores. Equity holding of the Ministry of Railways (including shares transferred by the Government of West Bengal) in the Company was Rs. 2781.37 crore (74%) while that of the Ministry of Housing and Urban Affairs was Rs. 977.24 crores (26%).

Deposits

During the year under report, the Company did not invite deposits from public under Section 73 of the Companies Act, 2013.

Particulars of loans, investments and guarantee during the year under review

The Company has not

- a) given any loan to any person or other body corporate
- b) given any guarantee or provided security in connection with any loan to any other body corporate or person; and

- c) acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Subsidiary, Associate and Joint Venture Company

The Company had no subsidiary, associate or joint venture company during the year under report.

Audit Committee

The Audit Committee of the Company constituted by the Board comprised of the following Directors during 2023-24:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|
| 1. Shri Nagsen Moreshwar Dhoke | (Non-executive) | : Chairman |
| 2. Shri Jaideep | (Non-executive) | : Member |
| 3. Shri Dhananjaya Singh | (Non-executive) | : Member |

During financial year ended 31.03.2024, the Committee met 4 (four) times – on 03.07.2023, 19.09.2023, 08.12.2023 and 21.03.2024.

Internal Auditors

Ghosh Basu & Associates, Chartered Accountants have been appointed Internal Auditors of the Company for 2023-24. The Audit Committee has reviewed functioning of the Internal Auditors and their periodic reports.

Statutory Auditors

Comptroller and Auditor General of India have appointed Raj Kumar Kothari & Co., Chartered Accountants, Kolkata – 700001 as Statutory Auditor of the Company under Section 139 read with Section 129 of the Companies Act, 2013 for the financial year 2023-24.

Auditors' Report

Report of the Independent (Statutory) Auditors viz. Raj Kumar Kothari & Co. on financial statements of the Company for year ended 31st March, 2024 is annexed.

Raj Kumar Kothari & Co. have audited in accordance with the standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Their responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. They are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to their audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and they have fulfilled their other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. They believe that the audit evidence they have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for their opinion. And based on the financial statements audited by them no qualified remarks have been observed. The notes on financial statements referred to in the Auditor's Report are self explanatory and do not call for any further comments. There are no specifications, reservations, adverse remarks on disclosure by the statutory auditors in their report. They have not reported any incident of fraud to the Audit Committee of the Company during the year under review.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE ACCOUNTS OF KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024.

Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the financial statements for the year ended 31st March, 2024 under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 are also annexed.

CAG has highlighted certain significant matters as stated therein for a better understanding of the financial statements and the related audit report. Explanations thereto are given as under:

¹Against loan ID-P263 (₹ 7.19 crore) and loan ID-P295 (₹ 2.40 crore) at an exchange rate of 0.5509 INR for Japanese Yen



A. Comments on Financial Position

BALANCE SHEET

Assets-Non-Current Assets

(b) Capital Work-in-Progress-Note No.5 & 6

Pre-operative Expenditure (Pending Allocation) - Note No. 6

₹ 47.44 crore

Borrowing Cost-Note 6.1

Non-Current Financial Liabilities

(i) Borrowings-Note 14- ₹ 5,011.20 crore

- 1) The Borrowing Cost did not include ₹ 9.59 crore¹ being interest accrued on loan taken from Japan International Co-operation Agency for the period from 20 October 2023 to 31 March 2024.

This had resulted in understatement of Non-current Assets-'Pre-operative Expenditure (Pending allocation)' by ₹ 9.59 crore as well as understatement of Non Current Liabilities-Borrowings by the same amount.

The East-West Metro Corridor project is financed through JICA loan for which Ministry of Finance holds the sovereign guarantee for repayment. All disclosure in KMRC Account is purely notional and the figures are taken from CAAA (MoF) ledger. For loan tranche ID – 263 & 295, interest is calculated biannually, once on 20th, April and another on 20th, October of every year. Therefore, interest paid upto 20-10-2023 has been accounted in F.Y 2023-24. In 2022-23, interest upto 20-10-2022 was accounted and therefore, interest for the twelve months intervening period w.e.f 21-10-2022 to 20-10-2023 has been accounted for in the FY 2023-24 and this is a continuous process. And, therefore no short provisioning of interest in F.Y 2023-24.

Statutory Auditor also agrees to the Management Views that there is no understatement of borrowing cost under pre-operative expenditure as well as borrowing (non-current).

Assets-Non-Current Assets

(b) Capital Work-in-Progress -Note No.5 & 6

Other Financial Assets (Note No. 7) ₹ 253.70 crore

- 2) The Capital Work-in-Progress (CWIP) included 11.41 crore being reimbursement of State Goods and Service Tax (SGST) to two² contractors/consultants.

As per the Accounting Policy No 3.7 of the Company' reimbursement of SGST' is shown under Non-Current Assets as 'SGST receivable' with a corresponding reduction from CWIP. Therefore, the SGST receivable amounting to ₹ 11.41 crore should have been reduced from CWIP.

This had resulted in over statement of CWIP by 11.41 crore and understatement of Other Financial Assets -SGST receivable from GoWB by the same amount.

₹ 7.24 crores SGST was reimbursed to M/s Transtonnelstroy Afcons JV in F.Y 2022-23 and ₹ 4.17 crores SGST was reimbursed to General Consultant for invoices of earlier years and this reimbursement was made in F.Y 2019-20. C&AG while auditing the party wise ledgers for 2023-24 has noted these transactions and has mentioned that the transactions should be adjusted against 'Receivables from State Govt.' rather than CWIP'. Statutory Auditor also agrees to the C&AG comments on these transaction. Management assures that the ledgers will be re-adjusted in F.Y 2024-25.

This re-classification will however not impact the financials in any way, as the non-current asset is neither over or understated.

Assets - Non-Current Assets

Capital Work in progress

Pre-operative expenditure (Pending allocation)-Note 6

Other Administrative expense-Note 21.2 ₹ 123.50 crore

- 3) The above includes an amount of 31.43 crore being deposit made by the Company under the direction of High Court of Kolkata for challenging an arbitration award.

²UG-1 contractor viz M/s Transtonnelstroy Afcons JV and the General Consultant of the projects

The same should have been classified as 'Advance other than Capital Advance' instead of disclosing the same as 'Pre-Operative expenditure'. This has resulted in overstatement of 'Pre-operative expenditure (pending allocation)' and the understatement of 'Other Assets' (Non-current) to an extent of ₹ 31.43 crore.

A Cash Deposit of Rs.31,43,35,114/- was to be put in by way of a Demand Draft in f/o 'The Registrar, Original side, High Court, Calcutta' regarding an appeal made by KMRC at Kolkata High Court (case no. AP/749/2023) against the arbitration award favouring of ITD _ITD Cem JV. This was as per Hon'ble Justice order the award-debtor will secure the awarded amount of Rs.62,86,70,229/-, 50% by way of Cash and 50% by way of a Bank Guarantee. The transaction as above, is not an advance payable against any arbitral decree, it was deposited to comply the court order pending decision of the appeal.

And, that's why, it has been accounted for as 'Pre-Operative Expenditure (pending allocation)' and according to the management and the Statutory Auditor, there is no overstatement of Pre-operative expenses.

Assets-Non-Current Assets

Capital Work in Progress -Note-5

Power Supply- ₹ 347.49 crore

- 4) The above includes an amount of ₹ 14.75 crore being energy bills raised by the Company against Metro Railway for electricity charges incurred for commercial operation of the project done by Metro Railway, Kolkata. This amount should have been shown as 'receivable from Metro Railway' instead of disclosing the same as CWIP.

This has resulted in understatement of 'receivable from Metro Railway, Kolkata' by ₹ 14.75 crore and over statement of CWIP by the same amount.

KMRC is paying the Traction Energy Charges for the portion where commercial operation has been commenced and demand has been placed for reimbursement from Metro Railway. Upto March'24, the outstanding claim is ₹ 37.53 crores. In KMRC's book of accounts, ₹ 22.78 crores is under 'Receivables from Metro Railway' and earlier transactions amounting to ₹ 14.75 crores are showing under the ledger of 'Power Supply'.

However, as suggested, ₹ 14.75 crores will be shifted from the ledger 'Power Supply' to 'Receivables from Metro Railway' for consolidation.

Assets-Current Assets Financial Assets

Bank Balance Other than Cash and Cash Equivalents-Note-10

₹ 219.77 crore

- 5) The above includes fixed deposits of ₹ 31.43 crore held against a bank guarantee. As per Division-II of Schedule-III of the Companies Act, 2013 clause 6(C)(b) of the 'General instructions for preparations of financial statements of a company', 'balances with banks to the extent held as margin money or security against the borrowings, guarantees, other commitments shall be disclosed separately'.

However, the company had not separately disclosed the fixed deposits of ₹ 31.43 crore held against a bank guarantee.

In compliance to High court, Kolkata's order, Rs.62.87 crore has already been booked in the annual account in the form of a Bank Guarantee of Rs.31.43 crores, with an FD of the same amount as security and an amount of ₹ 31.43 crores paid to The Registrar, High Court, Calcutta by way of a DD. The cash outgo for the Fixed Deposit as collateral to BG and the Demand Draft has been properly accounted for. Therefore, there is no deviation in generating the cash flow statement and the Balance Sheet. However, C&AG observed that the incidence of the BG should have been mentioned as contingent liability in 'notes to accounts'. Statutory Auditor also agrees to the C&AG view although this will not affect the main account.

As observed, it will be rectified while preparing the financial statement for the year ending 31st March, 2025, and the incidence of BG will be mentioned in 'notes to the accounts' as 'Contingent Liability' till finalisation of the pending court case.

B. Comments on Accounting Policy

Notes to financial statements Accounting policies (Note 2.1)

- 6) A reference is invited to Note 2.1 'Accounting Policies' wherein it has inter-alia been stated that 'a policy has



been adopted by the management of the organisation in accordance to the guidance of Ministry of Railways to transfer the assets from Capital-work-in-progress to Fixed Assets on full completion of the project and not phase wise completion;

However, the Ministry of Railways communication (2018) stated that after completion of execution of the project, Metro Railway, Kolkata would run the East West

Metro Corridor along with the North-South Corridor under a unified control'. The Ministry of Railways communication did not specify any accounting treatment or any accounting instruction to transfer the assets from Capital-Work-in-Progress to Fixed Assets on full completion of the project.

Accordingly, the Note 2.1 is not in conformity with the guidance of the Ministry of Railways.

Railway Board's letter ref. no.2011/Proj/c/21/1 Pt.I dated 04.01.2018 states that O&M of the E-W Metro corridor will be the responsibility of the Metro Railway. Management is mentioning that the book transfer of the asset will be made after completion of the entire project.

The contention of the Management is due to –

- A. Though commercial operations have already been started from Salt Lake Sector V to Sealdah and Esplanade to Howrah Maidan, most of the major contracts awarded are for the entire stretch and cannot be segregated.
- B. Many of the assets created (primarily Rolling Stocks, Electrical and S&T assets are meant for the entire projects and these are interrelated works. Valuation of the same is possible only after completion and commissioning of the entire project.

Hence, without completion of the entire project and commencement of commercial operation of the entire stretch, the assets, duly valued, cannot be transferred to Property, Plant & Equipment from CWIP and consequently depreciation also cannot be charged. Management is mentioning the Railway Board's letter in notes to accounts regarding transfer of assets considering the intrinsic spirit of the letter.

However, C&AG observed that since explicitly not mentioned, this letter should not be referred to while submitting the financial statements. Statutory Auditor also agrees to C&AG view.

As observed, the reference to the Railway Board's letter will not be mentioned while preparing the financial statement for the year ending 31st March, 2025.

C. Contingent liabilities and Capital Commitments (to the extent not provided for)

- 7) The Company did not disclose a contingent liability in respect of award of arbitration amounting ₹ 62.87 crore which was challenged in the Calcutta High Court by the Company.

Rs. 62.87 crore has already been expended by the company in the form of a Bank Guarantee of Rs. 31.43 crores, with an FD of the same amount as security and an amount of Rs. 31.43 crores been paid to The Registrar, High Court, Calcutta by way of a DD.

Hence, disclosure of the definite amount, which has already been spent and accounted for in the current financial statement, as contingent liability does not arise.

Secretarial Audit Report

In compliance of Section 204 of the Act and the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board appointed D. Raut & Associates, Company Secretaries to undertake such audit for the financial year 2023-24.

Copy of the Report given by them dated 24th September, 2024 is also annexed.

Board of Directors

The strength of the Board for the time being is 10 (ten) Directors out of a maximum 15 (fifteen).

The Board records its sincere appreciation of the valuable services rendered by Shri H. N. Jaiswal and Shri Angshuman Sarkar during their association with the Company as Directors.

In compliance of Section 149(4) of the Companies Act, 2013 (“the Act”) read with Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company is required to have at least two “independent director” as defined by Section 2(47) of the Act on the Board for the time being. The Company had no independent director in the Board of Directors of the Company during the year under review. Request has been made to the Railway Board, Ministry of Railways for appointment of independent director.

Smt Ambika Jain, IRAS has been appointed as Director (Finance) of the Company as an additional charge in addition to her own as PFA/Metro Railway Kolkata with effect from the date of assumption of charge i.e. 02.02.2024 till completion of the Project or until further order, whichever is earlier vide Railway Board’s Order No. 2021/E(O)II/40/4 dated 31.01.2024.

In compliance of Section 152(2) of the Act, resolutions for confirming appointments of Smt Ambika Jain will be proposed at the ensuing Annual General Meeting of the Company.

Government of India, Ministry of Corporate Affairs has issued a Notification dated 5th June, 2015. In terms of the same, the provisions of Section 152(6) and 152(7) of the Act shall not apply to Government companies in which the entire paid-up share capital is held inter alia by the Central Government. In view of the same, no Director of the Company is required to retire by rotation at the ensuing Annual General Meeting.

Number of meetings of the Board

During the financial year ended 31.03.2024, the Board of Directors of the Company met 6 (six) times on 08.05.2023, 03.07.2023, 08.08.2023, 19.09.2023, 08.12.2023 and 21.03.2024.

Directors’ Responsibility Statement

In compliance of Section 134(3)(c) and Section 134(5) of the Act, the Board of Directors states that in relation to the annual accounts for the financial year 2023 -24:

- 1) the applicable accounting standards had been followed in the preparation thereof and there are no material departures;
- 2) such accounting policies as mentioned in the Notes to the Financial statements were selected and applied consistently and judgments and estimates that are reasonable and prudent had been made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of financial year and of the income and expenditure during that period;
- 3) proper and sufficient care had been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- 4) the accounts had been prepared on a ‘going concern’ basis;
- 5) proper and adequate systems had been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively;
- 6) All applicable Secretarial Standards were complied with.

Extract of the Annual Return

Extract of the Annual Return in the prescribed form as provided under Section 92(3) of the Act is annexed (Annexure-I).

Contracts or arrangements with related parties

The Company is a Central Public Sector Enterprise under administrative control of Ministry of Railways. Pursuant to Paragraphs 25 & 26 of ‘Ind AS 24’, entities over which the same government has control or joint control of, or significant influence, then the reporting entity and other entities shall be regarded as related parties. The Company has availed the exemption available for government-related entities and have made limited disclosures in the financial statements.



The entities with which the Company had significant transactions during the year include (but not limited to) Ministry of Railways and BEML.

(Rs./crore)

Nature of transaction	For the year ended	
	31st March, 2024	31st March, 2023
Government entities		
Funds received from Ministry of Railways	300.00	300.00
Funds received from Ministry of Housing and Urban Affairs	-	-
Other entities		
(a) for shifting of utilities & capital works		
Kolkata Municipal Corporation	0.005	0.02
West Bengal State Electricity Distribution Co. Ltd.	-	-
(b) for others		
BEML Ltd.	8.01	102.97
Bharat Sanchar Nigam Ltd.	0.09	0.08
Total:	308.105	403.07

Details of transactions with 'key managerial personnel' during the year are given in Note 33 of the financial statements.

Accordingly, the requirement for disclosure of related party transactions in terms of clause (h) of Section 134(3) of the Act read with Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 in 'Form AOC-2' is not applicable.

Material changes and commitments affecting the financial position of the Company

The Board of Directors confirms that there are no material changes or commitments affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year i.e. 31st March, 2024 (to which the financial statements relate) and the date of this Report.

Employees

The Company during financial year 2023-24 had no employee whether regular, on deputation or contractual who was in receipt of remuneration in excess of the limits prescribed under Rule 5(2) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

Development and implementation of a risk management policy

The Company is currently implementing the 'East West Metro Corridor' Project. Government of India has decided that the Company as the Project Implementation Unit would continue to function till the completion of execution of Project. After completion of the Project, Government of India would run the same along with North South Corridor under a unified control.

Ministry of Railways has advised that after completion of the 'East West Metro Corridor', O&M thereof would be done by Metro Railway, Kolkata.

Having regard to the above, formulating a risk management policy specific to operations of rail-based mass rapid transport system will be considered at an appropriate time in future. To cover financial risks, adequate internal control measures have been put in place [including internal audit done by an external firm of chartered accountants, in addition to regular audit by the Independent Auditor as well as supplementary audit by the Comptroller and Auditor General of India (CAG)].

Corporate Social Responsibility

The Company is in the project implementation stage. Based upon the profit for the financial year 2023-24 the Company is not required to make contribution under the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 (the Act) regarding Corporate Social Responsibility (CSR).

In compliance with the requirements of Section 135 of the Act read with applicable rules made thereunder the Company has a duly constituted CSR Committee comprising of the following Directors:

- (1) Shri Nagsen Moreshwar Dhoke, Nominee Director
- (2) Shri Jaideep, Nominee Director and
- (3) Shri Sanjeet, Nominee Director

Memorandum of Understanding

In respect of Memorandum of Understanding (MoU) for the year 2023-24, since the Company is executing a single project of construction and does not generate any revenue, the Department of Public Enterprises has directed that the Ministry of Railways may continue with an internal MoU mechanism with the Company till it is not operational and will subsequently get covered by the new MoU guidelines.

Report on Corporate Governance

The Company believes in adopting the best corporate governance practices. As required by the “Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises” issued by Department of Public Enterprises, Government of India, a report on Corporate Governance is annexed as Annexure-II. The same forms a part of this Report.

Report on Management Discussion and Analysis

Management Discussion and Analysis Report, as stipulated forms part of the Annual Report and is also annexed as Annexure-III.

Significant and material orders passed by Regulators or Courts

There is no significant or material order passed by any regulator or court or tribunal impacting the going concern status of the Company and its future operations.

Safety and wellbeing of women

The Company has in place an anti-sexual harassment policy. An ‘Internal Complaints Committee’ under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 has also been set up. All employees (including contractual) are covered under this policy. Details of complaints are as under:

- i. Number of complaints filed during the financial year – Nil
- ii. Number of complaints disposed of during the financial year – Nil
- iii. Number of complaints pending as on the end of the financial year – Nil

Acknowledgements

The Board wishes to place on record the co-operation and untiring support received in execution of the Project from the Government of India through Ministry of Railways (including Zonal Railways), Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry Finance, and the Government of West Bengal.

The Board also records its appreciation for the cooperation and support received from The Kolkata Municipal Corporation, Kolkata Metropolitan Development Authority, Kolkata Police, Bharat Sanchar Nigam Ltd., CESC Ltd., West Bengal State Electricity Distribution Corporation Ltd. and various other authorities and agencies.

The help in the form of soft loan assistance extended by Japan International Cooperation Agency (JICA) to this Project is invaluable. The Board deeply acknowledges the importance of this assistance in execution of the Project.

The Board also acknowledges and extends its sincere thanks to various national and international contractors, consultants and technical experts for their continued support and co-operation.



The Board's special appreciation and thanks are also due to the print and electronic media.

The residents, shopkeepers, pedestrians in different parts of Kolkata and Howrah where the construction activities were and are in progress are inconvenienced by the activities on site. The Board is grateful to all these persons and the citizens for bearing with these activities patiently, recognizing the potential of the Project in changing the face of urban transport in the Greater Kolkata region.

The Board wishes to place on record its appreciation for the untiring efforts, commitment, hard work and contributions made by the employees of the Company at all levels and others for implementation of the Project.

For and on behalf of the Board of Directors of
Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.

Place: Kolkata
Date: 30th September, 2024

P. U. K. Reddy
Chairman

Annexure-I

EXTRACT FROM ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on 31st March, 2024

[Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. Registration and other details :

- (i) CIN : U60100WB2008GOI127338
- (ii) Registration Date : 9th July, 2008
- (iii) Name of the Company : Kolkata Metro Rail Corporation Limited
- (iv) Category/Sub-Category of the Company : Public company/limited by shares
- (v) Address of the Registered Office and contact details : 'KMRCL Bhavan', HRBC Office Compound,
Munshi Premchand Sarani,
Kolkata - 700021.
Tel: (033) 2213-4345
Fax: (033) 2213-4380
- (vi) Whether listed company : No
- (vii) Name, address and contact details of Registrar and Transfer Agent, if any : Not Applicable

II. Principal Business Activities of the Company :

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover:

Sl. No.	Name and description of main products/services	NIC Code of the product/service	% to total turnover
-	Company in Project execution stage	N.A.	N.A.

III. Particulars of Holding, Subsidiary and Associate Companies : Nil

IV. Shareholding pattern (equity share capital break-up as percentage of total equity) :

(i) Category-wise shareholding : Indian Promoters

Central Government (President of India) :

No of shares held at the beginning of the year :

- Demat : Nil
- Physical : 375,86,20,000
- % of total shares : 100%

No of shares held at the end of the year :

- Demat : Nil
- Physical : 375,86,20,000
- % of total shares : 100%
- % change during the year : 0%



(ii) **Shareholding of Promoters**

Sl. No.	Shareholder's name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% of change in share-holding during the year
		No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/encumbered to total shares	
1.	President of India (a/c. Ministry of Railways)	278,13,79,200	74.00	0	278,13,79,200	74.00	0	0
2.	President of India (a/c. Ministry of Urban Development)	97,72,40,000	26.00	0	97,72,40,000	26.00	0	0
3.	Nominees of President of India	800	0	0	800	0	0	0
	Total:	375,86,20,000	100.00	Nil	375,86,20,000	100	Nil	Nil

(iii) **Changes in Promoters' shareholding**

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1.	At the beginning of the year	375,86,20,000	100	375,86,20,000	100
2.	Date-wise increase/decrease in Promoters' shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease	-	-	-	-
		0	-	0	-
	At the end of the year	375,86,20,000	100	375,86,20,000	100

(iv) **Shareholding Pattern of top ten shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)**

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1.	Shri D. K. Mishra	100	0.0001	100	0.0001
2.	Shri Sandeep Jain	100	0.0001	100	0.0001
3.	Shri Sudeep Shrivastav	100	0.0001	100	0.0001
4.	Sri Ajeet Srivastava	100	0.0001	100	0.0001
5.	Shri Dhananjaya Singh	100	0.0001	100	0.0001
6.	Shri Rajesh Kumar Jain	100	0.0001	100	0.0001
7.	Shri Ashish Singh	100	0.0001	100	0.0001
8.	Shri Jaideep	100	0.0001	100	0.0001

(all the above shareholders are nominees of the President of India a/c Ministry of Railways & Ministry of Housing and Urban Affairs)

(v) **Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel (KMP)**

Sl. No.	Name of Director/Key Managerial Personnel	Shareholding at beginning of the year (01.04.2023)		Cumulative Shareholding at end of the year (31.03.2024)	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No. of shares	% of total shares of the Company
1.	Shri Jaideep	100	0.0001	100	0.0001

Note: Shri Jaideep is a Director of the Company. No other KMP held any shares during the year.

V. **Indebtedness**

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment:

	Secured Loans excluding deposits (₹)	Unsecured Loans (₹)	Deposits (₹)	Total indebtedness (₹)
Indebtedness at the beginning of the financial year				
(i) Principal Amount	-	3,61,52,279.94	-	3,61,52,279.94
(ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
(iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i + ii + iii)	-	3,61,52,279.94	-	3,61,52,279.94
Change in Indebtedness during the financial year				
- Addition	-	47,02,716.72	-	47,02,716.72
- Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	47,02,716.72	-	47,02,716.72
Indebtedness at the end of the financial year				
(i) Principal Amount	-	3,13,97,875.28	-	3,13,97,875.28
(ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
(iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i + ii + iii)	-	3,13,97,875.28	-	3,13,97,875.28

VI. **Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel**

Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Gross salary -

(a) salary per provisions contained in Section 17(1) of Income-tax Act, 1961	: ₹ 55,05,000/-
(b) value of perquisites under Section 17(2) of Income-tax Act, 1961	: Nil
(c) profits in lieu of salary under Section 17(3) of Income-tax Act, 1961	: Nil
Stock Option	: Nil
Sweat equity	: Nil
Commission - as % of profit	: Nil
Others	: Nil
Total	: ₹ 55,05,000/-
Ceiling as per the Companies Act, 2013	: Not applicable



VII. **Penalties/Punishments/Compounding of Offences**

Type	Section of the Companies Act	Brief description	Details of penalty/punishment/compounding fees imposed	Authority [RD/NCLT/Court]	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty	Nil	N.A.	-	-	-
Punishment	Nil	N.A.	-	-	-
Compounding	Nil	N.A.	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	Nil	N.A.	-	-	-
Punishment	Nil	N.A.	-	-	-
Compounding	Nil	N.A.	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	Nil	N.A.	-	-	-
Punishment	Nil	N.A.	-	-	-
Compounding	Nil	N.A.	-	-	-

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Company's philosophy on Corporate Governance :

The Company's philosophy on Corporate Governance is aimed at:

- (a) Enhancing long-term stakeholder value and its own wealth generating capacity through
 - assisting top management in taking sound business decisions;
 - prudent financial management.
- (b) Achieving transparency and professionalism in all its decisions and activities.
- (c) Adhering to the disclosure compliances.
- (d) Achieving excellence in Corporate Governance by-
 - conforming to the prevalent guidelines on Corporate Governance and excelling in, wherever possible;
 - reviewing periodically the existing systems and controls for further improvements;
 - setting high ethical standards in conduct of business;
 - complying with laws and regulations;
 - strategic guidance and effective monitoring by the Board.

Board of Directors :

Composition:

The Company is a 'Government company' within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013. At present the entire paid-up share capital is held by the President of India through Ministry of Railways (Administrative Ministry) and Ministry of Housing and Urban Affairs. In terms of Article 124(a) of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors shall consist of the following Directors :

- (i) Directors nominated by the President of India through Ministry of Railways & Ministry of Housing and Urban Affairs;
- (ii) Managing Director;
- (iii) Whole-time Directors/Functional Director(s);
- (iv) Director(s) nominated by the debenture holders;
- (v) Independent Director(s).

In terms of Article 124(b), the President of India has the right by notice in writing addressed to the Company, to nominate persons on the Board of the Company including its Chairman.

In terms of Article 125, strength of the Board shall not be less than three or more than fifteen directors. Government of India has not yet advised the strength of the Board.

As on 31.03.2024 the number of Directors on the Board of the Company was 9 (nine), including 3 (three) functional Directors viz., Managing Director, Director (Finance) and Director (Project & Planning), 1 (one) Director nominated by the Government of West Bengal, 3 (three) Directors nominated by Ministry of Railways and 2 (two) Directors nominated by the Ministry of Housing and Urban Affairs.

Composition of the Board and the number of directorships held by the Directors as on 31.03.2024 is as under:

Sl.No.	Name of Director	Category of Directorship
1	Shri Shri P. U. K. Reddy	Chairman
2	Shri. V. K. Srivastava	Managing Director (Functional Director)
3	Smt. Ambika Jain	Director (Finance) (Functional Director)
4.	Shri Syed Md Jamil Ahsan	Director (Projects & Planning) (Functional Director)
5.	Shri Jaideep	Nominee Director
6.	Shri. Nagsen Moreshwar Dhoke	Nominee Director
7.	Shri Dhananjaya Singh	Nominee Director
8.	Dr. Saumitra Mohan, IAS	Nominee Director
9.	Shri Sanjeet	Nominee Director

Board Meetings

Meetings of the Board are convened by giving appropriate notice after obtaining approval of Chairman. Structured agenda notes and other papers backed by comprehensive background information are circulated to the Board members seven days prior to the meeting for facilitating meaningful discussions at the meetings unless the meeting is called by a short notice. Where it is not found practical or otherwise to attach or send the relevant background information as part of the agenda notes/papers, the same are tabled at the meeting.

Meetings and attendance

During the financial year ended 31.03.2024, the Board of Directors of the Company met 6 (six) times on 08.05.2023, 03.07.2023, 08.08.2023, 19.09.2023, 08.12.2023 and 21.03.2024.

Attendance of Directors at Board meetings and at the Annual General Meeting (AGM) are as under:-

Name of Directors	No. of Meeting attended	Attendance at the last AGM held on 19.09.2023
Shri. P. U. K. Reddy	6	Yes
Shri H. N. Jaiswal	None	N.A.
Shri V. K. Srivastava	5	Yes
Shri Angshuman Sarkar	5	Yes
Shri Syd. Md. Jamil Ahsan	6	Yes
Smt. Ambika Jain	1	N.A.
Shri Asim Kumar Majumdar	5	Yes
Shri Jaideep	5	Yes
Shri. Nagsen Moreshwar Dhoke	5	Yes
Shri Dhananjaya Singh	5	Yes
Dr. Saumitra Mohan	2	Yes

Minutes of the proceedings of each Board meeting were recorded and entered in the minute book, signed by the Chairman.

Audit Committee:

The Audit Committee of the Company constituted by the Board comprised of the following Directors during 2023-24:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|
| 1. Shri Nagsen Moreshwar Dhoke | (Non-executive) | : Chairman |
| 2. Shri Jaideep | (Non-executive) | : Member |
| 3. Shri Dhananjaya Singh | (Non-executive) | : Member |

During financial year ended 31.03.2024, the Committee met 4 (four) times – on 03.07.2023, 19.09.2023, 08.12.2023 and 21.03.2024.

The Company Secretary acts as Secretary of the Committee. The representatives of the Auditors are also invited to the meetings of the Committee. The Committee invites any officer of the Company in the meeting, whenever it is required.

Terms of reference of the Audit Committee (as approved by the Board of Directors at its meeting held on 27.08.2009) are as under:

- Discussions with the Auditors periodically about the internal control system and the scope of audit including observations of the auditors;
- Review of annual financial statements before submission to the Board of Directors;
- Ensuring compliance of internal control systems;

4. Investigations into any of the afore-stated matters or as may be referred to by the Board; and
5. Review of Management Information Systems, etc.

The role assigned to Audit Committee in terms of paragraph 4.2 of the "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises" issued by Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises in May, 2010 is also being followed.

The Committee acts as a link between the Management, the Statutory and Internal Auditors and the Board of Directors and assesses the financial reporting system. The Audit Committee has been constituted only with non-functional Directors.

Nomination and Remuneration Committee:

In compliance of Section 178(1) of the Companies Act, 2013, a "Nomination and Remuneration Committee" has been constituted.

The Nomination & Remuneration is constituted with the following Directors:

- | | |
|--|------------|
| 1. Shri Nagsen Moreshwar Dhole (Non-official Director) | - Chairman |
| 2. Shri Jaideep (Non-official Director) | - Member |
| 3. Shri Sanjeet (Non-official Director) | - Member |

Non official Independent Directors are entitled to remuneration by way of sitting fee at the rate of Rs. 20,000/- for attending each Board Meeting and Rs. 15,000/- for attending each Committee meeting.

The functional Directors are appointed by the President of India through the Ministry of Railways. Functional Directors (except those who are on additional charge) are on deputation from the Ministry of Railways in the pay scale of the parent cadre plus admissible allowances.

Code of Conduct:

The Board of Directors has laid down the "Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management" for maintaining standards and ensuring compliance with legal requirements. It is displayed on the website of the Company.

Annual General Meetings:

Details of the last three Annual General Meetings are as follows:

Financial Year	Date and Time	Venue	Special resolution(s) passed, if any
2022-23	19.09.2023 at 15:30 Hours	Through Video Conference	None
2021-22	29.11.2022 at 15:30 Hours	Through Video Conference	None
2020-21	27.11.2021 at 12:30 Hours	Through Video Conference	None

Annual General Meeting for the financial year 2023-24 will be held on 30.09.2024 at 16:00 hours through video conference.

Disclosures:

- i) Materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Company at large - there is no such transaction. However, the disclosure required under Accounting Standard AS 18 has been incorporated in 'Notes to the Financial Statements'.
- ii) Details of non-compliance by the Company, penalties, strictures imposed on the Company by any statutory authority on any matter related to any guidelines issued by the Government, during the last three years - None.

- iii) Whistle Blower Policy and affirmation that no personnel have been denied access to the Audit Committee- the Company has adopted a 'Whistle Blower Policy'. No personnel of the Company have been denied access to the Audit Committee.
- iv) Details of compliance with the requirements of the Guidelines - the Company has generally complied with the requirements of the Guidelines.
- v) Details of Presidential Directives issued by the Central Government and their compliance during the year and also in the last three years - No Presidential Directive was received during the previous year.
- vi) Items of expenditure debited in the books of account, which are not for the purposes of business – there is no such item of expenditure during the year.
- vii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management- None.

Means of Communication:

The shares issued by the Company are not listed on any Stock Exchange. Hence, quarterly results are not published in newspapers. However, annual audited financial results are displayed on the website of the Company (www.kmrc.in).

Address for correspondence:

Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.
'KMRC Bhavan', HRBC Office Compound
Munshi Premchand Sarani, Kolkata – 700 021.

Audit Qualifications:

There is no qualification in the Independent Auditor's Report on financial statements of the Company for the F. Y. 2023-24.

Training of Board Members:

The Company is a special purpose vehicle for implementing the 'East-West Metro Corridor' Project in Kolkata. As per decision of the Union Cabinet (vide minutes of the meeting held on 23.08.2012), the Company is only "Project Implementation Unit" of the East-West Metro Corridor Project, Kolkata. It will continue to function till the completion of the execution of the Project. However, all the shares of the Company will be held by Government of India, who after completion of the Project would run the system alongwith existing North-South Corridor under a unified control. Subsequent to execution of the Project, the operation of the East-West Metro Corridor will be merged with those of the Metro Railway, Kolkata. Hence, need to train Board members in the business model of the Company have not been felt till now. However, the Company has decided to train the Directors and necessary steps have been taken for the same.

Whistle Blower Policy:

The Company has adopted a 'Whistle Blower Policy', which is displayed on its website. Such Policy provides a framework to enable the employees wishing to raise a concern about serious irregularities within the Company without fear of victimisation and covers protected disclosures by all categories of employees.

Compliance Certificate:

This report duly complies with the requirements of "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises". Certificate obtained from a practicing Company Secretary regarding compliance of the aforesaid Guidelines on Corporate Governance has been annexed to this Report.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Kolkata
Date : 30th September, 2024

P. U. K. Reddy
Chairman

Management Discussion and Analysis Report

Urbanization is the present day world trend generated through opportunities associated with the cities. More and more people are moving in from rural to urban localities. It is projected that in 2030, about 4.9 billion people (60% of the global population) will live in urban areas. Futuristic design of cities, therefore, aims to accommodate large populations while creating high quality of urban life sustainable to the society. Megacities in today's world, therefore, require a transportation system that has basic attributes of sustainability – efficient, affordable, accessible and environment friendly. Mass Rapid Transit System (MRTS) has been found to be ideal transport solution in this regard, as evidenced by the increasing number of cities opting for the same both in India and other countries.

The Company has been formed to implement the 'East West Metro Corridor' connecting Salt Lake Sector V in the east to Howrah Maidan in the west. Government of India ('Gol') has decided that the Company will be the Project Implementation Unit and continue to function till the completion of execution of the Project. However, all shares of the Company will be held by Gol, who after completion of the Project would run the system along with North-South Corridor under a unified control.

Vision, Mission and Objective

Vision:

To emerge as the most efficient implementation unit for rail-based urban transport infrastructure with sound financial and technological base adopting global project implementation standards and practices for efficient completion of the projects with utmost care towards quality, safety and satisfaction of the users in an environment of synergy between public service and socio-economic sustainability.

Mission:

To implement the 'East-West Metro Corridor' MRTS Project in the urban conglomeration of Kolkata city and its urbanised surroundings of Howrah and Salt Lake to meet the ever-growing demand of mass mobility in this region.

Objective:

1. To establish the 'East West Metro' as a state-of-the-art urban passenger Mass Transit System, providing affordable, hassle-free, safe and pollution-free conveyance to city life.
2. To promote and facilitate Metro ridership as a part of integrated traffic rationalisation plan and comprehensive mobility plan for Kolkata city and its urbanised surroundings of Howrah and Salt Lake.
3. To mobilise the required resources for project implementation in order to achieve financial soundness and sustainability.
4. To execute the Project with least cost escalation with proper improvisation skills to harmonise available financial and technological resources in order to achieve optimum time targets.
5. To maintain a cost effective organisational set up and implement proper training and value addition programs of best standards for generating a motivated and result oriented Project team.
6. To maintain highest standards of quality and safety during execution of the Project.

Difficulties faced in Project execution:

Project implementation (as envisaged in Detailed Project Report) has been affected due to external factors like non-availability of land as well as realignment issue. There has also been time as well as cost overruns. The Project is being implemented in two phases viz. Phase-I from Salt Lake Sector V to Phoolbagan and Phase-II from Phoolbagan to Howrah Maidan.

The entire Phase-I has been commissioned now in two steps ; Phase-IA from Salt Lake Sector-V Station to Salt Lake Stadium Station since 14.02.2020 and from Salt Lake Stadium Station to Phoolbagan since 05.10.2020. The implementation of Phase-I was affected due to non-availability of land at Duttabad and Swabhumi as well as Depot at Central Park which affected construction of elevated viaduct on a 365-metre and 120-metre stretches, respectively. The project affected persons of Swabhumi were rehabilitated in 2013 and those of Duttabad in 2015 and the construction work proceeded only thereafter. The land issues in Depot was also resolved only in 2013.

In Phase-II, due to non-availability of land for construction of proposed Central and Mahakaran stations, Government of West Bengal had proposed realignment of the route. This (executing the Project as per realigned route) has lead to its extension by 1.878 kilometres, involving additional time and cost. Ministry of Railways accepted the realignment proposal in August 2015 and the stalemate in Phase-II which was continued since 2012 was over. Work on this section resumed in September 2015.

Howrah Maidan to Esplanade section included in the Phase – II of the Project, covering a stretch of 4.80 km was inaugurated on 6th March, 2024 by the Hon'ble Prime Minister of India and was commissioned on 15th March, 2024.

Three incidences of water ingress at Bowbazar TBM (Tunnel Boring Machine) Retrieval Shaft posed hindrance to the progress of the Project.

Crucial clearances had also to be obtained from the Archaeological Survey of India (as certain protected monuments are located in the vicinity of the route) and defence authorities (since one of the stations will be under land owned by the Army) in 2017.

Opportunities:

As the Project is being executed as per revised alignment, it is expected that there will be significantly higher passenger traffic through proposed Esplanade station (inter-change station of 'East-West' and 'North-South' Metro lines). The Joka-BBD Bag Metro line will also terminate at Esplanade. A bus hub is located in Esplanade close to the proposed station. Besides, it is also proximate to the central business district of Kolkata. Upon completion, the Project will also provide inter-nodal connectivity with two busy surface rail stations at Howrah and Sealdah, connection to ferry, bus and tram. Perhaps no other mass transit system in the contemporary world links so many diverse modes of transportation.

Having regard to the population density of Kolkata city and adjoining areas, the potential demand for ridership of the 'East-West Metro' line is considered to be a unique feature.

Considering all these people-centric values and the opportunities involved in this Project, the coveted Institution of Civil Engineering of United Kingdom has on the occasion of their bi-centenary listed the Project as one of the two hundred projects in the world having significant impacts in making people's lives better. The Project was also featured in world tunnel congress held in Doha in 2018. These international accolades have boosted morale of the Project team to a new height.

The 'East-West Metro' has been conceived in such a manner that there will be potential for connection to Netaji Subhas Chandra Bose International Airport from Salt Lake Sector-V Similarly, on the western end, the line can be extended to Santragachhi or Ramrajatala.

Howrah and Sealdah stations being among the busiest rail stations in the world will generate huge commuter traffic along the Metro line connecting these stations both during morning and evening rush hours. The 'East-West Metro' line will provide significant benefits to the commuters within central business district of Kolkata and out to New Town, Salt Lake and Rajarhat in the east, as well as to residents of Howrah city and surrounding areas in the western fringe.

Threats:

In order to ensure delivery of the Project as per revised time schedule and cost, coordinated efforts are required among the various stakeholders viz. Ministry of Railways; Ministry of Housing and Urban Affairs; Ministry of Finance; Government of West Bengal; Japan International Cooperation Agency; etc. However, even the coordinated efforts

may not be adequate to ensure that the Project gets executed on time and cost due to involvement of so many external factors in such a complex project bio-sphere.

Obtaining necessary permission for closure of roads and fly over for construction as well as relocation of different utilities (mostly under-ground) falling within the revised alignment poses a threat of time overrun as identification of the same, obtaining permission as well as implementation in a densely populated city like Kolkata involves multifarious stake-holders and is extremely time consuming.

Further the repeated incidences of water ingress in the tunnel also affected the Project's progress.

Internal Controls:

A strong internal control framework is an essential pre-requisite to provide a reasonable assurance that in pursuit of the organisation's mission, the general objectives of executing the Project are ethically, economically and effectively achieved. In this context, the internal control systems of the Company are considered adequate and commensurate with its size.

Future outlook:

The Company intends to establish the 'Kolkata East West Metro' as a state-of-the-art urban passenger MRTS providing affordable, hassle-free, safe and pollution-free mode of conveyance to city life. With the completion in view, the Company is committed to ensure the quality as well as safety in implementation of the Project. This Company will generate a world class technological data base and know how in planning and implementation of such a remarkable metro project which can be utilized by the project stakeholders for future projects in the horizon.



D. RAUT & ASSOCIATES

COMPANY SECRETARIES

2A-Ganesh Chandra Avenue, Commerce House, 8th
Floor, Room No. 7A, Kolkata-700 013
Ph. No. 033-22259585
E-mail : csdraut@gmail.com

CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE CERTIFICATE

The Members

Kolkata Metro Rail Corporation Ltd.

CIN: U60100WB2008GOI127338

We have examined the compliance of Corporate Governance by Kolkata Metro Rail Corporation Limited (hereinafter referred to as "the Company") for the year ended **31st March, 2024** as stipulated in the "Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises 2010" issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises and annexures mentioned there under (hereinafter referred to as 'the Guidelines').

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in the Guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the stipulations of the guidelines except that:

1. The Company does not have the minimum number of Independent Directors and one Women Director in terms of the provisions of Section 149(8) read with Schedule IV of the Companies Act, 2013. Also the constitution of the committees and the separate meetings of the Independent Directors of the Company has not been complied with.
2. Though Shri Asim Kumar Majumdar has been nominated from the Railway Board Government of India, as a Board member in KMRCL wef 01.06.2023, we have been informed that the Form Dir-12 for the said appointment could not filed in MCA as DIN was not available for such Director.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

Place: Kolkata

Dated: 24.09.2024

**For D. Raut Associates
Company Secretaries**

**Debendra Raut
Proprietor**

ACS: 16626; CP No. 5232

UDIN: A016626F001310204

D. RAUT & ASSOCIATES

COMPANY SECRETARIES

2A-Ganesh Chandra Avenue, Commerce House, 8th
Floor, Room No. 7A, Kolkata-700 013
Ph. No. 033-22259585
E-mail : csdraut@gmail.com

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2024

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule no. 9 of the Companies
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Kolkata Metro Rail Corporation Limited
(CIN: U60100WB2008GOI127338)

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by *Kolkata Metro Rail Corporation Limited* (hereinafter called "the Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minutes books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorised representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has during the audit period covering the financial year ended on **31st March, 2024** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minutes books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on **31st March, 2024** according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder;
- (ii) The Company is not a listed company. Hence, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder are not applicable to it;
- (iii) The Company is not a listed company. Hence, the Depositories Act, 1996 and the Regulations and bye-laws framed thereunder are not applicable to it;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings are not applicable to the Company;
- (v) The Company is not a listed company. Hence, the following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') are not applicable to it:-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (Not applicable to the Company during the audit period);
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 (not applicable to the Company during the audit period);
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act, 2013 and dealing with client;
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (not applicable as the Company has not delisted/proposed to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review); and

- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable as the Company has not bought back/proposed to buy back its securities during the financial year under review).
- (vi) The Company (a Central Government Public Sector Enterprise under the Ministry of Railways) is engaged in implementing the rail-based 'East West Metro Corridor' Project in Kolkata. As identified by the Management the following specific laws are applicable to it in addition to general laws:
 - a. Laws related to Labour and Workmen;
 - b. Provident fund;
 - c. Provision of basic safety & health provisions at worksites under various laws;
 - d. Environmental laws.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards with regard to the meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meeting (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India (ICSI).
- (ii) The Company is not required to enter into any listing agreement with any Stock Exchange(s) with respect to the securities (shares) issued by it as it is an unlisted Public Company.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above, except the following observation:

1. The Company does not have the minimum number of Independent Directors and one Women Director in terms of the provisions of Section 149(8) read with Schedule IV of the Companies Act, 2013. Also the constitution of the committees and the separate meetings of the Independent Directors of the Company has not been complied with.
2. Though Shri Asim Kumar Majumdar has been nominated from the Railway Board Government of India, as a Board member in KMRCLwef 01.06.2023, we have been informed that the Form Dir-12 for the said appointment could not be filed in MCA as DIN was not available for such Director.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, except the Independent Directors and Women Director as mentioned above. The changes in composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views (if any) are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

- a) As the net worth of the Company is more than Rs. 500 crores CSR is applicable to the Company. The Company is required to contribute and spend 2% of the average net profits made during the preceding 3 years (calculated as per Section 198 of Companies Act, 2013). Further the management has represented that the Company is not required to make any contribution during the Financial Year to CSR fund as the profit calculated under Section 198 is negative.

Place: Kolkata
Dated: 24.09.2024

For D. Raut Associates
Company Secretaries
Debendra Raut
Proprietor
ACS: 16626; CP No. 5232
UDIN: A016626F001302636

This report is to be read with the enclosed annexure-1.

Annexure-I

To
The Members
KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Our Secretarial Audit Report is to be read along with this letter.

The Secretarial audit covers the verification of the registers and documents maintained by the Company under the Companies Act, 2013. It doesn't cover any financial transactions made by the Company. The Audit or Report also doesn't cover the engineering, construction and other manufacturing or service or HR matters or any law governing those aspects.

Management's Responsibility:

1. It is the responsibility of the Management of the Company to maintain the Secretarial records and to devise proper systems to ensure compliance of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively. The compliance of the provisions of the Companies Act, 2013 and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the Management.

Responsibility of Secretarial Auditor

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. Wherever required, we have obtained the Management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

Disclaimer:

1. This report is solely intended for forming an opinion on the compliances made by the Company under the Companies Act, 2013 or SEBI (LODR) (applicable only for Listed entities) and is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
2. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
3. The Liability of the issuer of the Audit Report is limited to the Professional Fee that he has received for this assignment.

Note : This page has been kept blank intentionally



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
Railway Production Units and Metro Railway
NKG Building (5th Floor), 14, Strand Road
Kolkata – 700 001.

No. RPU & MR/KMRCL/2024-25/

Date: 30.09.2024

To

**The Managing Director,
Kolkata Metro Rail Corporation Limited,
KMRCL Bhavan (HRBC Office Compound),
Munshi Prem Chand Sarrani,
Kolkata - 700 021.**

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Kolkata Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2024

Sir,

Please find enclosed herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013 on the annual accounts of Kolkata a Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2024.

Yours faithfully,



(N Maisnam)
Principal Director of Audit



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE ACCOUNTS OF KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024.

The preparation of financial statements of Kolkata Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 July 2024 and consequent upon CAG observations revised on 27 September 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a Supplementary Audit under section 143(6)(a) of the Act on the financial statements of Kolkata Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2024. This Supplementary Audit has been carried out independently with out access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and as elective examination of some of the accounting records. Based on my Supplementary Audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comments on Financial Position

BALANCE SHEET

Assets-Non-Current Assets

(b) Capital Work-in-Progress - Note No. 5 & 6

Pre-operative Expenditure (Pending Allocation) - Note No. 6

₹ 47.44 crore

Borrowing Cost - Note 6.1

Non-Current Financial Liabilities

(i) Borrowings - Note 14 - ₹ 5,011.20 crore

- 1) The Borrowing Cost did not include ₹ 9.59 crore¹ being interest accrued on loan taken from Japan International Co-operation Agency for the period from 20 October 2023 to 31 March 2024.

This had resulted in understatement of Non-current Assets-'Pre-operative Expenditure (Pending allocation)' by ₹ 9.59 crore as well as understatement of Non Current Liabilities- Borrowings by the same amount.

Assets-Non-Current Assets

(b) Capital Work-in-Progress - Note No. 5 & 6

Other Financial Assets (Note No. 7) ₹ 253.70 crore

- 2) The Capital Work-in-Progress (CWIP) included 11.41 crore being reimbursement of State Goods and Service Tax (SGST) to two² contractors/consultants.

As per the Accounting Policy No 3.7 of the Company 'reimbursement of SGST' is shown under Non-Current Assets as 'SGST receivable' with a corresponding reduction from CWIP. Therefore, the SGST receivable amounting to ₹ 11.41 crore should have been reduced from CWIP.

This had resulted in over statement of CWIP by 11.41 crore and understatement of Other Financial Assets -SGST receivable from GoWB by the same amount.

Assets - Non-Current Assets

Capital Work in progress

Pre-operative expenditure (Pending allocation) - Note 6

Other Administrative expense - Note 21.2 ₹ 123.50 crore

- 3) The above includes an amount of ₹ 31.43 crore being deposit made by the Company under the direction of High Court of Kolkata for challenging an arbitration award.

¹Against loan ID-P263 (₹ 7.19 crore) and loan ID-P295 (₹ 2.40 crore) at an exchange rate of 0.5509 INR for Japanese Yen

²UG-1 contractor viz M/s Transtonnelstroy Afcons JV and the General Consultant of the projects

The same should have been classified as 'Advance other than Capital Advance' instead of disclosing the same as 'Pre-Operative expenditure'. This has resulted in overstatement of 'Pre-operative expenditure (pending allocation)' and the understatement of 'Other Assets' (Non-current) to an extent of ₹ 31.43 crore.

Assets-Non-Current Assets

Capital Work in Progress -Note-5

Power Supply- ₹ 347.49 crore

- 4) The above includes an amount of ₹ 14.75 crore being energy bills raised by the Company against Metro Railway for electricity charges incurred for commercial operation of the project done by Metro Railway, Kolkata. This amount should have been shown as 'receivable from Metro Railway' instead of disclosing the same as CWIP.

This has resulted in understatement of 'receivable from Metro Railway, Kolkata' by ₹ 14.75 crore and over statement of CWIP by the same amount.

Assets-Current Assets Financial Assets

Bank Balance Other than Cash and Cash Equivalents-Note-10

₹ 219.77 crore

- 5) The above includes fixed deposits of ₹ 31.43 crore held against a bank guarantee. As per Division-II of Schedule-III of the Companies Act, 2013 clause 6(C)(b) of the 'General instructions for preparations of financial statements of a company', 'balances with banks to the extent held as margin money or security against the borrowings, guarantees, other commitments shall be disclosed separately'.

However, the company had not separately disclosed the fixed deposits of ₹ 31.43 crore held against a bank guarantee.

8. Comments on Accounting Policy

Notes to financial statements Accounting policies (Note 2.1)

- 6) A reference is invited to Note 2.1 'Accounting Policies' wherein it has inter-alia been stated that 'a policy has been adopted by the management of the organisation in accordance to the guidance of Ministry of Railways to transfer the assets from Capital-work-in-progress to Fixed Assets on full completion of the project and not phase wise completion;

However, the Ministry of Railways communication (2018) stated that after completion of execution of the project, Metro Railway, Kolkata would run the East West Metro Corridor along with the North-South Corridor under a unified control'. The Ministry of Railways communication did not specify any accounting treatment or any accounting instruction to transfer the assets from Capital-Work-in-Progress to Fixed Assets on full completion of the project.

Accordingly, the Note 2.1 is not in conformity with the guidance of the Ministry of Railways.

C. Contingent liabilities and Capital Commitments (to the extent not provided for)

- 7) The Company did not disclose a contingent liability in respect of award of arbitration amounting ₹ 62.87 crore which was challenged in the Calcutta High Court by the Company.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India



(N Maisnam)

Principal Director of Audit

Place : Kolkata

Dated: 30 September 2024

AUDITORS' REPORT

Raj Kumar Kothari & Co. CHARTERED ACCOUNTANTS

Head Office : 32, Ezra Street. 4th Floor, Suite # 403, Kolkata-700001
 Phone : 2235-0677 / 98310 79963
 Website : www.rkkco.com
 E-mail : ca.rkothari@gmail.com / rkothari@rkkco.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED** ("the Company"), which comprises of the Balance Sheet as at 31 March 2024, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), Statement of Changes in Equity and Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the IndAS Financial Statements") and revised as per observation of CAG.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid IndAS financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (The 'Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended ("Ind AS"), and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March, 2024, and its profit, total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the IndAS financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

"The Company is a government-owned entity established for the specific purpose of Metro rail construction project. Our audit was conducted in accordance with the applicable auditing standards, and the audit opinions expressed herein are based on the work performed in accordance with those standards."

Key Audit Matters

Reporting of key audit matters as per SA-701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Emphasis of Matter

- (i) We draw the attention to Note No. 7 of the IndAS financial statements wherein Rs 210.22 crores receivable from Government of West Bengal (GoWB) towards State Goods & Service Tax (SGST) and Rs 41.38 crores towards VAT in terms of Memorandum of Understanding (MoU) signed by the Company and GoWB has been recognized as accounts receivable, which has not yet been reimbursed by the GoWB.
- (ii) We draw attention to Note No. 26 of the IndAS financial statements wherein the value of 38.5 acres of land received from Government of West Bengal (GoWB) on "permissive possession basis" for setting up depot at Central Park, Salt Lake is not accounted for in the books of accounts of the Company. Reference is further invited to Note No. 26 of the IndAS financial statements wherein the GoWB has demanded Rs 3368.79 crores as charges for permissive possession of the said land.
- (iii) We draw attention to Note No. 32 of the IndAS financial statements wherein the Chief Secretary, Government of West Bengal had issued a letter dated 06.11.2012 mentioning that GoWB has funded a sum of Rs.48 crores towards Land Acquisition for East-West Metro Corridor Project. The Company has taken up and pursued the matter with Government of West Bengal for details of Rs. 48 crores so claimed to be funded to the Company, as no such records are available in the records of the company. Reconciliation and resolution of the matter is still pending.
- (iv) We draw attention to Note No. 8.1.2, 25 & 39 of the IndAS Financial Statements w.r.t. pending litigation cases & contingent liabilities.
- (v) We draw attention to Note No. 5.4 & 6 wherein Capital Work in Progress includes expenses incurred in relation to operations and maintenance of elevated portion of the project whose commercial operation has been entrusted to Metro Railway, Kolkata for commercial operations from February, 2020 and income in relation to the same is recognized by Metro Railway.
- (vi) We draw attention to Note No. 7.2 of the IndAS financial statements wherein Fixed Deposit of ₹ 5.74 Crore has been pledged with High Court for a case against a contractor (ITD ITD Cem JV) for reimbursement of PBG and car insurance due to delay in work.
- (vii) We draw attention to Note No. 14.10 of the IndAS financial statements wherein the Original Project Cost was Rs 4,874.58 Crores, but the Estimated Final project cost has been exceeded to Rs 10,442.41 which was far from its initial estimated costs.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the IndAS Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises of the information included in the Annual report, but does not include the IndAS financial statements and our auditor's report thereon.

In connection with our audit of the IndAS financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the IndAS financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the IndAS Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these IndAS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India, specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the IndAS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the IndAS financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the IndAS Financial Statements

Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the IndAS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these IndAS financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the IndAS financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to IndAS financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the IndAS financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the IndAS financial statements including the disclosures, and whether the IndAS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the IndAS financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the IndAS financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the IndAS financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matter

1. There is non-compliance on part of the Company w.r.t the provisions of the Companies Act, 2013 concerning appointment of directors. As per the related provisions and corresponding thresholds in place, the Company should have at least 1 Woman Director and 2 independent Directors. Smt. Warrior was appointed as an Independent Director and was also the Woman Director on the Board of Directors. Post completion of her tenure on 10.07.2022 and subsequent requirement, vacancy has not been filled up. The company does not have any Independent Director as on date. As per management reply, such vacancy can only be filled up by the Government and they have intimated and requested for the same through multiple letters to the Railway Board.
2. We had issued an audit report dated 29.07.2024 (the original report)at Kolkata on the Financial Statements as adopted by the Board of Directors. Pursuant to the observations of the Comptroller and Auditor General of India, under section of the Companies Act, 2013, we have revised the said audit report. This audit report supersedes the original report which has been suitably revised to consider the observation of the Comptroller and Auditor General of India on "Basis for opinion" paragraph. Our audit procedure on events subsequent to the date of original report is restricted solely to the amendment made to the item mentioned in this paragraph.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, we give in the Annexure "B", a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the Order.
2. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended:
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act
3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - i) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - iii) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive income, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - iv) In our opinion, the aforesaid IndAS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act read with Rule 7 of the Companies (Accounts) rules, 2014, as amended.
 - v) The Company being a Government Company, the provisions of Section 164(2) of the Companies Act is not applicable pursuant to the Gazette Notification No. GSR 829(E) dated 21.10.2003 issued by the Government of India.
 - vi) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to the IndAS financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls.
 - vii) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - a. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its IndAS financial statements - Refer Note 25 & 39 to the IndAS financial statements.
 - b. The Company did not have any long-term contracts Including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - c. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - d. (i) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (ii) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries, and

- (iii) Based on such audit procedures as we have considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that the representations made by the management as stated in (i) and (ii) herein above, contain any material misstatement.
- e The Company has not declared or paid any dividend during the year therefore, compliance with the provisions of Section 123 of the Companies Act, 2013 is not applicable.
- f Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Company with effect from April 1, 2023, and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is applicable for the Financial year ended March 31, 2024.
- We have examined the Company's compliance with this requirement and performed test checks to verify the same. Our examination revealed that the Company has used accounting software for maintaining its books of account, which has a feature of recording audit trail (edit log) facility. We found that this feature has operated throughout the year starting from 02-06-2023 for all relevant transactions recorded in the software.
- During the course of our audit, we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with, except for few instances where wrong entries were made but subsequently rectified through a back-dated entry also in cases where provisions were made. We noted that the rectification was properly recorded in the audit trail, and the Company has preserved the audit trail as per the statutory requirements for record retention.
- In our opinion, the Company has complied with the requirements of maintaining books of account using accounting software with an audit trail (edit log) facility, and the same has operated effectively throughout the year, except for the aforementioned instance which was properly rectified.
4. The Comptroller and Auditor General of India has issued directions indicating the areas to be examined in terms of Section 143(5) of the Act, the compliance of which is set out in "Annexure C
5. There has been minor non-compliances w.r.t Statutory dues during the year, the details of which are provided below along with Management reply on the respective issues.

Particulars	Amount	Auditors Remarks	Management's Reply
Prabir Kumar Das under Sundry Creditors.	15,93,883.00	Tunnel Exp- Hand painting inside tunnel. RCM u/s 9(3) of CGST act 2017 is applicable as the expense relates to work of Art.	RCM will be booked & paid along with interest in FY 2024-25.
Saba International under Sundry Creditors.		TDS was not deducted from April'23 to Aug'23	TDS short deducted. It will be rectified.
El D Ltd, The Oberoi Grand	11,71,297.00	TDS have to be deducted on this amount.	Error in deduction. It will be rectified
Patents Talgo S.L	1,74,89,377.00	No TDS deducted. No IGST RCM booked.	It will be rectified post verification.
Transtunnel Afcons JV		TDS on Rs 65,14,63,655/- @2% = 1,30,29,273/-, whereas TDS booked Rs 1,23,96,242/-. Reason for shortfall?	Error due to credit note. It will be rectified.
Legal Expenses		Short booking of RCM by Rs 810/-	RCM will be booked & paid along with interest in FY 2024-25.

Place: Kolkata
Date: 27.09.2024

For **Raj Kumar Kothari & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 320166E



Raj Kumar Kothari
Partner

Membership No.: 055208
UDIN: 24055208BKGSDG6669

ANNEXURE - 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to the IndAS financial statements of **KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED** ("the Company") as at 31st March 2024 in conjunction with our audit of the Ind AS Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control with reference to the IndAS financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICA1). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to the IndAS financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to the IndAS financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to the IndAS financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to the IndAS financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to the IndAS financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the IndAS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to the IndAS financial statements

A company's internal financial control with reference to the IndAS financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of IndAS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with reference to the IndAS financial statements includes those policies and procedures that:

- (i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of IndAS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
- (iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the IndAS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to the IndAS Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to the IndAS financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to the IndAS financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to the IndAS financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls with reference to the IndAS financial statements and such internal financial controls with reference to the IndAS financial statements were operating effectively as at 31st March 2024, based on the internal control with reference to the IndAS financial statements criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls With reference to the IndAS financial statements issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Place: Kolkata
Date: 27.09.2024

For **Raj Kumar Kothari & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 320166E



Raj Kumar Kothari
Partner

Membership No.: 055208
UDIN: 24055208BKGSDG6669

ANNEXURE - 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Referred to in paragraph 1 under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of our report of even date

- (i) (a) (A) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant & Equipment.
- (B) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company does not have any Intangible Assets. Accordingly, Para 3(i)(a)(B) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has a regular programme of physical verification of its property, plant and equipment by which property, plant and equipment are verified in a phased manner over a period of three years. However, property, plant and equipment have not been physically verified by the Management during the year, thus we cannot comment on any material discrepancies noticed on such verification.
- (c) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the title deeds of all immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lessee) disclosed in the IndAS financial statements are held in the name of the Company except the ones mentioned below:

Description of the Property	Gross Carrying Value (in '000)	Held in the name of	Whether promoter, director or their relative or employee	Period held - indicate range, where appropriate	Reason for not being held in the name of company
Leasehold Land	1,97,396.52	Kolkata Port Trust	No	From F.Y. 2012-13 till present	The Company has taken the land on lease for a period of 30 years. The Company is in the process of registering the same in its own name as referred in Note 22 to the IndAS financial statements.
Building	46,741.73	Hooghly River Bridge Commissioners	No	From F.Y. 2008-09 till present	The Ownership of the building was not transferred to KMRCCL because the building made at the time when the State Government was a stake holder of the project. The project is on the verge of completion and the asset will be transferred to Metro Railway. It is expected that Metro Railway will initiate further for ownership, title etc. of the building Refer Note 22 to the IndAS financial statements.
Freehold Land	75,480.57	Government of West Bengal	No	From F.Y. 2008-09 till present	Mutation of 1488 sq.mts of land is under process and the mutation of 1733 sq.mts pending as the issue is subjudice and the case is currently pending at Supreme Court of India vide SLP No. (Civil)36172 of 2013 as referred in Note 22 to the IndAS Financial statements.

- (d) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not revalued any class of its Property, Plant and Equipment during the year. The Company does not have any Intangible Assets.
- (e) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, no proceedings have been initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder. Accordingly, Para 3(i)(e) of the Order is not applicable.
- (ii) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company does not have any inventory. Accordingly, Para 3(ii)(a) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not been sanctioned any working capital limits from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. Accordingly, Para 3(ii)(b) of the Order is not applicable.
- (iii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not made any investments, The Company has not granted any loans or provided any guarantee or security or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties. Accordingly, Para 3(iii) of the Order is not applicable.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not given any loans/guarantees/security to or on behalf of any party or made any investment referred to in Section 185 and 186 of the Companies Act 2013. The Company has not given any loan, guarantee or provided any security in connection with a loan to any body corporate or any other person.
- (v) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not accepted deposits or amounts which are deemed to be deposits during the year and therefore the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act 2013 and the rules framed there under are not applicable to the Company. No order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal in this regard.
- (vi) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013.
- (vii) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues applicable to it with the appropriate authority.

There is no undisputed amount payable in respect of applicable statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess which were in arrears as at 31.03.2024 for a period of more than six months from the date they became payable.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, there are no dues of Income tax, Sales tax, Value Added Tax, Service Tax, Custom duty, Excise duty or Goods and Services Tax (GST) which have not been deposited on account of any dispute except as stated as below:

Name of the Statute	Nature of the Dues	Amount (in '000)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Finance Act, 1994	Service Tax	1,854.94	F.Y. 2009-10 to 2012-13	Appellate Authority Commissioner Appeals (11), Central Excise
Income Tax Act, 1961	Tax Deducted at Source	14.50	FY 2022-23	Total Defaults as Per Traces
Income Tax Act, 1961	Tax Deducted at Source	7.32	FY 2021-22	Total Defaults as Per Traces

- (viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, there are no transactions that are not recorded in the books of account that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). Accordingly, Para 3 (viii) of the Order is not applicable.
- (ix) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender. Further, deferred payment liabilities are not considered borrowings/dues to a lender and hence not commented upon.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.
- (c) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has applied the term loans for the purpose for which those were obtained.
- (d) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of record considered necessary, and on overall examination of the Balance Sheet of the Company, the Company has not raised any funds on short term basis. Accordingly, Para 3(ix)(d) of the Order is not applicable.
- (e) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company does not have any subsidiaries, associates or joint ventures. Accordingly, Para 3(ix)(e) of the Order is not applicable.
- (f) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company does not have any subsidiaries, joint ventures or associate companies. Accordingly, Para 3(ix)(f) of the Order is not applicable.
- (x) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, Para 3(x)(a) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year.
- (xi) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the year. Accordingly, Para 3(xi)(a) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, no report under Section 143(12) of the Companies Act, 2013 has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government. Accordingly, Para 3(xi)(b) of the Order is not applicable.
- (c) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, no whistle-blower complaint has been received by the Company during the year. Accordingly, Para 3(xi)(c) of the Order is not applicable.
- (xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company is not a Nidhi Company. Accordingly, Para 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013 and details of related party transactions have been disclosed in the IndAS financial statements as required by the applicable Ind AS.

- (xiv) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- (b) The reports of the Internal Auditors for the period under audit were considered by us during the course of the audit.
- (xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not entered into any non-cash transaction with directors or persons connected with him as specified under Section 192 of the Companies Act, 2013. Accordingly, Para 3(xv) of the Order is not applicable.
- (xvi) (a) In our opinion and according to the information and explanation given to us and examination of books and records, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 as a Non-Banking Finance Company, Accordingly, Para 3(xvi)(a) of the Order are not applicable.
- (b) In our opinion and according to the information and explanation given to us and examination of books and records, the Company has not conducted any Non-Banking Financial activities or any Housing Finance activities. Accordingly, Para 3(xvi)(b) of the Order are not applicable.
- (c) In our opinion and according to the information and explanation given to us and examination of books and records, the Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, Para 3 (xvi) (c) of the Order is not applicable.
- (d) In our opinion and according to the information and explanation given to us and examination of books and records, there is no Core Investment Company (CIC) in the group.
- (xvii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not incurred any cash losses in the current financial year and in the immediately preceding financial year.
- (xviii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, there has been no resignation of the statutory auditors during the year. However, statutory auditors are appointed periodically by the Comptroller and Auditor General of India.
- (xix) In our opinion and according to the information and explanation given to us and examination of books and records we consider necessary, on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the IndAS financial statements, and our knowledge of the Board of Directors and management plans, we are of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we give neither any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date will be discharged by the Company as and when they fall due.
- (xx) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary and as stated in Note 22(q) of the IndAS financial statements, the Company has not provided for any expenses based on expert opinion, copy of which has not been provided to us.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, there are no ongoing projects until the date of our report.

Place: Kolkata
Date: 27.09.2024

For **Raj Kumar Kothari & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 320166E



Raj Kumar Kothari
Partner

Membership No.: 055208
UDIN: 24055208BKGSDG6669

ANNEXURE - 'C' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under Sub-section 5 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

Direction 1

Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system. If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

Our Comment

In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has appropriate system in place to process all the accounting transactions through IT system. However, transactions pending for due approval/checking/settlement are recorded in the books of account only on finalization of such claims. Aggregate of all such transactions pending for finalization are recorded as 'Contingent Liabilities' as on the date of reporting and are disclosed in Note 39 to the Financial Statements.

Impact on Financial Statements - As disclosed in Note 39 to the Financial Statements.

Direction 2

Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan. If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for.

Our Comment

In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan have been made during the period of audit.

Impact on Financial Statements - NIL

Direction 3

Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions. List the cases of deviation.

Our Comment

In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on examination of records we considered necessary, the Company has not received any funds for specific schemes from Central/State Government or its agencies. However, budgetary support has been provided by the Ministry of Housing and Urban Affairs and Ministry of Railways for the implementation of metro project during the year under audit. The funds so received have been utilized for the purpose of the project. The unutilized amounts are temporarily parked in Term Deposits and the interest earned are ploughed back to the project.

Deviations - NIL

For **Raj Kumar Kothari & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 320166E



Raj Kumar Kothari
Partner

Membership No.: 055208
UDIN: 24055208BKGS DG6669

Place: Kolkata
Date: 27.09.2024



KMRC

A N N U A L R E P O R T 2 0 2 3 - 2 4

Note : This page has been kept blank intentionally

ANNUAL ACCOUNTS 2023-24



KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Balance Sheet as at 31st March, 2024

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	Note No.	March 31, 2024	March 31, 2023
ASSETS			
Non-Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	4,23,400.82	4,23,206.24
(b) Capital Work-in- Progress	5 & 6	8,05,87,847.79	8,05,58,951.58
(c) Financial Assets			
(i) Other Financial Assets	7	25,36,999.17	23,01,351.16
(d) Other Non-Current Assets	8	12,25,881.64	8,79,351.22
Total Non - Current Assets		8,47,74,129.41	8,41,62,860.22
Current Assets			
(a) Financial Assets			
(i) Cash and Cash Equivalents	9	1,74,290.22	5,72,787.90
(ii) Bank Balance other than (i) above	10	21,97,744.96	11,29,345.85
(iii) Other Financial Assets	7	22,47,046.41	21,98,751.35
(b) Current Tax Assets	11	13,254.79	11,870.66
Total Current Assets		46,32,336.38	39,12,755.77
TOTAL ASSETS		8,94,06,465.79	8,80,75,615.97
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY			
(a) Equity Share Capital	12	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
(b) Other Equity	13	7,186.46	7,287.38
Total Equity		3,75,93,386.46	3,75,93,487.38
LIABILITIES			
Non-Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	14	5,01,12,020.69	4,85,30,288.05
(ii) Other Financial Liabilities - Retention Money	14.12	2,55,000.61	3,28,721.78
(b) Provisions	15	6,932.11	7,219.36
(c) Other Non-Current Liabilities	16	2,76,357.53	3,43,670.05
Total Non - Current Liabilities		5,06,50,310.93	4,92,09,899.25
Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	17	7,83,056.97	8,86,678.05
(ii) Other Financial Liabilities - Retention Money	17	2,89,502.68	2,79,960.87
(b) Other Current Liabilities	18	90,208.74	1,05,590.42
Total Current Liabilities		11,62,768.40	12,72,229.34
Total Liabilities		5,18,13,079.33	5,04,82,128.59
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		8,94,06,465.79	8,80,75,615.97
Accompanying Notes to the Financial Statement	1-41		

In terms of our report attached

For **Raj Kumar Kothari & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 320166E

CA R. K. Kothari
Partner
M. No. : 055208
UDIN : 24055208BKGSAS6842
Place : Kolkata
Dated : 29-7-2024

For and on behalf of Board of Directors

V. K. Srivastava
Managing Director
DIN : 10207179

Samik Bhattacharyya
Chief Financial Officer
PAN : AMWPB7941H

Ambika Jain
Director (Finance)
DIN : 07271472

Mohua Datta Gupta
Company Secretary
PAN : AIEPG3324K

**KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED****Statement of Profit and Loss for the
year ended 31st March, 2024**

(Amount in ₹ thousands)			
Particulars	Note No.	March 31, 2024	March 31, 2023
INCOME			
Revenue From Operations		-	-
Other Income	19	433.72	8,074.70
Total Income		433.72	8,074.70
EXPENSES			
Other Expenses	20	559.01	590.72
Total Expenses		559.01	590.72
Profit Before Tax		-125.29	7,483.98
Tax Expense:			
Current Tax		-	-
Deferred Tax		-	-
Profit/(Loss) for the Period		-125.29	7,483.98
Other Comprehensive Income			
Items that will not be reclassified to Profit and Loss			
Re- Measurement gains/(losses) on Gratuity Plan	15.1	24.37	-211.93
Income Tax Effect		-	-
Provision for Income Tax written back		-	-
Net Other Comprehensive Income not to be reclassified to Profit or loss		24.37	-211.93
Total Comprehensive Income for the period		-100.92	7,272.04
Earnings Per Equity Share :			
(1) Basic Earnings Per Share		-	-
(2) Diluted		-	-
Accompanying Notes to the Financial Statement	1-41		

In terms of our report attached

For **Raj Kumar Kothari & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 320166E**CA R. K. Kothari**
Partner
M. No. : 055208
UDIN : 24055208BKGSAS6842
Place : Kolkata
Dated : 29-7-2024

For and on behalf of Board of Directors

V. K. Srivastava
Managing Director
DIN : 10207179**Samik Bhattacharyya**
Chief Financial Officer
PAN : AMWPB7941H**Ambika Jain**
Director (Finance)
DIN : 07271472**Mohua Datta Gupta**
Company Secretary
PAN : AIEPG3324K



KOLKATA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2024

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	For the year ended March 2024	For the year ended March 2023
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Income Before Tax & Extraordinary Items	-125.29	7483.98
Adjustment for :-		
Other Comprehensive Income (Gratuity)		
Depreciation & amortisation expenses		
Foreign Exchange Fluctuations		-
Interest Income		-
Loss/(Profit) on Sale of Asset / Investment		-
Operating profit Before Working Capital Changes	-125.29	7483.98
Change in Working Capital		
Increase /(Decrease) in Long Term Provisions	-287.25	1,730.92
Increase /(Decrease) in Other Current Liabilities	-15,381.67	11,126.31
Increase /(Decrease) in Non Current Liabilities	-67,312.53	1,80,695.16
Decrease /(Increase) in Other Financial Assets	-2,35,648.01	-2,59,252.68
Decrease /(Increase) in Financial Assets	-48,295.05	-7,73,584.98
Decrease /(Increase) in Financial Liabilities	-64,179.36	1,19,379.78
Decrease /(Increase) in Current Tax Assets	-1,384.13	-9667.2
Net Cash Flow From Operation.....(A)	-4,32,613.29	-7,22,088.72
B. Cash Flow From Investing Activities		
Purchase of Property, Plant & Equipment	-194.57	-10,037.72
Purchase of Capital WIP	-28,896.21	-50,03,676.77
Decrease /(Increase) in Non Current Assets	-3,46,530.41	-2,28,692.50
Net Cash flow From Investing Activities.....(B)	-3,75,621.20	-52,42,406.99
C. Cash Flow from Financing Activities		
Proceeds From Issuance of Share Capital	-	-
Proceeds From Int. Free Subordinated debts	61,80,828.28	27,38,809.22
Proceeds From Long Term Borrowings	-45,99,095.63	3,96,725.58
Proceeds From Short Term Borrowings	-1,03,621.08	2,132.12
Adjustments of Gratuity Other comprehensive Income	24.37	-211.93
Net Cash Flow From Financing Activities(C)	14,78,135.94	31,37,454.99
D. Net increase in Cash & Cash Equivalent (A + B + C)	6,69,901.45	-28,27,040.72
E. Cash & Cash Equivalent at the beginning of the year	17,02,133.73	45,29,174.45
F. Cash & Cash Equivalent at the end of the year	23,72,035.19	17,02,133.73

- Cash Flow Statement has been prepared under the indirect method as set out in the Indian Accounting Standards (IndAS) - 7 "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
- Purchase of Fixed Assets includes movement of Capital Work in Progress during the year.
- Cash and Cash Equivalents at the end of the year represents Cash and Bank Balances.
- Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

In terms of our report attached

For **Raj Kumar Kothari & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 320166E

CA R. K. Kothari
Partner
M. No. : 055208
UDIN : 24055208BKGSAS6842
Place : Kolkata
Dated : 29-7-2024

For and on behalf of Board of Directors

V. K. Srivastava
Managing Director
DIN : 10207179

Samik Bhattacharyya
Chief Financial Officer
PAN : AMWPB7941H

Ambika Jain
Director (Finance)
DIN : 07271472

Mohua Datta Gupta
Company Secretary
PAN : AIEPG3324K



Statement of Changes in Equity

A. EQUITY SHARE CAPITAL

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	March 31, 2024	March 31, 2023
Balance at the beginning of the reporting period	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
Changes in equity share capital due to prior period errors	-	-
Restated balance at the beginning of the current reporting period	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
Changes in equity share capital during the period		
Fresh Allotment of Equity Shares		
- For Cash	-	-
- For consideration other than cash	-	-
Balance at the end of the reporting period	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00

B. OTHER EQUITY

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	Reserve & Surplus		Other Comprehensive Income	Total Equity attributable to equity holders of the Company
	Share Application Money Pending Allotment	Retained Earnings		
Balances as on April 1, 2022	-	558.78	(543.45)	15.34
Changes in equity share capital due to period errors	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the reporting period	-	558.78	(543.45)	15.34
Profit/(Loss) for the year	-	7,483.98	(211.93)	7,272.04
Transaction with Owners in their Capacity As Owners				
Issue of Equity Shares	-	-	-	-
Share Application Money Received	-	-	-	-
Balance as at 31st March 2023	-	8,042.76	(755.38)	7,287.38
Changes in equity share capital due to prior period errors	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the current reporting period	-	8,042.76	(755.38)	7,287.38
Profit/(Loss) for the year	-	(125.29)	24.37	(100.92)
Transaction with Owners in their Capacity As Owners				
Issue of Equity Shares	-	-	-	-
Issue of equity shares other than cash	-	-	-	-
Share Application Money Received	-	-	-	-
Balance as at 31st March 2024	-	7,917.47	(731.01)	7,186.46

In terms of our report attached

For **Raj Kumar Kothari & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 320166E

CA R. K. Kothari
Partner
M. No. : 055208
UDIN : 24055208BKGSAS6842
Place : Kolkata
Dated : 29-7-2024

For and on behalf of Board of Directors

V. K. Srivastava
Managing Director
DIN : 10207179

Samik Bhattacharyya
Chief Financial Officer
PAN : AMWPB7941H

Ambika Jain
Director (Finance)
DIN : 07271472

Mohua Datta Gupta
Company Secretary
PAN : AIEPG3324K



Notes to the Financial Statements

1. Corporate Information

Kolkata Metro Rail Corporation Limited ('The Company'), having CIN – U60100WB2008GOI27338 was incorporated under the Companies Act, 1956 on 9th July, 2008. It is a Government Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013, erstwhile Section 617 of the Companies Act, 1956. The Company being SPV is engaged in the implementation of Kolkata East – West Metro Corridor Project in Kolkata. The company has its registered office situated at Kolkata.

2. Basis of preparation of Financial Statements

2.1 Accounting Policies

These financial statements are prepared in accordance and in compliance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under section 133 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 7 of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended from time to time). The accounting policies adopted for preparation and presentation of financial statements have been consistently applied except for the changes in accounting policy for amendments to the Standards issued by MCA effective for the current accounting period and other rectification in accounting policies adopted in the previous financial year. The presentation of the financial statement is based on Ind AS Schedule III of the Companies Act, 2013.

A policy has been adopted by the management of the organization in accordance to the guidance of Ministry of Railways to transfer the assets from Capital-work-in-Progress to Fixed Assets on full completion of the project and not on phase wise completion. Hence, in spite of commencement of commercial operation of a part of the project, the whole of the amount is being shown under CWIP and there has been no transfer of any newly created asset to Fixed Assets.

Company's Financial Statements are presented in Indian Rupees, which is also its functional currency.

2.2 Accounting Convention

The financial statements have been prepared on the basis of historical cost, accrual and going concern except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period. Historical Cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the company's normal operating cycle and other criteria as set out in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature and the time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current or non-current classification of assets and liabilities.

2.3 Use of Estimates and Judgments

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS requires management to make estimates, judgments and assumptions. These estimates, judgments and assumptions affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the disclosures of contingent assets and liabilities at the reporting date of the financial statements and reported amounts of revenue and expenses during the period. Actual result could differ from these estimates. Changes in estimates are reflected in the financial statements in the period in which changes are made and, if material, their effects are disclosed in the notes to the financial statements.

In respect of works contracts, expenditure is booked as Capital Work in Progress on certification by the engineers.

3. Significant Accounting Policies

3.1 Revenue recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

Interest income from a Financial Asset is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the company and the amount of the income can be measured reliably.

Income from Sale of Tender documents for the construction works are reduced from the expenses pending capitalization.

Interest on advances realized from contractors is adjusted against the respective head of contracts stated in Capital Work in Progress.

Interest earned on Short Term Deposits with Bank is not recognized as Income and reduced from the expenses pending capitalization in Capital Work in Progress as it is treated as Capital receipts. As per the decision of the management interest income earned on term deposit from temporary deployment of fund during the current period has been adjusted with cost of Capital-Work-in-Progress.

Notes to the Financial Statements (contd.)

3.2 Foreign Currencies

In preparing the Financial Statements of the Company, transactions in currencies other than the company's functional currency (INR) are recognized at the exchange rates prevailing on the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date as provided by Aid Accounts and Audit Division. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

3.3 Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

3.4 Employee Benefits

Provident Fund, Leave Encashment:

Company's contribution to provident fund in respect of regular employees are accounted for on accrual basis and charged to Profit and Loss Account. The Company has no other obligation other than contribution payable to the fund.

In respect of deputationists, employee benefits due to employees are paid to their respective organisations / employer from where they have been deputed based on the direction given by their organisations. Leave Salary and Pension Contribution of deputed employees are also transferred to their respective organisations as per their valuation.

Gratuity:

The Company provides for gratuity, Defined Benefit Retirement Plan ('The Gratuity Plan') covering eligible employees. The Gratuity Plan provides a lump-sum payment to vested employees at retirement, death, incapacitation or termination of employment, an amount based on the respective employee's salary and the tenure of employment with the company.

Liabilities with regard to the Gratuity Plan are determined by Actuarial Valuation, performed by an Independent Actuary, at each balance sheet date using the Projected Unit Credit method.

Re-measurement, comprising actuarial gains and losses and the return on plan assets (excluding net interest), is reflected immediately in the balance sheet with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur.

Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and is not reclassified to profit or loss account. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset.

3.5 Taxation

Income Tax Expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Current Tax

The Tax currently payable is based on taxable profit for the year. The Company's current tax is calculated as per applicable rate for the reporting period.

Current tax for current and prior periods, to the extent unpaid, is recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods (assessment year-wise and not cumulative), the excess shall be recognized as an asset.

Deferred Tax

Deferred tax expense or benefit is recognized on timing differences being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period. Deferred Tax Assets are not recognized if there is probable chance that future taxable profit will be available in near future against which they can be realized.

3.6 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment (including furniture, fixtures, vehicles, etc) held for administrative purposes, are stated in the balance sheet at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). Cost of acquisition is inclusive of freight, duties, taxes and other incidental expenses which are directly attributable for the construction or acquisition of such assets.



Notes to the Financial Statements (contd.)

Tangible assets will be recognised when the entire project is ready for commercial operation and will be dealt with as per the Ind AS 16 Property, Plant and Equipment after apportionment of pre-operative expenditure and identifying other tangible assets.

3.6.1 Leases

Ind AS 116 states, a contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

3.6.1.1 As a Lessee

Lease of assets, where the company, as a lessee, has not substantially assumed all the risks & benefits of ownership of the leased asset at the commencement date shall measure the right-of use asset (RoU) at cost. Subsequently, following para 31 of Ind AS 116, the asset is depreciated which is recognized as an expense in the Statement of Capital Work in Progress on a straight line basis, over the lease term.

3.7 Capital Work in Progress

Assets under construction as on the reporting date of Balance Sheet are shown as Capital-Work-in-Progress. Capital work in progress is considered to be in the nature of PPE under construction and the provisions of Ind AS 16 Property, Plant & Equipment will apply to it.

Construction expenditures, fees paid to consultants and all other costs less any income attributable to the project along with pre-operative expenditure during construction are shown as Capital-Work-in-Progress till capitalisation. The same shall be allocated to the assets in the ratio of Assets Capitalised to the Total Capital-Work-in-Progress. Recovery from contractors towards interest and others are adjusted against construction expenditure pending capitalisation. As per MoU of the Company with GoWB all SGST paid by the Company will be reimbursed by the State Govt. Hence, all SGST has been put under Non-Current Assets as SGST Receivable with year wise break-up and corresponding reduction from CWIP.

Year	SGST Amount
2017-18	2,10,019.98
2018-19	4,26,944.27
2019-20	4,59,627.83
2020-21	2,41,115.90
2021-22	2,71,461.28
2022-23	2,58,395.15
2023-24	2,71,390.72

3.8 Depreciation & Amortisation

The company depreciates Property, Plant and Equipment over their estimated useful lives using the Written down Value method at the rates specified in Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on the assets purchased during the year is provided on the basis of put to use date.

The estimated useful lives of assets are as follows:

Asset	Useful Life (in years)
Building	60
Air Conditioning and Others	10
Computer Equipment	3
Motor Vehicle	8
Office Equipment	5
IT System & Networking	6

The management believes that the estimated lives are realistic and reflect fair approximation of the period over which the assets are likely to be used. Estimates may change due to technological development, change in market conditions and other factors and may result in changes in the estimated useful life and in the depreciation charges.

Freehold Land is not depreciated.

Leasehold Land is taken as an RoU asset which is to be amortised over the lease period on a straight line basis.

Notes to the Financial Statements (contd.)

3.9 Impairment of Tangible Assets (Property, Plant and Equipment)

At the end of each reporting period, the company reviews the carrying amounts of its Property, Plant & Equipment to determine whether there is any indication that the assets has suffered any impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the assets is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Recoverable amount is the higher of fair value less cost of disposal and value in use.

3.10 Borrowing Costs

Ind AS 23 Borrowing Costs states that borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset forms part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense.

The company's Project is specifically funded by Japan International Cooperative Agency (JICA) and Interest Free Subordinate Debt from Government for the same. Since this borrowing is specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, interest cost is eligible for capitalization less any income earned on the temporary investment on those borrowing. Borrowings on account of subordinate debt, being interest-free in nature, the company has not assessed its fair value as on the date of Balance Sheet. However, Loan is to be serviced by Ministry of Finance and it has been booked as Pass through Assistance (PTA).

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions are recognized when the company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Liabilities are disclosed in the notes based on the judgment of the management. Contingencies the likelihood of which is remote are not disclosed in the Financial Statements. Contingent Assets are not recognized until the contingency has been resolved and amounts are received or receivable.

3.12 Equity Instruments
3.12.1 Equity Shares

Ordinary shares are classified as equity shares only.

3.13 Change in Accounting Policy

In the financial year 2020-21, there was a change in accounting policy with a prospective effect. During the FY 2020-21, the net of other comprehensive income was transferred to pre-operative expenses and capitalised as capital work-in-progress. This was done to provide a reliable and more relevant information as the company being an SPV does not generate any revenue and has been established with the object of construction of East-West Metro and not for its operation on completion of the project.

However, in compliance to the observation made by the C&AG of India, while auditing the Annual Accounts for the FY 2020-21, Profit & Loss Account has been prepared for the FY 2022-23, comprising the transactions not directly attributable to the project.

(Amount in ₹ thousands)

4.0 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT	NOTE NO	March 31, 2024	March 31, 2023
Net Block	4.1	4,23,206.24	4,13,168.52
Add: Addition made during the year		6,292.87	21,818.23
Less: Deletion made during the year		-	-139.58
Less: Total Depreciation during the year		-6,098.30	-11,640.92
Net Block		4,23,400.82	4,23,206.24

Notes to the Financial Statements (contd.)

4.1 PROPERTY PLANT & EQUIPMENT

Following are the changes in the carrying value of the Property, Plant & Equipment for the year ended 31st March 2024 :

Particulars	Freehold Land	Buildings	Furniture & Fixtures	Vehicle	Office Equipment	Computer Equipment	I T System & Networking	Total
								(Amount in ₹ thousands)
Gross Carrying value as of April 1, 2023	2,54,768.99	46,741.73	18,130.74	917.12	18,412.05	14,020.90	8,018.58	3,61,010.11
Addition	-	-	302.34	-	794.07	4,334.00	862.46	6,292.87
Deletion/Disposals/Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-
Gross Carrying value as of March 31, 2024	2,54,768.99	46,741.73	18,433.09	917.12	19,206.11	18,354.90	8,881.04	3,67,302.98
Accumulated depreciation as of April 1, 2023	-	20,417.99	14,153.95	871.27	16,948.04	13,079.08	6,622.00	72,092.33
Depreciation and Amortisation for the year	-	1,268.51	169.53	-	86.96	724.00	559.35	2,808.36
Accumulated Depreciation on Deletion/Diposal/Adjustments	-	-	-	-	-	-	-	-
Accumulated depreciation as of March 31, 2024	-	21,686.50	14,323.48	871.27	17,035.00	13,803.08	7,181.36	74,900.68
Net Carrying value as on March 31, 2024	2,54,768.99	25,055.24	4,109.61	45.86	2,171.11	4,551.82	1,699.68	2,92,402.29

Particulars	Freehold Land	Buildings	Furniture & Fixtures	Vehicle	Office Equipment	Computer Equipment	I T System & Networking	Total
								(Amount in ₹ thousands)
Gross Carrying value as of April 1, 2022	2,36,603.77	46,471.73	16,811.37	917.12	18,042.92	12,558.11	7,945.22	3,39,620.25
Addition	18,165.22	-	1,319.37	-	369.13	1,891.46	73.35	21,818.54
Deletion/Disposals/Adjustments	-	-	-	-	-	428.68	-	428.68
Gross Carrying value as of March 31, 2023	2,54,768.99	46,471.73	18,130.74	917.12	18,412.05	14,020.90	8,018.57	3,61,867.47
Accumulated depreciation as of April 1, 2022	-	18,760.45	13,908.04	871.27	16,775.77	11,080.96	5,923.89	67,320.39
Depreciation for the year	-	1,657.53	245.91	-	172.28	2,287.21	698.11	5,061.04
Accumulated Depreciation on Deletion/Diposal/Adjustments	-	-	-	-	-	289.09	-	289.09
Accumulated depreciation as of March 31, 2023	-	20,417.98	14,153.95	871.27	16,948.05	13,079.08	6,622.00	72,092.33
Net Carrying value as on March 31, 2023	2,54,768.99	26,323.75	3,976.79	45.86	1,464.00	941.82	1,396.57	2,88,917.78

Notes to the Financial Statements (contd.)

4.1.1 LEASE HOLD LAND

Following are the changes in the carrying value of the Leasehold Land for the year ended 31st March 2024:

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	Leasehold Land	Total
Gross Carrying value as of April 1, 2023	1,97,396.52	1,97,396.52
Addition	-	-
Deletion/Disposals/Adjustments	-	-
Gross Carrying value as of March 31, 2024	1,97,396.52	1,97,396.52
Accumulated depreciation as of April 1, 2023	63,107.75	63,107.75
Depreciation and Amortisation for the year	3,289.94	3,289.94
Accumulated Depreciation on Deletion/Disposal/Adjustments	-	-
Accumulated depreciation as of March 31, 2024	66,397.69	66,397.69
Net Carrying value as on March 31, 2024	1,30,998.83	1,30,998.83

Particulars	Leasehold Land	Total
Gross Carrying value as of April 1, 2022	1,97,396.52	1,97,396.52
Addition	-	-
Deletion/Disposals/Adjustments	-	-
Gross Carrying value as of March 31, 2023	1,97,396.52	1,97,396.52
Accumulated depreciation as of April 1, 2022	56,527.86	56,527.86
Depreciation for the year	6,579.88	6,579.88
Accumulated Depreciation on Deletion/Disposal/Adjustments	-	-
Accumulated depreciation as of March 31, 2023	63,107.75	63,107.75
Net Carrying value as on March 31, 2023	1,34,288.77	1,34,288.77

4.1.2 Freehold Land includes ₹ 3,00 crores paid to Calcutta State Transport Corporation towards cost of land at 10, Lu Su Sarani, Kolkata for construction of Building for rehabilitation of project affected people of Mahakaran and Central Station.

4.1.3 The value of land does not include the cost of an area of 38.5 acres of plot given by Government of West Bengal to Kolkata Metro Rail Corporation Limited on permissive possession basis at Salt Lake as only right to use has been given

4.1.4 There were no impairment of assets during the year.

4.1.5 The treatment of lease rental for leasehold land is in compliance with the requirements of Para - 31 of Ind AS-116 where as a lessee KMRC has followed amortisation of the initial lease payment in straight line method, since inception of the lease uniformly over the lease period.



Notes to the Financial Statements (contd.)

		(Amount in ₹ thousands)	
5.0	CAPITAL WORK IN PROGRESS	NOTE NO	
	Expenditure Directly Related to CWIP		
	Civil Construction Expenditure		
	Elevated Viaduct		31,41,022.55
	Station Building and Design		31,08,783.31
	Underground Tunnelling- UG-1		2,10,06,918.04
	Underground Tunnelling- UG-2		1,98,17,696.53
	Central Park Depot		17,50,932.23
	Track works		22,74,236.59
	Tunnel Ventilation System		10,77,118.27
	Underground Environmental Control System		13,63,539.24
	Underground E&M		21,77,065.23
	UFD- Ultrasonic Flaw Detector		276.86
	UFWL- Under Floor Wheel Lathe		76,831.79
	Power Supply		34,74,891.25
	Signaling & Communication		34,99,354.71
	Rolling Stock		99,46,805.14
	Automatic Fare Collection System		4,36,869.95
	Automatic Smart Card Recharge Machine		22,886.98
	Lifts & Escalators		7,10,191.46
	Platform Screen Door/ Platform Screen Guard		5,13,032.16
	Independent Safety Assessment		25,749.04
	Depot Store Machine		4,01,133.94
	Manpower supply for Operation & Maintenance		98,784.90
	Scanner		61,495.58
	Other Ancillary Works		81,329.81
	Consultancy Fees		
	General Consultants		57,35,617.25
	Prime Consultants		1,71,375.53
	Others		88,343.54
			8,10,62,281.89
	Pre - Operative Expenditure Pending Allocation	6	-4,74,434.10
			8,05,87,847.79
			7,80,23,830.62
			8,05,58,951.58

- 5.1 Interest earned on Mobilisation Advance and Retention Money, realised from Contractors have been adjusted against Capital Expenditure of the respective cost centres during the year.
- 5.2 As per clause 10.4 of the MoU dated 27.10.2008 between Govt of India (GoI) , Govt. of West Bengal (GoWB) and Kolkata Metro Rail Corporation Limited (KMRCL) , GoWB will either exempt or reimburse to KMRCL all local taxes, duties and levies incurred for the implementation of the project. Accordingly, taxes reimbursed / reimbursable by GoWB (VAT amounting to ₹ 78.26 crores) is reduced from the cost of respective Assets under Construction.
- 5.3 Post Implementation of GST from 1st July, 2017 a claim of Rs.160.92 Crores has been preferred to GOWB towards reimbursement of SGST (State Goods & Service Tax) upto the period March 2022. Claim of Rs. 21.00 crores has been submitted pertaining to F.Y. 2022-23 out of the total claim of Rs. 25.84 crores. Pending processing of the claim by GOWB the claimed amount have been adjusted against the cost of respective Assets under Construction and kept separately as Non- Current Other Financial Assets. Year Wise Break Up of the SGST Claim Receivable is : FY-2017-18 - Rs.21.00cr, FY- 2018-19 - Rs.42.69cr, FY- 2019-20 - Rs.45.96 cr & FY 20-21 - Rs. 24.11 Cr, FY 21-22- Rs. 27.14 Cr, FY 22-23 - Rs. 25.84 Cr, FY 23-24-Rs.27.14 Cr.
- 5.4 Capital Work in Progress includes expenses incurred in relation to operations and maintenance of elevated portion of the project whose commercial operation has been entrusted to Metro Railway, Kolkata for commercial operations from February, 2020 and income in relation the same is recognised by Metro Railway.

Notes to the Financial Statements (contd.)

6.0 PRE-OPERATIVE EXPENDITURE (PENDING ALLOCATION)

(Amount in ₹ thousands)					
	Note No	As at 31-3-24	Addition/Deletion during the year 2023-24	As at 31-3-23	Addition/Deletion during the year 2022-23
EXPENSE					
Borrowing Cost	6.1	40,12,399.72	3,85,443.80	36,26,955.92	3,70,001.70
Employee Benefit Payment	21.1	8,96,057.30	1,15,797.48	7,80,259.82	1,11,321.67
Depreciation & Amortization Expenses		1,37,375.76	4,012.97	1,33,362.79	11,640.92
Bank Charges		15,463.87	112.84	15,351.02	346.03
Advertisement Expenses		47,361.31	-	47,361.31	1,089.77
Exchange Fluctuation Cost		-46,58,061.55	-39,07,332.25	-7,50,729.30	-2,32,334.78
Legal & Professional Charges		1,11,305.79	32,838.83	78,466.96	20,963.96
Other Administrative Expenses	21.2	12,35,010.72	4,31,696.69	8,03,314.04	1,55,313.04
Income Tax for Earlier Years		2,01,972.27	-	2,01,972.27	-
Reimbursement to Metro Railway		50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
		20,48,885.19	-29,37,429.64	49,86,314.83	4,88,342.31
INCOME					
Interest on Term Deposit	6.2	24,71,864.70	66,939.61	24,04,925.09	2,94,705.76
Others		6,996.14	515.12	6,481.02	1,448.57
Rent Recovery from TTA& KRJV	6.3	5,607.87	2,416.96	3,190.91	180.84
Rent from Mobile Coverage		2,448.99	1,214.27	1,234.72	-157.68
Earnest Money Forfeiture		480.00		480.00	-
Sale of Tender Documents		12,533.98		12,533.98	56.90
Interest on IT Refund		18,258.00		18,258.00	
Interest on Security Deposit		5,129.62	1,039.46	4,090.15	982.68
Less : Income generated under operation		25,23,319.29	72,125.42	24,51,193.87	2,97,217.08
Net Pre Operative Expenses transferred to CWIP		(4,74,434.10)	(30,09,555.06)	25,35,120.96	1,91,125.23

6.1 Borrowing Costs during the PERIOD ENDED includes	NOTE NO	March 31, 2024	March 31, 2023
Interest Expense JICA		3,85,443.80	3,70,001.70
Total		3,85,443.80	3,70,001.70

- 6.2** Interest Income has been adjusted so as to take only the actual Interest Received and Accrued Interest on SBI Sweep Account for the FY.2023-24. All interest accrued on investments which have been prematured have been adjusted to include only Interest Received.
- 6.3** Rent Recovered from Contractor without any formal agreement or contract with them.
- 6.4** Since CAAA is making payment on behalf of KMRL, difference in exchange rate fluctuation is not available with the management. Foreign exchange fluctuation expense of ₹ 3,90,73,32,247 is recorded considering the RBI closing rate as on 31.03.24 on the net payable amount in JPY. (FY. 2022-23 it was ₹ 23,23,34,779)



Notes to the Financial Statements (contd.)

(Amount in ₹ thousands)

7.0 OTHER FINANCIAL ASSETS	NOTE NO	March 31, 2024	March 31, 2023
Non- Current			
Un Secured, Considered Good			
Security Deposits	7.1	20,538.60	19,661.22
Vat Receivable from GOWB	5.2	4,13,843.69	4,13,843.69
SGST Receivable from GOWB	5.3	21,02,280.18	18,67,564.41
Other Receivables		336.69	281.84
Total		25,36,999.17	23,01,351.16
Current			
Un Secured , Considered Good			
Interest Receivable against Security Deposits		-	-
Other Advances			
Other Advances/Prepaid		630.73	322.70
Fixed Deposit (includes Accrued Interest)	7.2	22,46,415.67	21,98,428.66
Total		22,47,046.41	21,98,751.35
Total Loans and Advances		47,84,045.57	45,00,102.51

7.1 Security Deposits represent Deposits given to Public Utility Services like Electricity and carried at historical cost. It also contains Deposit given to Kolkata Port Trust for using additional 375 sq. mt. of land for Vent Shaft purpose.

7.2 Fixed Deposit of ₹ 5.74 Crore has been pledged with High Court for a case against a contractor (ITD ITD Cem JV) for reimbursement of PBG and car insurance due to delay in work.

8.0 OTHER ASSETS	NOTE NO	March 31, 2024	March 31, 2023
NON CURRENT			
Secured, Considered good			
Capital Advances			
Advance to Contractors	8.1	2,81,008.03	3,24,706.29
Advances to Government Bodies for Utility Services	8.2	5,78,208.99	1,89,147.82
Advance paid for Land Acquisition	8.3	3,30,177.77	3,30,177.77
Total Capital Advances		11,89,394.79	8,44,031.88
Advances other than Capital Advances			
Balances with Revenue Authorities			
Income Tax	8.4	36,417.29	35,249.78
Service Tax		69.56	69.56
TOTAL		12,25,881.64	8,79,351

8.1 Advance to Contractors	March 31, 2024	March 31, 2023
Mobilisation Advance	2,52,874.84	2,96,573.10
TOTAL	2,52,874.84	2,96,573.10

8.1.1 Mobilisation advances given as per terms of contract are fully secured by way of Financial Bank Gurantees received from the Contractors.

8.1.2 Other advance to contractors also include ₹ 2,81,33,188 as the VAT amount paid to M/s Simplex Infrastructure Limited (M/s SIL) to be reimbursed by GoWB as per MOU which was subsequently refused by GoWB without stating any reason. Hence, M/s SIL was asked to give the amount back. However, a legal dispute arose and at present an appeal against arbitration award in favour of M/s SIL is pending before Calcutta High Court. In the said appeal, this amount is also included as receivable from M/s SIL. The last hearing took place on 16.03.2022 and the issue is yet to be settled.

8.2 Capital Advances made towards Utility Services is fully secured as the money has been paid to Government Agencies such as Eastern Railway etc. and the advances will be adjusted in due course as and when work is completed.

8.3 Advances paid for Land Acquisition represents adhoc payment to LAC, West Bengal for acquisition of Land at different locations for the project and possession for those land are yet to be handed over to KMRCL. The Company vide Letter dt. 13.10.2017 have requested to GoWB for refund of an amount of ₹ 2923.77 Lakhs for change in alignment of East-West Metro, land no more required. The matter is pending for settlement.

Notes to the Financial Statements (contd.)

- 8.4** Income Tax Refundable Assessment Year Wise : Details of Assessment year Income Tax Refunds and Income Tax paid on Dispute are as under :

Assessment Year	Income Tax Refundable	Income Tax Paid under Dispute	Total
AY 2013-14	18,640.79	-	18,640.79
AY 2014-15	16,559.57	49.43	16,608.99
Total	35,200.36	49.43	35,249.78

- 8.4.1** Order u/s 250 has already been passed in CIT (A) for A.Y. 2013-14 & 2014-15 , and refund for the same is pending.

(Amount in ₹ thousands)

9.0 CASH AND CASH EQUIVALENTS	NOTE NO	March 31, 2024	March 31, 2023
Balance with Banks			
In Current Account		1,74,290.22	5,72,787.90
TOTAL		1,74,290.22	5,72,787.90
10.0 OTHER BANK BALANCES	NOTE NO	March 31, 2024	March 31, 2023
Other Bank Balances			
Fixed Deposit (Maturity not more than 12 months)		21,59,230.57	11,02,772.29
Interest Accrued on above		38,514.40	26,573.56
TOTAL		21,97,444.96	11,29,345.85
10.1 Fixed Deposits includes Deposit of ₹ 1 lacs pledged with a Bank towards issuance of Bank Guarantee to Department of Telecommunications.			
10.2 Fixed deposit includes ₹ 8.94 crores of interest which belongs to a period prior to the earliest period presented which has			
11.0 CURRENT TAX ASSETS	NOTE NO	March 31, 2024	March 31, 2023
Tax Assets			
Tax Deducted at Source		13,254.79	11,870.66
Total		13,254.79	11,870.66



Notes to the Financial Statements (contd.)

12.0 EQUITY SHARE CAPITAL

(Amount in ₹ thousands)

Authorized Share capital

Equity Share Capital

3,75,86,20,000 (37,58,62,000)

Equity Shares of ₹ 10/- each

Issued, Subscribed and Fully Paid Up

3,75,86,20,000 (37,58,62,000)

Equity Shares of ₹ 10/- each

Note No.

March 31, 2024

March 31, 2023

3,75,86,200.00

3,75,86,200.00

3,75,86,200.00

3,75,86,200.00

3,75,86,200.00

3,75,86,200.00

12.1 Terms/rights attached to Equity Shares

The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹10 per share. Each holder of equity share is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the Company, the holder of equity shares will be entitled to receive any of the remaining assets of the Company in proportion to the number of equity shares held by the respective shareholders.

(Amount in ₹ thousands)

12.2 Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting year

Particulars	As at 31st March, 2024		As at 31st March, 2023	
	No. of Shares	Amount ₹	No. of Shares	Amount ₹
A. Equity Share Capital				
Balance at the beginning of the reporting period	3,75,86,20,000	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
Changes in equity share capital during the period - Fresh Allotment of Equity Shares				
- For Cash	-	-	-	-
- For consideration other than cash	-	-	-	-
Balance at the end of the reporting period	3,75,86,20,000	3,75,86,200.00	3,75,86,20,000	3,75,86,200.00

12.3 Detailed of Shareholders holding more than five percent Equity Shares (5%)

Name of Shareholder's	As at 31st March, 2024		As at 31st March, 2023	
	No. of Shares	% held	No. of Shares	% held
President of India through Ministry of Railways	2,78,13,79,200	74.00%	2,78,13,79,200	74.00%
President of India through Ministry of Housing & Urban Affairs	97,72,40,000	26.00%	97,72,40,000	26.00%

12.4 Details of Promoters holding

Promoter's Name	At the beginning of the year		At the end of the year		% Change during the year
	No. of Shares	% of total Share	No. of Shares	% of total Share	
President of India through Ministry of Railways	2,78,13,79,200	74.00%	2,78,13,79,200	74.00%	0.00%
President of India (Ministry of Urban Development)	97,72,40,000	26.00%	97,72,40,000	26.00%	0.00%
Nominees of President of India	800	0.00%	800	0.00%	0.00%

12.5 For the period of 5 years immediately preceding the date of Balance Sheet Reporting Date

- (a) Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up without payment being received in cash NIL
- (b) Aggregate number and class of shares allotted as fully paid up by way of bonus shares NIL
- (c) Aggregate number and class of shares bought back NIL

Notes to the Financial Statements (contd.)

13.0 OTHER EQUITY

(Amount in ₹ thousands)

	Note No	March 31, 2024	March 31, 2023
A. Share Application Money Pending Allotment	13.2	-	-
Closing Balance (Total A)		-	-
B. Reserves and Surplus			
Surplus :			
Opening Balance		8,042.76	558.78
Add : During the year		-125.29	7,483.98
Less : Transfer to CWIP*	13.1	-	-
Closing Balance (Total B)		7,917.47	8,042.76
C. Other Comprehensive Income			
Opening Balance		-755.38	-543.45
From Remeasurement of Defined Benefit Obligation net of Income Tax		24.37	-211.93
Closing Balance (Total C)		-731.01	-755.38
Balance at the end of the year (A+B+C)		7,186.46	7,287.38

13.1 The company has transferred (for 20-21 Rs. 217,82,05,388/-, for 19-20 ₹ 236,92,20,200/- and for earlier years ₹ -19,10,14,813/-) to Capital Work In Progress (CWIP) which were earlier booked in Profit and Loss Account. As per the management opinion, since KMRL is a SPV, all the expenses incurred are related to CWIP hence income/expenses booked earlier as revenue now transferred to CWIP.

13.2 **Share Application Money Pending Allotment**
The Share Application Money does not include any Share Premium

13.3 Reconciliation of Changes in Share Application Money Pending Allotment

(Amount in ₹ thousands)

Particulars	Note No	As at 31st March, 2024	As at 31st March, 2023
Share Application Money Pending Allotment			
Balance at the beginning of the reporting period		-	-
Add : Fresh Share Application Money Received		-	-
Less : Shares Alloted during the year		-	-
Balance at the end of reporting period		-	-

14.0 BORROWINGS

(Amount in ₹ thousands)

	Note No	March 31, 2024	March 31, 2023
NON CURRENT			
Unsecured			
Senior Term Debt (JICA)	14.1 to 14.9	3,13,97,875.28	3,52,13,913.95
Interest free loan from Government of India	14.10 and 14.11	1,94,97,202.38	1,33,16,374.10
		5,08,95,077.66	4,85,30,288.05

14.1 Japan International Co-operation Agency (JICA) has entered into an Agreement with President of India to provide support for the Infrastructural Development in India. One such proposal was construction of East West Metro Project in Kolkata in the State of West Bengal to cope up with the increase of traffic demand in Kolkata Metropolitan area by extending the mass rapid transportation system, thereby promoting regional economic development and improving urban development and improving urban environment, through mitigation of traffic jams and decrease of pollution caused by increasing motor vehicles.

Notes to the Financial Statements (contd.)

JICA Loan is sovereign guranteed Loan and is supported by necessary Loan agreement which details the terms and conditions of the Loan.

JICA Loan is a long term Financial Liability and is carried at Amortised Cost in the financial statement in accordance with IND-AS-32.

14.2 JICA has sanctioned Loans in two tranches detailed hereunder :

Particulars	Agreement Date	Sanctioned Amount (Amount in lacs in Yen)	Purpose of loan	Rate of Interest	Commitment Charges Payable on Unutilised Amount
Loan A/c 192 Loan A/c 192A	10/03/2008	64,370.00	Construction Cost Technical Consultancy Contingency Loan	1.20% 0.01%	0.01%
Loan A/c 207 Loan A/c 207A	31/03/2010	64,370.00 2,34,020.00	Construction Cost Technical Consultancy	1.40% 0.01%	0.01%
Loan A/c 263 Loan A/c 263A	28/09/2018	2,59,030.00	Construction Cost Technical Consultancy	1.20% 0.01%	0.01%
Loan A/c 295 Loan A/c 295A	26/03/2021	2,59,030.00 90,910.00	Construction Cost Technical Consultancy	1.15% 0.01%	0.01%
		90,910.00			
		6,48,330.00			

14.3 Maturity Profile of JICA Loan is as under :

(Amount in JPY'000)

Particulars	2023-24	2024-25	After 2024-25
JICA Loan			
- Loan A/c 192	3,11,688.00	311,688.00	4,051,944.00
- Loan A/c 207	11,09,726.00	11,09,726.00	1,66,45,890.00
Total	14,21,414.00	14,21,414.00	2,06,97,834.00

14.4 These loans carries a moratorium period of 10 years from the date of agreement . Repayment of principal will commence after the moratorium period and would be fully paid over a period of 20 years in half yearly installments.The Repayment of Principal of Loan No-192 had commenced from March 2018 and that of Loan no- 207 had commenced from March 2021 as per the terms of agreements. The repayment of Loan No. 263 & Loan No. 295 will commence from September 2028 and March 2031 respectively.

14.5 The Servicing of interest, installment of Principal and other dues is being done by Controller of Aid Accounts and Audit (CAAA), Govt of India. So far , the company has provided for interest in its books of accounts but no outflow has been made from the bank accounts of the company, as the same is serviced by CAAA. In light of the above, the company has not provided any for overdue charges to the extent of 2% on outstanding amount in the books of account as stipulated in the loan agreement. CAAA has not raised any demand on this account as on the date of Balance Sheet.

14.6 Disbursement against Loan ID- P207 has been stopped post May'2018. The Company is of the view since no disbursement of the loan has been made post May'2018, no provision for commitment charges against the loan is required.

14.7 Outstanding JICA Loan has been segregated into Current and Non-current. Current JICA Loan has been made on the basis of installments falling due within one year from the date of Balance Sheet as per amortisation schedule of the respective loan agreements.

14.8 Foreign Exchange Fluctuations on JICA loans - The Loan has been retranslated in INR on the Balance Sheet date at the rate confirmed by CAAA. The conversion rate is considered as 0.5509 based on RBI reference rate on 31st March, 2024. Foreign Exchange Fluctuation has been capitalised to Capital Work-in-Progress as per IND AS- 32.

Particulars	As on 31-3-24 Loan (Yen)	As on 31-3-24 Loan (INR) Not Translated	Foreign Exchange Fluctuation Expense on Borrowing	As on 31-3-24 Loan (INR) Translated
Loan A/c 192	43,63,632.00	24,03,924.87	3,10,998.39	27,14,923.26
Loan A/c 207	1,77,55,616.00	97,81,568.85	12,56,252.53	1,10,37,821.38
Loan A/c 263	2,58,26,535.42	1,42,27,838.36	17,32,960.53	1,59,60,798.89
Loan A/c 295	90,48,000.00	49,84,543.20	6,07,120.80	55,91,664.00
	5,69,93,783.42	3,13,97,875.28	39,07,332.25	3,53,05,207.53

Notes to the Financial Statements (contd.)

14.9 Details of JICA Loan

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Repayment during the year	Foreign Exchange Fluctuation	Closing Balance (INR)
Principal	3,61,00,592.00		7,95,384.47	-39,07,332.25	3,13,97,875.28
Interest Accrued and Due	-	3,85,443.70	3,85,443.70	-	-
Commitment Charges due	51,687.94	-	-	-	51,687.94
	3,61,52,279.94	3,85,443.70	11,80,828.17	-39,07,332.25	3,14,49,563.21

14.10 Subordinate Debt

The Ministry of Railways ,(MOR) and Ministry of Housing and Urban Affairs ,(MOHUA) being the current Joint Promoters and Govt of WB (earstwhile Joint Promoters of the project) had given interest free Subordinate Debt to the Company for meeting up the Central Taxes, Duties and other related Capital expenditure advanced for the project. Repayment Schedule and other terms and conditions of these debts are yet to be framed and fixed. The Loan from Ministry of Urban Development is repayable during 2021 to 2025 after repayment of entire Senior Term Debt i.e. Loan from JICA availed for the project.

In view of uncertainty in repayment terms and period , the loans are carried at historical cost. Further the company is not recognising the benefit of Government loan at below market rate of interest as Government Grant.

14.11 Borrowing Power	Note No.	March 31, 2024	March 31, 2023
Subordinate Debt - Govt. of India through Ministry of Housing and Urban Affairs	14.7	17,10,700.00	17,10,700.00
Subordinate Debt - Govt. of India through Ministry of Railway		78,68,900.00	48,68,900.00
Senior Term Debt (JICA)/PTA		-	-
JICA Loan Repayment by Ministry of Finance along with Interest		70,81,607.24	59,00,778.97
Pass Through Assistance - MoR		2,56,25,082.38	2,36,25,082.38
Less:			
Receivable from MOR towards JICA		-2,27,89,087.24	-2,27,89,087.24
		1,94,97,202.38	1,33,16,374.10

14.12 Non Current Financial Liabilities	Note No	March 31, 2024	March 31, 2024
Security Deposit & Retention Money	17.1	2,55,000.61	3,28,721.78
		2,55,000.61	3,28,721.78

15.0 PROVISIONS

(Amount in ₹ thousand)

	Note No	March 31, 2024	March 31, 2023
Provision for Employee Benefits :			
Provision for Gratuity		3,333.20	3,419.40
Provision for Leave Salary		3,598.91	3,799.96
		6,932.11	7,219.36

Notes to the Financial Statements (contd.)

- 15.1 The Company accounts for liability of future gratuity benefits and leave salary benefits of its eligible employees on the basis of Actuarial Valuation.

Defined Benefit Plans

- (i) Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit Obligation

Particulars	Gratuity (unfunded)	
	March 31, 2024	March 31, 2023
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	34,19,401.00	26,83,749.00
Current Service Cost	2,84,261.00	3,08,253.00
Interest Cost	2,18,651.00	1,93,966.00
Actuarial (Gain) / Loss	-24,372.00	2,11,934.00
Benefits Paid	-5,64,742.00	-
Adjustments for previous FY*	-	21,499.00
Defined Benefit Obligation at end of the year	33,33,199.00	34,19,401.00
(ii) Expenses recognised during the year		
In Income Statement		
Current Service Cost	2,84,261.00	3,08,253.00
Interest Cost	2,18,651.00	1,93,966.00
Net Cost	5,02,219.00	5,02,219.00
In Other Comprehensive Income		
Actuarial (Gain) / Loss	24,372.00	2,11,934.00
Net (Income)/ Expense for the year recognised in OCI	-24,372.00	2,11,934.00

- (iii) Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit Obligation

Particulars	Leave Salary (unfunded)	
	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	37,99,958.00	32,03,090.00
Current Service Cost	3,99,668.00	2,65,222.00
Interest Cost	2,22,062.00	1,99,554.00
Actuarial (Gain) / Loss	4,05,195.00	5,51,995.00
Benefits Paid	12,27,971.00	-
Adjustments for previous FY*	-24,55,942.00	-4,19,903.00
Defined Benefit Obligation at end of the year	35,98,912.00	37,99,958.00

Notes to the Financial Statements (contd.)

16.0 OTHER NON CURRENT LIABILITIES

	Note No	March 31, 2024	March 31, 2023
Trade Payable for Capital Goos			
- Outstanding dues of micro enterprise and small enterprise			
- Outstanding dues of creditors other than micro enterprise and small enterprise			
		2,76,357.53	3,43,670.05
		<u>2,76,357.53</u>	<u>3,43,670.05</u>

There is no interest due or outstanding on the dues to Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) as on 31.03.24

Trade payables ageing schedule for the year ended as on March 31, 2024 and March 31, 2023 is as follows :

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Outstanding dues to MSME					
Others	2,61,443.01	9,899.78	3,911.52	1,103.22	2,76,357.53
Less : Advance					-
Total	2,61,443.01	9,899.78	3,911.52	1,103.22	2,76,357.53

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Outstanding dues to MSME					
Others	3,33,132.71	3,911.52	1,103.22	5,522.60	3,43,670.05
Less : Advance				28,133.19	28,133.19
Total	3,33,132.71	3,911.52	1,103.22	5,522.60	3,43,670.05

17.0 FINANCIAL LIABILITIES

	Note No	March 31, 2024	March 31, 2023
CURRENT			
Borrowings			
Unsecured			
Loan from Japan International Corporation Agency (JICA) through Government of India	14 to 14.9	7,83,056.97	8,86,678.05
Security Deposit & Retention Money	17.1	<u>2,89,502.68</u>	<u>2,79,960.87</u>
		<u>10,72,559.66</u>	<u>11,66,638.92</u>

17.1 Security Deposit and Retention money withheld by the Company is released on completion of defect liability period. Classification of such Retention money and security deposit withheld into current and non-current is done on the basis of managements estimation of expiry of the completion of such defect liability period within one (1) year or beyond from the balance sheet date.

18.0 OTHER CURRENT LIABILITIES

	Note No	March 31, 2024	March 31, 2023
Other Payables			
Employee Benefit Payable		73.55	6,616.14
Liabilities for Expenses		2,095.25	153.97
Statutory Dues		29,342.19	39,677.66
Earnest Money Deposit		7,008.82	7,454.72
Commitment Charges on JICA Loan	14.5	<u>51,687.94</u>	<u>51,687.94</u>
		<u>90,208.74</u>	<u>1,05,590.42</u>

19.0 OTHER IMCOME

	Note No	March 31, 2024	March 31, 2024
Interest on IT Refund		433.72	8074.70
Rent from Mobile Coverage		-	-
Total		<u>433.72</u>	<u>8074.70</u>

20.0 OTHER EXPENSES

	Note No	March 31, 2024	March 31, 2023
Director Sitting Fees		-	41.30
Payment to Auditors			
- Statutory Audit		217.01	237.42
- Internal Audit		330.00	300.00
- Tax Audit		12.00	12.00
Total		<u>559.01</u>	<u>590.72</u>



Notes to the Financial Statements (contd.)

22. Additional Regulatory Information as required by Schedule III to the Companies Act, 2013:

a) Details of Title deeds of Immovable Property not held in the name of the Company

Relevant line item in Balance Sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
Property, Plant & Equipment	Leasehold land	1,97,396.52	Kolkata Port Trust	No	From F.Y. 2012-13 till present	The Company has taken the land on lease for a period of 30 years. The Company is in the process of registering the same in its own name.
Property, Plant & Equipment	Freehold Land	75,480.57	Government of West Bengal	No	From F.Y. 2008-09 till present	Mutation of 1488 sq.mts of land is under process and the mutation of 1733 sq.mts of land is pending as the issue is sub-judice and the case is currently pending at Supreme Court of India vide SLP No.(Civil) 36172 of 2013.
Property, Plant & Equipment	Building	46,741.73	Hoogly River Bridge Commissioner	No	Rs. 24,250.83 since F.Y. 2008-09 Rs. 22,490.90 since F.Y. 2013-14	The ownership of the building was not transferred to KMRC because the building was made at the time when the State Government was a stake holder of the project. The project is on the verge of completion and the asset will be transferred to Metro Railway. It is expected that Metro Railway will initiate further for ownership, title etc. of the building.

b) The company does not have any investment property at the end of the current year and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.

c) The company has not revalued its Property, Plant and Equipment during the current year and previous year.

d) The company has not granted any loans or advances in the nature of loan to promoters, directors, KMP and the related parties (as defined under Companies Act, 2013), either severally or jointly with any other person, which are repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment during the current and the previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.

e) Capital work-in-progress (CWIP) ageing schedule/completion schedule.

A. For Capital work-in-progress, the ageing schedule is given below as at 31.03.2023:

CWIP	Amount in CWIP for a period				Total
	Less than one year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
Project in Progress:	28896.21	629587.38	77,15,177.03	7,22,14,187.17	8,05,87,847.79
Project Temporarily Suspended:	-	-	-	-	-

B. For capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, the completion schedule is given below as at 31.03.2022:

CWIP	Amount in CWIP for a period				Total
	Less than one year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	
Project in Progress:	39,06,444.33	56,11,848.77	1,18,43,262.83	5,91,97,395.65	8,05,58,951.58
Project Temporarily Suspended:	-	-	-	-	-

Notes to the Financial Statements (contd.)

- f) The company does not have any intangible asset under development at the end of the current year and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- g) There has been no proceeding initiated or pending against the company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 and the rules made thereunder during the current year and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- h) The company does not have any borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets during the current and previous year. Accordingly disclosures under this para is not applicable.
- i) The company has not been declared as wilful defaulter by any bank or financial institution or other lender during the current year and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- j) The company has not entered into any transaction with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956 during the current and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- k) There are no charges or satisfaction pending for registration with the Registrar of Companies beyond the statutory period. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- l) The company does not have any subsidiary during the current and previous year and accordingly compliance with number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Restriction on Number of Layers) Rules, 2017 is not applicable.

m) Analytical Ratios:

Ratio	Numerator	Denominator	Current Period	Previous Period	% Change	Reason of Change if more than 25%
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	3.98	3.08	29.54%	Mainly due to increase in year end statutory liabilities and retention money in hold
Debt-Equity Ratio	Total Debt	Shareholders Equity	1.33	1.29	3.26%	-
Debt Service Coverage Ratio	Earnings Available for debt services	Debt Service	N.A.	N.A.		-
Return on Equity Ratio	Net Profit After Tax	Average Shareholders Equity	0.00	0.00	0.00%	-
Inventory Turnover Ratio	Cost of Goods Sold (COGS)	Average Inventory	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Trade Receivables turnover ratio	Net Credit Sales	Average Accounts Receivables	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Trade payables turnover ratio	Net Credit Purchases	Average Trade payables	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Net Capital Turnover Ratio	Net Sales	Working Capital	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Net Profit Ratio (%)	Net profit after Tax	Net Sales	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Return on Capital Employed (%)	Earnings before interest and taxes	Capital Employed	0.00%	0.00%	0.00%	-
Return on Investment (%)	Net profit after Tax	Average Shareholders Fund	0.00%	0.00%	0.00%	-

- n) No Scheme of Arrangements has been approved by the Competent Authority in terms of Sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 during the current year and previous year. Accordingly, disclosures as required under this para is not applicable.
- o)
- (A) The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) during the current year and previous year with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall:
- (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or
- (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- (B) The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) during the current year and previous year with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall:
- (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or
- (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- p) There are no transactions not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income in the books of account during the current year and previous year in the tax assessment under the Income Tax Act, 1961.
- q) The company has not provided for any expenses under the CSR (Corporate Social Responsibility) following the provisions of u/s 135 of the Companies Act, 2013. Accordingly disclosures in regard to CSR activities is not applicable.
- r) The Company has not traded or invested in Crypto Currency or Virtual Currency during the current year and previous year and therefore, the disclosures as sought is not applicable.

23 All amounts in the financial statement and in notes to accounts are in ₹ thousands unless otherwise specified.



Notes to the Financial Statements (contd.)

24. Deferred Tax Assets (Net)

The deductible temporary differences do not expire under the current tax legislation. Deferred Tax Asset have not been recognized in respect of these items because it is not considered probable that future taxable profit will be available in near future against which they can be realized.

25. Pending legal cases relating to acquisition of Land

There are 49 Nos of Court Cases against the Company which is pending as on 31-03-2023. Details are as under : (All cases are civil in nature)

No of Cases	Particulars	Forum
1	Land Acquisition	Hon'ble Supreme Court
13	Land Acquisition	Hon'ble High Court of Kolkata
1	Land Acquisition	Howrah District Court
1	Environment	National Green Tribunal, Kolkata
1	Tunnelling	Hon'ble High Court of Kolkata
28	Miscellaneous	Hon'ble High Court of Kolkata
9	Contract Related	Hon'ble High Court of Kolkata

26. Government of West Bengal (GoWB) has issued a letter dated 9th February 2015 demanding a sum of ₹ 3368.79 crore being the "Charges for Permissive Possession" for 38.5 acres of Land granted to KMRC at Central Park, Salt Lake for setting up of Depot. The Company feels that charges are not payable by the Company in terms of Para 12.1 of the MOU dated 27th Oct 2008 signed between GOI, GOWB and KMRC and hence the same have not been accounted for in the books.
27. The Government of West Bengal vide its letter dated 13.02.2015 had demanded a sum of ₹ 889.69 crore towards "**Way Leave Charges**" for land use of stations and metro rail routes in the city of Kolkata. The matter has been taken up with the concerned authorities and the company feels that such charges are not payable and hence not accounted for. However as a matter of prudence, company has shown the same as contingent liability as per Note no- 33(g).
28. There are no dues payable as on 31st March 2024 to any Micro, Small and Medium Enterprises nor are there are any other particular data are required to be disclosed under the Companies Act, 2013 and Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. The determination of an Enterprise as a Micro enterprise and Small enterprise is based on the confirmation received in response to intimation in this regard sent by the Company to the suppliers.

29. EMPLOYEE BENEFIT PLANS

The details of various employee benefits provided to employees are

Defined Contribution Plan

The Company pays gratuity to the employees who have completed five years of service with the Company at the time of resignation/superannuation. The gratuity is paid @15 days basic salary for every completed year of service as per the Payment of Gratuity Act, 1972. This plan typically exposes the company to actuarial risks such as: Investment risk, longevity risk and salary risk.

Re-measurement gains and losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the period in which they occur in Other Comprehensive Income.

The most recent actuarial valuation of the plan assets and the present value of the defined benefit obligation were carried out as at March 31, 2024 by Dr. R. Kannan, B. Chatterjee International Consultant. The present value of the defined benefit obligation, and the related current service cost, were measured using the project unit credit method. Company does not maintain any fund, so no need of contribution in respect of such Contribution Plan.

Notes to the Financial Statements (contd.)

Gratuity

The principal assumption used for the purposes of the actuarial valuations were as follows:

Principal assumptions	March 31, 2024	March 31, 2023
Discount rate	6.97%	7.17%
Future salary increase	6.00%	6.00%
Average expected future service (remaining working life)	12 YEARS	10 YEARS
Mortality Table	IALM 2012-2015	IALM 2012-2014
Superannuation at age - Male	60 YEARS	60 YEARS
Superannuation at age - Female	60 YEARS	60 YEARS
Early Retirement & Disablement (all causes combined)	0.100%	0.100%
Above Age 45	0.06%	0.06%
Between age 29-45	0.03%	0.03%
Below Age 29	0.01%	0.01%
Voluntary retirement	Ignored	Ignored

Other long term employee benefits:

The Leave scheme is a final salary Defined Benefit Plan that provides for a lump sum payment made on exit either by way of retirement, death, disability or voluntary withdrawal. The benefits are defined on the basis of final salary (considering Basic and DA) and the accumulated leave balances are paid at the time of exit. The Plan design means the risks commonly affecting the liabilities and the financial results are expected to be:

This plan typically exposes the company to actuarial risks such as: Investment risk, longevity risk and salary risk.

Re-measurement gains and losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the period in which they occur in Other Comprehensive Income.

The most recent actuarial valuation of the plan assets and the present value of the defined benefit obligation were carried out as at March 31, 2024 by Dr. R. Kannan, B. Chatterjee International Consultant.

Leave Salary

The principal assumption used for the purposes of the actuarial valuations were as follows :

Principal assumptions	March 31, 2024	March 31, 2023
Discount rate	6.97%	7.17%
Future salary increase	6.00%	6.00%
Average expected future service (remaining working life)	12 YEARS	10 YEARS
Mortality Table	IALM 2012-2015	IALM 2012-2014
Superannuation at age- Male	60 YEARS	60 YEARS
Superannuation at age- Female	60 YEARS	60 YEARS
Attrition Rate	0.100%	0.100%
Voluntary retirement	Ignored	Ignored



Notes to the Financial Statements (contd.)

30. Material prior period errors

Material prior period errors are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. If the error occurred before the earliest period presented, the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest period presented, are restated unless it is impracticable, in which case, the comparative information is adjusted to apply the new accounting policy prospectively from the earliest date practicable.

31. EARNINGS PER SHARE

Earning Per Share	For the year ended March' 2024	For the year ended March' 2023
Basic earning per share (Rs.)	0.00	0.00
Profit for the year as per statement of Profit & Loss (INR)	(100.92)	7,272.04
Weighted average number of equity shares for the purpose of basic earnings per share	3,75,86,20,000	3,75,86,20,000
Opening Share Capital - Nos.	3,75,86,20,000	3,75,86,20,000
Closing Share Capital - Nos.	3,75,86,20,000	3,75,86,20,000

32. Chief Secretary, Government of West Bengal had issued a letter dated 06.11.2012 mentioning that GOWB has funded a sum of ₹ 48 crores towards Land Acquisition for East-West Metro Corridor Project. The Company has taken up and pursued the matter with Government of West Bengal for details of ₹ 48 crores so claimed to be funded to KMRCL, as no such records are available in the records of the company. Reconciliation and resolution of the matters is still pending.

33. RELATED PARTY DISCLOSURE UNDER IND AS 24

a) Related Party Disclosure

Name of the Key Managerial Person	Nature of Relationship
Shri P. U. K Reddy	Chairman
Shri V. K. Srivastava	Managing Director
Shri Angshuman Sarkar (till 01.02.2024)	Director (Finance) & Director (RS & T)
Smt Ambika Jain (from 02.02.2024)	Director (Finance)
Syed Md. Jamil Ahsan	Director(P&P)
Shri Dhananjaya Singh	Director
Shri Nagsen Moreshwar Dhole	Director
Dr. Saumitra Mohan	Director
Shri Asim Kumar Majumdar	Director (RS&T)
Shri Jaideep	Director
Smt Mohua Datta Gupta	Company Secretary
Shri Samik Bhattacharyya	CFO

b) Transaction with the Key Management Personnel during the year/period

Particulars	MD/Directors (Amount in '000)	KMP (Amount in '000)
Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act,1961	₹ 5,505.00	₹ 5,063.87
Value of Perquisite	-	-
Profit-in-lieu of Salary	-	-
Sitting Fee to independent directors*	-	-
Total	₹ 5,505.00	₹ 5,063.87

* Director's sitting fee for 2023-24 was paid as there was no Independent Director during this financial year.

Notes to the Financial Statements (contd.)

(c) Apart from transactions with related parties reported above, the company has transactions with Ministry of Railways, Government of India which included but not limited to the following:

Nature of control :- Shareholders having substantial interest

Transactions during the year:

Name of Related Party	Nature of Transaction	Amount (in Rs '000)
Ministry of Railway	Pass through Assistance	30,00,000.00
	Receivable against JICA Loan	14,70,026.53

34. FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The Company undertakes transactions denominated in foreign currencies: like Advances to Contractors, Construction expenditure, consequently, exposures to exchange rate fluctuations arises. The total amount of transaction expended by the Company during the reporting period are as follows:

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
Advances to Contractors		
- EURO	Nil	Nil
- USD	Nil	Nil
- YEN	Nil	Nil
- AUD	Nil	Nil
Construction Expenditure		
- EURO	14,87,382.72	6,86,055.70
- JPY	NIL	3,05,724.51
- USD	2,45,086.56	2,42,453.40
- AUD	80,548.30	11,618.26

35. FAIR VALUE MEASUREMENTS

Fair value of Financial Assets and Liabilities are included at the amount that would be received to sell an asset and paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or
- in the absence of a principal market in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability assuming that market participants act in their economic best interest.

Management uses their best judgement in estimating the fair value and its financial instruments. However, there are inherent limitations in any estimation technique. Therefore, for substantially all financial instruments, the fair value estimates presented are not necessarily indicative of all the amounts that the Company could have realized or paid in sale transactions as of respective dates. As such, the fair value of the financial instruments subsequent to the respective reporting dates may be different from the amounts reported at the end of the each year/period end.

36. The details of disputed service tax and income tax dues as on 31st March 2023, which have not been deposited or deposited under protest are as follows :

Name of the statute	Nature of dues	Amount (in ₹ '000)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
Finance Act, 1994	Service Tax	1,854.94	FY 2009-10 to 2012-13	Appellate Authority Commissioner Appeals (11) Central Excise
Income Tax Act, 1961	Tax Deducted at Source	14.50	FY 2022-23	Total Defaults as per Traces
Income Tax Act, 1961	Tax Deducted at Source	7.32	FY 2021-22	Total Defaults as per Traces



Notes to the Financial Statements (contd.)

37. There is no Segment Reporting Activity.
38. The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
39. **Contingent Liabilities and Capital Commitments (to the extent not provided for):**

Particulars	As at March 31, 2024 (in ₹ '000)	As at March 31, 2023 (in ₹ '000)
a) In respect of the following:		
- Service Tax matters under appeal FY 2009-10 to 2012-13	1854.94 INR	1854.94 INR
b) Claim against the Company not acknowledged as debt	1,27,55,353.23 INR	1,27,55,353.23 INR
c) Claims by Hooghly River Bridge Commissioner towards various expenses	13,301.36 INR	13,301.36 INR
d) Estimated amount of Unexecuted Capital Contracts (Net of Advances)	2,81,008.03 INR	3,24,706.29 INR
e) Amount outstanding against Letter of Credit	1,316.60 EURO	1,316.60 EURO
f) Permissive Possession Charges for 38.5 acres of Land (refer Note - 26)	3,36,87,942.75 INR	3,36,87,942.75 INR
g) Way Leave Charges demanded by GOWB (refer Note - 27)	88,96,900.00 INR	88,96,900.00 INR
h) Additional land from Kolkata Port Trust for Ventshaft	88,83,466.54 INR	88,83,466.54 INR

- Service tax appeals are pending since 2009-10 to 2012-13 before Commissioner of CGST & Central Excise (Appeals-I). The last hearing was held on 13.10.2017 and thereafter there has been no progress with the appeal, hence not recognized in the accounts.
 - Point (b) constitutes number of claims against the Company, related to conciliation and arbitration award, which are yet to be settled at the Court of Law, hence disclosed as contingent liabilities.
 - Claims by HRBC are not supported by any verified documents.
 - The amount is related to the budgeted capital cost to be incurred during the next two financial years. The estimation has been done on the basis of the physical and financial progress related to the project. Expenditure is booked as and when the liability is raised and discharged. Hence, this amount has been shown as estimated amount of unexecuted capital contracts.
40. Debit / credit balances of Sundry Creditors are subject to confirmation and reconciliation.
41. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

Notes 1 to 41 form an integral part of the Balance Sheet have been duly authenticated.

Signatures to Notes 1 to 41

In terms of our report attached

For **Raj Kumar Kothari & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. : 320166E

CA R. K. Kothari
Partner
M. No. : 055208
UDIN : 24055208BKGSAS6842
Place : Kolkata
Dated : 29-7-2024

For and on behalf of Board of Directors

V. K. Srivastava
Managing Director
DIN : 10207179

Samik Bhattacharyya
Chief Financial Officer
PAN : AMWPB7941H

Ambika Jain
Director (Finance)
DIN : 07271472

Mohua Datta Gupta
Company Secretary
PAN : AIEPG3324K

विषय-सूची

● निदेशक मंडल	03
● 16 वीं वार्षिक साधारण बैठक की संक्षिप्त सूचना	05-07
● निदेशक मंडल का प्रतिवेदन	09-32
● निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन	33-37
● प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	38-39
● निगमित अभिशासन अनुपालन प्रमाणपत्र	40
● डी. राउत एंड एसोसिएट्स का प्रमाणपत्र	41-43
● भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	44-46
● लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	47-62
● वार्षिक लेखा	63-92

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट जानकारी

कम्पनी सचिव

श्रीमती महुआ दत्ता गुप्ता

पंजीकृत कार्यालय

केएमआरसीएल भवन (एचआरबीसी कार्यालय परिसर)

मुंशी प्रेमचन्द्र सरणी, कोलकाता-700021

दूरभाष संख्या : 033 2213 4345

फैक्स नंबर : 033 2213 4380

वेबसाइट : www.kmrc.in

वैधानिक लेखा परीक्षक

राज कुमार कोठारी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

32, एज्रा स्ट्रीट, सुइट नंबर 403, चौथी मंजिल

कोलकाता - 700 001

सचिवीय लेखा परीक्षक

डी. राऊत एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू

कॉमर्स हाउस, 8वीं मंजिल,

कमरा नं.- 7ए

कोलकाता - 700001

आंतरिक लेखा परीक्षक

आंतरिक लेखा परीक्षक

घोष बसु एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

33बी, मार्केट स्ट्रीट

कोलकाता - 700071

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता मुख्य शाखा, कोलकाता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, धरमतल्ला शाखा, कोलकाता

एचडीएफसी बैंक, स्टीफन हाउस शाखा

यूको बैंक, हेस्टिंग्स शाखा

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैमक स्ट्रीट शाखा

पंजाब नेशनल बैंक, उच्च न्यायालय शाखा

निदेशक मण्डल

01.	श्री पी.यू.के. रेड्डी	अध्यक्ष (17.03.2023 से)
02.	श्री एच.एन.जायसवाल	प्रबंध निदेशक (31.05.2023 तक)
03.	श्री वी.के.श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक (01.06.2023 से)
04.	सैयद मोहम्मद जमील अहसान	निदेशक (परियोजना एवं योजना) (20.02.2023 से)
05.	श्री असीम कुमार मजूमदार	निदेशक (आरएस एंड टी) (01.06.2023 से)
06.	श्री अंशुमन सरकार	निदेशक (वित्त) (01.02.2024 तक)
07.	श्रीमती अम्बिका जैन	निदेशक (वित्त) (02.02.2024 से)
08.	श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके	निदेशक
09.	श्री धनंजय सिंह	निदेशक (27.05.2021 से)
10.	श्री जयदीप	निदेशक (29.06.2020 से)
11.	श्री संजीत	निदेशक (01.05.2023 से)
12.	डॉ. सौमित्र मोहन, आईएएस	निदेशक (18.02.2023 से)

सूचना

16वीं वार्षिक आम सभा के लिए अल्पकालीन सूचना

एतद द्वारा अल्पकालीन सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यव्यापार संपन्न करने के लिए कंपनी के सदस्यों की 16वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को अपराह्न 03:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

साधारण कार्यव्यापार

- 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण सहित) के साथ-साथ निदेशक मंडल और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ भी प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति पर ध्यान देना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना और यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के लिए, निम्नलिखित साधारण संकल्प, पारित करना :

संकल्प लिया जाता है कि एतद द्वारा सदस्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति पर ध्यान देंगे और लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर निदेशक मंडल को तुरत देय व्यय सहित पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत करेंगे।

विशेष कार्यव्यापार

- श्रीमती अम्बिका जैन.आईआरएएस को पीएफए/मेट्रो रेलवे कोलकाता के अपने प्रभार के अतिरिक्त कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करना और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित साधारण संकल्प संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पारित करना।

संकल्प लिया जाता है कि धारा 152(2) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्या प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, श्रीमती अम्बिका जैन,आईआरएएस के पीएफए/ मेट्रो रेलवे / कोलकाता के उनके अपने प्रभार के अतिरिक्त उनके द्वारा अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रभार ग्रहण करने की तारीख से परियोजना के पूरा होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति के लिए कंपनी की सहमति है और दी जाती है।

आगे यह भी संकल्प लिया जाता है कि एतद द्वारा कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, कर्म और कृत्य करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, समीचीन और प्रासंगिक हो सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ए/-

मोहुआ दत्त गुप्ता

कंपनी सचिव

स्थान: कोलकाता

30 सितंबर, 2024

टिप्पणियाँ:

1. सामान्य परिपत्र क्रमांक 09/2023 दिनांक 25.09.2023 के जरिए एमसीए द्वारा एजीएम/ईजीएम आयोजित करने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साधारण/विशेष प्रस्ताव पारित करने की समय अवधि 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 16वीं वार्षिक आम सभा वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित की जा रही है।
2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आम तौर पर एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार होता है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति लागू कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
3. विशेष कार्यव्यापार की मदों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।
4. बैठक अल्पकालीन सूचना पर आयोजित की जा रही है।
5. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, इसलिए इस नोटिस में रूट मैप संलग्न नहीं है।
6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

30 सितंबर, 2024 को होने वाली 16वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन के नोटिस में निर्धारित विशेष कार्यव्यावहार की मद के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

विशेष कार्यव्यावहार मद

मद संख्या 3

भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने आदेश संख्या 2021/ई(ओ)II/40/4 दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से श्रीमती अंबिका जैन, आईआरएस को पीएफए/मेट्रो रेलवे/कोलकाता के रूप में उनके अपने प्रभार के अतिरिक्त 02.02.2024 से परियोजना के पूरा होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अतिरिक्त प्रभार के रूप में कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति की सूचना दी है।

श्रीमती अंबिका जैन ने दिनांक 02.02.2024 से कार्यभार ग्रहण किया।

मद संख्या 3 के अधीन निर्धारित सामान्य संकल्प इसी उद्देश्य के लिए है। श्रीमती अंबिका जैन को संकल्प में संपृक्त या इच्छुक माना जा सकता है। इस संकल्प में कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय रूप से या अन्यथा संपृक्त या इच्छुक नहीं हैं।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के उपरोक्त पत्र की प्रति बैठक की तारीख तक कार्य अवधि के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध है और बैठक में भी उपलब्ध रहेगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ए/-

मोहुआ दत्त गुप्ता
कंपनी सचिव

स्थान : कोलकाता
30 सितंबर, 2024



निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

द्रष्टव्य: इस पृष्ठ को जानबूझ कर रिक्त छोड़ा गया है।

निदेशक मंडल का प्रतिवेदन

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की अंकेक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ अपना सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय विशिष्टताएं

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, कंपनी 'ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर' परियोजना को मूर्त रूप देने में लगी हुई है, जो कि पूर्व में सॉल्ट लेक सेक्टर V से पश्चिम में हावड़ा मैदान को जोड़ने वाला एक रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसका विस्तार क्षेत्र 16.55 किलोमीटर है। इसमें से 5.74 किलोमीटर हिस्सा जमीन से ऊपर और 10.81 किलोमीटर भूमिगत गलियारा है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले 'लाभ एवं हानि के विवरण' के अनुसार कर चुकाने के बाद लाभ रु. 1,00,920/- लाख को उक्त तिथि को तुलन पत्र में 'अन्य इक्विटी' शीर्षक के अधीन 'आरक्षित एवं अधिशेष' के तहत समायोजित कर दिया गया है।

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं थी।

परियोजना की स्थिति

कोलकाता मेट्रोरेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('केएमआरसीएल') कागठन जुलाई 2008 में कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए समान (50:50) हिस्सेदारी के साथ भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में किया गया था। बाद में, जैसाकि पहले की रिपोर्टों में कहा गया था, भारत सरकार ने 23 अगस्त, 2012 को निर्णय लिया था कि 'ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना' को रेल मंत्रालय (यहां इसके बाद 'एमओआर') को सौंप दिया जाएगा और इसे केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में निष्पादित किया जाएगा। निर्णय के अनुसार, रेल मंत्रालय के पास कंपनी की 74% हिस्सेदारी होगी और शहरी विकास मंत्रालय के पास शेष 26% हिस्सेदारी होगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ('जीओडब्ल्यूबी') द्वारा कंपनी में रखे गए सभी शेयर एमओआर को हस्तांतरित कर दिए गए। शहरी विकास मंत्रालय का नाम बदल कर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (इसके बाद 'एमओएचयूए') कर दिया गया है।

माननीय रेल मंत्री ने (अगस्त 2015 में) घोषणा की थी कि परियोजना को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित वास्तविक मार्ग के अनुसार निष्पादित किया जाएगा और इस संबंध में सभी लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि कंपनी उपरोक्त परियोजना के निष्पादन पूरा होने तक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य करती रहेगी। हालांकि, भारत सरकार कंपनी के सभी शेयर अपने पास रखेगी और परियोजना के पूरा होने के बाद इसे एकीकृत नियंत्रण के तहत नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ संचालित करेगी। आज्ञा के अनुसार राजस्व सेवाएं मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा संचालित की जाती हैं जो प्रणाली के परिचालन और रखरखाव का प्रभारी होगा।

इस गलियारे की अनूठी विशेषताएं हैं:

- भारत में किसी भी शक्तिशाली नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग
- गलियारा 22 लाख यात्रियों के संयुक्त आवागमन वाले प्रमुख टर्मिनलों हावड़ा और सियालदह को, एस्प्लानेड मेट्रो स्टेशन पर आगामी जोका एस्प्लानेड मेट्रो लाइन के साथ नॉर्थ-साउथ मेट्रो लाइन, प्रस्तावित गरिया-बिमानबंदर मेट्रो परियोजना के साथ जोड़ता है तथा सॉल्टलेक सेक्टर-V में इंटरचेंजिंग सुविधा है
- हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है
- स्ट्रैंड रोड पर भारत का सबसे गहरा मेट्रो वेंटिलेशन सह निकास शाफ्ट
- इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स, यूके/आईसीई ने इस परियोजना को 200 वैश्विक परियोजनाओं में से एक माना था, जिनका लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

पहले की रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया था कि परियोजना को कई भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास संबंधी बाधाओं और पुनर्निर्माण मुद्दों का सामना करना पड़ा था। सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है; हालांकि कार्यान्वयन में चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनका विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है।

परियोजना को चरणों में पूरा करने की योजना थी। विभिन्न, चरणों में सेक्शनों को चालू किए जाने के विवरण निम्न लिखित हैं:

चरण	उप चरण	खंड	लम्बाई	चालू करने की तारीख
चरण-I	I A	साल्ट लेक सेक्टर -V से साल्ट लेक स्टेडियम	5.30 किमी	14.02.2020
	I B	साल्ट लेक स्टेडियम से फूलबागान	1.67 किमी	05.10.2020
	I C	फूलबागान से सियालदह	2.33 किमी	14.07.2022
चरण-II	II A	हावड़ा मैदान से एस्लानेड	4.80 किमी	15.03.2024
	II B	एस्लानेड से सियालदह	2.45 किमी	मार्च 2025 के लिए योजनाबद्ध

गलियारे के 16.55 किलोमीटर में से, 14.10 किलोमीटर, साल्ट लेक सेक्टर-V से सियालदह तक [9.30 किलोमीटर और हावड़ा मैदान से एस्लानेड तक [4.80 किलोमीटर पहले ही जनता के लिए खोल दिया गया है। एस्लानेड और सियालदह के बीच शेष 2.45 किलोमीटर भूमिगत खंड को मार्च 2025 के महीने में पूरा करने की योजना बनाई गई है।

निर्माण में विलंब के मुख्य कारण:

परियोजना के पूरा होने में विलंब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- भूमि उपलब्धता समस्या के कारण मार्ग का पुनः संरेखण, यातायात अवरोध और 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित बेहतर कनेक्टिविटी जिसे अंततः अगस्त 2015 में तय किया गया। परियोजना का हिस्सा पुनःसंरेखण के मुद्दों को अंतिम रूप देने तक निलंबित रह (हावड़ा मैदान से एस्लानेड के बीच भूमिगत खंड)।
- एस्लानेड के लिए रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति [मार्च 2017 में मंजूरी]
- महाकरन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनापत्ति [जून 2017 में मंजूरी]
- कोविड 19 महामारी का प्रभाव
- बऊबाजार क्षेत्र में 31.08.2019, 11.05.2022 और 14.10.2022 को तीन प्रमुख निर्माण घटनाएं हुईं।
 - 31.08.2019 को बऊबाजार क्षेत्र में सियालदह - एस्लानेड खंड के बीच पश्चिम गामी सुरंग में पानी भर जाना - जब टीबीएम बऊबाजार [पश्चिम गामी TBM1] में घने निर्मित इलाके से गुजर रहा था तो टनल बोरिंग मशीन के अंदर मिट्टी के साथ मिश्रित पानी का गंभीर प्रवेश हुआ जिसके परिणामस्वरूप सतह पर काफी निपटान करना पड़ा और सुरंग के प्रभाव क्षेत्र में कुछ इमारतें खतरे में पड़ गईं।
 - 11.05.2022 को इन सीटू आरसीसी बॉक्स में कास्ट के बेस स्लैब के निर्माण के दौरान बऊबाजार में रिट्रीवल शाफ्ट क्षेत्र में मिट्टी के साथ पानी का प्रवेश।
 - 14.10.2022 को बऊबाजार में क्रॉस पैसेज वर्क (सीपी-2) में मिट्टी के साथ पानी का प्रवेश

लागत एवं समय की अधिकता

मार्ग का पुनः संरेखण, तीन प्रमुख स्टेशनों यानी हावड़ा, एस्लानेड और सियालदह के आवागमन में वृद्धि, अतिरिक्त समय के कारण मूल्य वृद्धि, मेट्रो सेक्टर में बाजार की गतिशीलता में बदलाव और परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा के उतार-चढ़ाव आदि के कारण, परियोजना के कार्यान्वयन में निहित अतिरिक्त व्यय के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है। कंपनी ने वर्ष 2015-16 में रेल मंत्रालय को 8996.96 करोड़ रु. की संशोधित लागत प्रस्तुत की। प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा समीक्षा के बाद, इसे घटाकर रु. 8574.98 करोड़ (4874.58 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के मुकाबले) जिसे रेलवे बोर्ड के आदेश दिनांक 22-10-2020 द्वारा अनुमोदित किया गया है। स्वीकृत संशोधित लागत प्राक्कलन का आधार निम्नलिखित था:-

- संशोधित लागत प्राक्कलन के लिए मूल्य स्तर दिसंबर, 2017 था।
- दिसंबर, 2017 तक भुगतान की गई कीमत में बदलाव आरसीई में अंतर्निहित था और दिसंबर, 2020 तक अनुमानित पीवीसी को शामिल किया गया था।
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि जून, 2021 मानी गई।

ऊपर उल्लिखित कारणों के कारण, स्वीकृत संशोधित लागत प्राक्कलन में अनुमानित समय सीमा से लगभग चार वर्षों का समय अधिक लग गया है। मूल्य में विचलन के कारण समय अधिक लगना, करों में वृद्धि, राज्य और केंद्रीय वेतन की लागत में भिन्नता, कार्यक्षेत्र में बदलाव, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टैंसी (पीएमसी) केलंबे समय तक रहने एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा का उतार-चढ़ाव आदि के कारण प्रस्तावित संशोधित लागत प्राक्कलन (आरसीई -2) में वृद्धि हुई है। कंपनी ने रेल मंत्रालय को 10,442.41 करोड़ रु. का एक प्रस्तावित संशोधित परियोजना लागत (आरसीई -2) राशि प्रस्तुत की है और उक्त प्रस्तावित संशोधित परियोजना लागत (आरसीई -2) आवासन एवं शहरी मामले तथा रेल मंत्रालय के विचाराधीन है।

वर्ष 2023-24 के दौरान एवं मार्च 2024 के बाद प्रमुख उपलब्धियां

2023-24 के दौरान उपलब्धियां

हावड़ा मैदान से एस्प्लानेड तक 4.80 किमी लंबाई के चरण-IIA का निरीक्षण रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा 05.02.2024 और 06.02.2024 को किया गया था और इसे खोलने का प्राधिकार 12.02.2024 को प्राप्त हुआ था। भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 06.03.2024 को खंड के उद्घाटन के बाद हावड़ा मैदान से एस्प्लानेड (4.80 किमी) के बीच का खंड 15.03.2024 से चालू किया गया है।

हावड़ा और कोलकाता स्टेशन के जुड़वां शहरों के लिए गलियारे का कनेक्शन वित्तीय वर्ष 2023-2024 में एक प्रमुख मील का पत्थर था। इन दोनों शहरों को हुगली नदी के नीचे सुरंग के माध्यम से ट्रेन संचार के माध्यम से जोड़ा गया है। यह हमारे देश में पहली बार एक इंजीनियरिंग चमत्कार है क्योंकि 15.03.2024 से मेट्रो ट्रेन शक्तिशाली हुगली नदी के नीचे चल रही है।

● भूमिगत गलियारा सिविल कार्य [हावड़ा मैदान से एस्प्लानेड]:

- भूमिगत गलियारे के सुरंग निर्माण भाग में जुड़वां सुरंगें शामिल हैं जिन्हें प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंटल टनल लाइनर्स का उपयोग करके 'टनल बोरिंग' विधि द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। चरण-II में 4 भूमिगत स्टेशन हैं जिन्हें रिटैनिंग सिस्टम के रूप में डायफ्राम दीवारों का उपयोग करके 'कट एंड कवर' विधि द्वारा निष्पादित किया गया है। एस्प्लानेड और सियालदह सेक्शन नों में संकर्मों के निष्पादन हेतु लॉजिस्टिक कार्यों के लिए एस्प्लानेड स्टेशन के पूर्वी छोर पर दो विवरों को छोड़कर सभी चार भूमिगत स्टेशनों [हावड़ा मैदान, हावड़ा, महाकरन और एस्प्लानेड] का सिविल कार्य पूरा हो चुका है।
- चरण-II में सुरंग निर्माण गतिविधि का सारांश इस प्रकार है:

अनुबंध पैकेज	विस्तार	सुरंग	सुरंग कार्य की लम्बाई (मीटर)	पूर्ण सुरंग कार्य (मीटर)	पूर्णता का प्रतिशत
भूमिगत/2	एस्प्लानेड से सियालदह	पूर्व गामी	4892	4892	100
		पश्चिम गामी	4892	4886	99.87★
भूमिगत/1	हावड़ा मैदान से एस्प्लानेड	पूर्व गामी	7600	7600	100
		पश्चिम गामी	7600	7600	100

- ★ केवल 38 मीटर लंबाई शेष है जिसमें बऊबाजार क्षेत्र में पश्चिम गामी सकृल सुरंग को जोड़ने के लिए रिट्रीवल शाफ्ट है जहां अगस्त 2019 में टीबीएम में पानी का प्रवेश हुआ था। कास्ट इन सीटू बॉक्स टनल की 32 मीटर लंबाई पूरी हो चुकी है और पश्चिम गामी सुरंग में ट्रैक कार्य और अन्य प्रणाली संकर्म पूरा होने के बाद पश्चिम गामी सुरंग में शेष 6 मीटर का विवर बंद कर दिया जाएगा।
- सभी चार भूमिगत स्टेशन चालू हो गए हैं। चरण-IIA में सभी 4 भूमिगत स्टेशनों में प्रणाली संकर्म, प्रवेश संरचना और वास्तुशिल्प परिष्करण कार्य पूरे हो चुके हैं, सिवाय एस्प्लानेड स्टेशन में दो विवरों के, जिनका उपयोग एस्प्लानेड और सियालदह के बीच सुरंगों में क्षतिग्रस्त सुरंग, ट्रैक और प्रणाली संकर्म के रेट्रोफिटिंग के शेष संकर्म हेतु आवागमन कार्य के लिए किया जा रहा है, जिसे फरवरी 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- स्ट्रैंड रोड (हावड़ा और महाकरन स्टेशन के बीच) में मध्यवर्ती आपातकालीन निकासी-सह-वेंटिलेशन शाफ्ट और प्रणाली संकर्मों सहित प्रवेश मार्ग कनेक्शन का काम पूरा और चालू कर दिया गया है।

● ट्रैक कार्य

चरण-I और चरण-II के लिए गिट्टी रहित (बैलास्ट-लेस) ट्रैक के लिए सम्पूर्ण हेड हार्डवेयर रेल विदेश से मंगवाई गई है। हावड़ा मैदान से एस्लानेड तक पूर्व गामी और पश्चिमगामी सुरंग में ट्रैक में लिफ्टिंग का कार्य पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। सेंट्रल पार्क डिपो से हावड़ा मैदान तक और इसके विपरीत रैक की अदला-बदली के लिए एस्लानेड से सियालदह तक ट्रैक का काम भी पूरा हो गया है। सियालदह और बऊबाजार के बीच पश्चिम गामी सुरंग में लगभग 2.00 किलोमीटर तक ट्रैक बिछाने का काम भी पूरा हो गया है। सियालदह से एस्लानेड तक पश्चिम गामी सुरंग में 0.45 किलोमीटर लंबा शेष ट्रैक का कार्य अभी भी बाकी है।

● रोलिंग स्टॉक

14 रैक, प्रत्येक 6 कार गठन, की आपूर्ति, विनिर्माण और परीक्षण के लिए रु. 899.91 करोड़ की कुल लागत पर वर्ष 2015-16 में बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलूर को निविदा प्रदान की गई थी। इसप्रकार, करों के बिना प्रति कार लागत रु. 9.38 करोड़ है। सभी 14 रैकों की आपूर्ति की जा चुकी है। 3 अतिरिक्त रैकों अर्थात 15, 16 और 17 की आपूर्ति के आदेश बीईएमएल लिमिटेड को दिए गए हैं। अतिरिक्त 03 रैक 30.09.2024 से 31.12.2024 के बीच कोलकाता पहुंच जाएंगे।

● विद्युत आपूर्ति

पूरे कॉरिडोर के लिए विद्युत आपूर्ति का कार्य सीमेन्स लिमिटेड को सौंपा गया है। सभी चार भूमिगत स्टेशनों सहित हावड़ा मैदान से एस्लानेड खंड के बीच तथा सियालदह से सेक्टर -V खंड के बीच भी, जिसमें 2 भूमिगत तथा 6 एलीवेटेड खंड हैं, बिजली आपूर्ति का काम पूरा हो गया है। वर्तमान में कार्यक्षेत्र पर पहुंच उपलब्ध नहीं होने के कारण एस्लानेड और सियालदह के बीच सुरंग खंड में बिजली आपूर्ति का काम रुका हुआ है।

● एस्केलेटर और एलिवेटर

चरण-I में सभी लिफ्टों और एलिवेटर्स को चालू कर दिया गया है तथा लिफ्ट निरीक्षक द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है। चरण-II में लिफ्टों और एलिवेटर्स का निर्माण और आपूर्ति चरण-II के सभी भूमिगत स्टेशनों पर कर दिया गया है। चरण-II में सभी लिफ्टों और एलिवेटर्स को चालू कर दिया गया है तथा लिफ्ट निरीक्षक द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है।

● सुरंग संवातन प्रणाली ('टीवीएस')

टीवीएस धुएं के प्रवाह को नियंत्रित करने और आग लगने की स्थिति में अत्यधिक भीड़ के दौरान यात्रियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के साथ-साथ सुरंग और स्टेशन ट्रैक मार्ग में एक अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए एक साधन प्रदान करेगा। संपूर्ण गलियारे के लिए टीवीएस का कार्य मेसर्स यूएमपीसीएल को प्रदान किया गया है।

चरण-I और चरण-II में टीवीएस का कार्य पूरा कर लिया गया है और एस्लानेड ईस्ट से सियालदह वेस्ट के बीच मोड टेस्टिंग को छोड़कर वाणिज्यिक परिचालन आरंभ हो गया है।

● सिग्नलिंग, टेलीकॉम एंड ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन (एफसी) कार्य

पूरे ईस्ट-वेस्ट मेट्रो गलियारा के लिए मेसर्स एचएसटीएस द्वारा संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) प्रणाली का संस्थापन किया जा चुका है। एफसी का काम मेसर्स इंड्रा सिस्टेमास एसए, स्पेन को सौंपा गया है। सेक्टर-V से सियालदह (सियालदह के पश्चिम गामी प्लेसटफार्म को छोड़कर) के लिए चरण-I का हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है और 14 जुलाई 2022 को यात्री परिचालन के लिए खोल दिया गया है। चरण 2 के चार स्टेशनों अर्थात हावड़ा मैदान, हावड़ा मेट्रो, महाकरन और एस्लानेड के सिग्नलिंग और टेलीकॉम कार्य पूरे हो चके हैं और 15.3.2024 को राजस्व सेवाएं आरंभ हो गईं। एस्लानेड और सियालदह के बीच के खंड का कार्य प्रगति पर है और जनवरी 2025 में इसके पूरा होने की संभावना है।

ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना के अधीन सभी स्टेशनों के एफसी कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा राजस्व परिचालन के लिए चालू कर दिए गए हैं।

● भूमिगत खंड में ई एंड एम कार्य

चरण-I का ईएंडएम कार्य चालू कर दिया गया है। हावड़ा मैदान से एस्लानेड तक चरण-II के लिए ईएंडएम कार्य चालू कर दिया गया

है तथापि छोटी खराबियों और कमियों को ठीक करने का काम चल रहा है। एस्लानेड से निकास शाफ्ट सहित सियालदह तक टनलिंग का काम चल रहा है और सभी विद्युतीय कार्य सिविल इंजीनियरी कार्यों के साथ समन्वित किए जा रहे हैं।

● पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली ('ईसीएस') कार्य

हावड़ा मैदान से एस्लानेड तक चरण-II भूमिगत स्टेशनों के लिए ईसीएस प्रणाली का कार्य चालू कर दिया गया है और परिचालन में है। तथापि छोटी खराबियों और कमियों को ठीक करने का काम चल रहा है।

● प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे (पीएसडी) / प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे (पीएसजी)

6 भूमिगत स्टेशनों के लिए पीएसडी का कार्य तथा 6 एलिवेटेड स्टेशनों के लिए पीएसजी (आधी ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म स्क्रीन गेट्स) कार्य मेसर्स सीआरआरसी को दिया गया है।

सभी 6(छह) एलिवेटेड स्टेशनों में आधी ऊंचाई वाले पीएसजी फरवरी 2020 में चालू कर दिए गए हैं।

सभी 6(छह) भूमिगत स्टेशनों में पूरी ऊंचाई वाले पीएसडी संस्थापित और चालू कर दिए गए हैं। तथापि, सियालदह (पश्चिम प्लेटफॉर्म) पर सिग्नलिंग के साथ पीएसडी को संबद्ध करने का कार्य लंबित है।

कंपनी के पुनर्वास प्रयास

ध्वस्त किए गए भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा तथा मरम्मत करने लायक इमारतों की संरचनात्मक रूप से मरम्मत की जाएगी और इसके बाद संरचनात्मक स्वास्थ्य की जांच विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। चूंकि भवन की इन दो श्रेणियों के स्थानांतरित किए गए निवासियों का बाहर रहने का खर्च काफी है, इसलिए उनके लिए कंपनी द्वारा सुसज्जित आवासीय फ्लैटों की व्यवस्था की गई है।

★★ अनुबंध को 'डिजाइन एंड बिल्ड' के आधार और एकमुश्त लागत पर प्रदान किया गया है। इसलिए, इस घटना के कारण कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि यह संविदात्मक दायित्व के अधीन है। बऊबाजार सुरंग में पानी घुसने की घटना के संबंध में आईटीडी आईटीडी सीईएम जेव्ही ने मध्यस्थता का चयन किया है। एटी निर्णय आईटीडी आईटीडी सीईएम जेव्ही के पक्ष में दिया गया है। हालांकि, कंपनी उक्त फैसले को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।

बऊबाजार की घटनाओं का प्रभाव : एक नजर में

श्रेणी	विवरण	पहली घटना 31.08.2019	दूसरी घटना 11.05.2022	तीसरी घटना 14.10.2022	कुल
व्यक्ति	भवनों से निकाले गए व्यक्तियों की सं.	710	154	192	1056
	होटलों में शिफ्ट गए व्यक्ति	693	154	192	1039
	मरम्मत के बाद पुनर्वासित किए गए व्यक्ति	406	144	192	742
	वैकल्पिक आवासों (फ्लैट) में पुनर्वासित व्यक्तियों की सं	298	10	0	308
	मुआवजा प्रदान किए जानेवाले परिवार (एक बार)	202	0	27	229
	घटना के बाद उपलब्ध कराए गए फ्लैटों (किराए पर) की सं.	71	32	1	104
	आज तक उपलब्ध कराए गए फ्लैटों (किराए पर) की सं.	70	4	0	74
भवन	प्रभावित भवन	72	9	12	93
	ध्वस्त किए गए भवन	23	2	0	25
	मरम्मत किए गए भवन	39	7	12	58
	निगरानी के अधीन भवन	10	0	0	10
दुकानें	प्रभावित दुकानें	81	21	30	132
	क्षतिपूर्ति प्राप्त करनेवाले दुकानदार (एक बार)	77	16	28	121
	मरम्मत की गई और पुनर्वासित दुकानें	0	19	30	49
	वैकल्पिक दुकानें/किराये पर उपलब्ध दुकानें	32	2	0	34

एस्प्लेनेड से सियालदह (चरण- II बी) तक शेष खंड को पूरा करने की समय सीमा: -

बऊबाजार क्षेत्र में पश्चिम गामी सुरंग में पानी घुसने की तीन घटनाओं के कारण, संतृप्त मिट्टी की स्थिति के परीक्षण में निर्माण कार्यों के क्रम में तकनीकी चुनौतियों वाले बड़े बदलाव हुए, जिस पर पहले जोर नहीं दिया गया था। ये हैं:

ए. पहली घटना दिनांक 31.08.2019:

- ए) पश्चिम गामी सुरंग में घटना स्थल पर टीबीएम को रिट्रीव करने के लिए शाफ्ट का निर्माण करना पड़ा था।
- बी) पश्चिम गामी सुरंग [स्पॉट-1] में स्टील लाइनर और पेरिफेरल ग्राउटिंग द्वारा संकटग्रस्त टनल लाइनर का पुनश्चरण

बी. दूसरी घटना दिनांक 11.05.2022:

- ए) बेस स्लैब और कास्ट इन सिटु सुरंग का निर्माण
- बी) रिट्रीवल शाफ्ट, बऊबाजार में विवर बंद करना

सी. तीसरी घटना दिनांक 14.10.2022:

- ए) पश्चिम गामी सुरंग में क्रॉस पैसेज नंबर को बंद करना। -2
- बी) पूर्व गामी [स्पॉट-3] और पश्चिम गामी सुरंग [स्पॉट-4] में क्रॉस पैसेज -2 स्थानों पर स्टील लाइनर और पेरिफेरल ग्राउटिंग द्वारा संकटग्रस्त टनल लाइनर का पुनश्चरण

डी. अन्य निर्माण कार्य:

- ए) निकास शाफ्ट स्थान [स्पॉट-2] पर पूर्व गामी सुरंग में समान भूविज्ञान और पुनश्चरण के कारण क्रॉस पैसेज [सीपी-1, 2 और 3] के बदले एनबीसी अनुपालन के लिए निकास शाफ्ट की शुरुआत की गई है।
- बी) सुबोध मल्लिक स्क्वायर पर इंटरमीडिएट वेंटिलेशन शाफ्ट का लोप
- सी) क्रॉस पैसेज का स्थानांतरण [सीपी-5बी]।
- डी) जल निकासी व्यवस्था को सीपी-3 स्थान से निकास शाफ्ट तक स्थानांतरित करना
- ई) ध्वस्त इमारत का पुनर्निर्माण

सियालदह और एस्प्लेनेड के बीच तकनीकी चुनौतीपूर्ण कार्यों वाले शेष महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बाधाओं पर काबू पाना:

सियालदह - एस्प्लेनेड [2.45 किमी] में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का चरण-IIIB के चालू होने पर प्रभाव है। तकनीकी चुनौतियों वाले शेष महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने के लिए, कंपनी ने सियालदह और एस्प्लेनेड के बीच सुरंग खंड के शेष महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, जिनमें से अधिकांश मार्च '2023 के बाद पूरा हो चुका है, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विदेशी विशेषज्ञ को नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण कार्यों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

1. पूर्व गामी और पश्चिम गामी सुरंगों को जोड़ने वाले एक क्रॉस पैसेज सीपी 5बी का निर्माण पूरा हो चुका है।
2. तीन क्रॉस पैसेज (सीपी1, सीपी2 और सीपी3) को हटाकर बऊबाजार रिट्रीवल शाफ्ट स्थान पर निकास व्यवस्था का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3. सियालदह और एस्प्लेनेड में दोनों पंखों ड्राफ्ट और निकास पंखों को संचालित करके दोनों सुरंगों में संवातन प्रवेश का अलग कनेक्शन करके सुबोध मल्लिक स्क्वायर पर IV शाफ्ट का निर्माण समाप्त कर दिया गया है।
4. रिट्रीवल शाफ्ट के अंदर 38 मीटर लंबाई का बॉक्स सुरंग को पूरा करने और बॉक्स सुरंग का 32 मीटर रिट्रीवल शाफ्ट को बंद करने का काम पूरा हो गया है।
5. पश्चिम गामी सुरंग में बऊबाजार (स्पॉट 1) पर रिट्रीवल शाफ्ट पर सुरंग खंड का पुनश्चरण पूरा हो चुका है।

6. क्रॉस पैसेज (ण्ड2) को बंद करने का काम पूरा हो गया है।
7. पूर्व गामी सुरंग (स्पॉट 3) और पश्चिम गामी सुरंग (स्पॉट 4) में सीपी-2 स्थान के पास सुरंग खंड का पुनश्चरण का काम चल रहा है।
8. पूर्व गामी में सीपी-2 स्थानों के पुनश्चरण का काम पूरा होने के बाद निकास शाफ्ट (स्पॉट 2) के निकट पूर्व गामी सुरंग में सुरंग खंड का पुनश्चरण का काम शुरू किया जाएगा।

पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास

कंपनी के पास मूल संरेखण के निकट के परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों, जिनकी संख्या मूल संरेखण के साथ 677 अनुमानित थी, के कल्याण के लिए एक सुपरिभाषित पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति है। हालाँकि, यह आंकड़ा काफी कम हो गया है, क्योंकि संशोधित संरेखण पर नए महाकरण और एस्लानेड स्टेशन क्षेत्रों में पुनर्वास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में इस परियोजना में पुनर्वास मुद्दों से संबंधित कोई अड़चन नहीं है।

परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास प्रमुख रूप से निम्नलिखित स्थानों पर किया गया है:

- हावड़ा मैदान क्षेत्र स्थित श्री मार्केट कॉम्प्लेक्स)129 दुकानें शामिल)
- हावड़ा मैदान क्षेत्र में पहले के बंगबासी थिएटर के सामने 7 अदद व्यावसायिक दुकानों का स्थानांतरण
- फूलबागान में 30 अदद अस्थायी दुकानों का स्थानांतरण, जिसमें से 18 दुकानों को स्थाई तौर पर पहले के स्थान पर वापस स्थानांतरित कर दिया गया है
- स्थायी पुनर्वास फ्लैटों के जरिए स्वभूमि स्थित 63 अदद केएमसी स्वीपर क्वार्टरों का पुनर्वास
- स्थाई पुनर्वास फ्लैटों के जरिए दत्ताबाद सेटलमेंट में 80 परिवारों का पुनर्वास।

पर्यावरणीय विषय

कोलकाता के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरने वाली वृहदाकार 'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो' परियोजना भारी पर्यावरणीय चुनौतियों से भरी है। कंपनी ने परियोजना के शुरू होने के बाद से अपनी योजना में इस चुनौती को स्वीकार किया।

मूल परियोजना के साथ-साथ संशोधित प्रस्ताव दोनों को पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों से मंजूरी दी गई थी। कंपनी पर्यावरण प्रबंधन योजना को कड़ाई से लागू कर रही है जैसा कि ईआईए अध्ययन रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है।

स्टेशनों को, जहां तक व्यवहार्य है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के मानदंडों का अनुपालन करते हुए तैयार किया जा रहा है। डिपो को एलईईडी की सिल्वर रेटिंग के साथ ग्रीन डिपो के रूप में डिजाइन किया गया है।

'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो' परियोजना पर्यावरण के संरक्षण को महत्व देती है तथा हरियाली पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करती है। परियोजना के निष्पादन के लिए लगभग 1,335 पेड़ों को हटाया गया है। इन सभी पेड़ों को स्थानीय नगर निगम, जिनके पास इन पेड़ों का स्वामित्व है, के प्रतिनिधि से पहचान कराई गई है और उनके स्थान पर रु. 45.61 लाख की कुल लागत से 6,900 पेड़ लगाए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मान

नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना को इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यूके (एक प्रसिद्ध वैश्विक इंजीनियरिंग फोरम) द्वारा दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ 200 परियोजनाओं में से एक चुना गया है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

कंपनी ने विभिन्न प्रणालियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का ईष्टम उपयोग एवं उचित प्रौद्योगिकी का चयन सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन स्तर पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों की शुरुआत की है। हालाँकि, विस्तृत उपाय निम्नानुसार हैं:

(ए) ऊर्जा का संरक्षण -

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव:

- स्टेशनों और ट्रेन के कोचों में एलईडी-प्रकार की लाइटिंग की परिकल्पना की गई है।
- भूमिगत स्टेशनों में प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर का प्रावधान, जो एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता को काफी हद तक कम कर देगा और जिससे गैर-कर्षण ऊर्जा की खपत कम होगी।

(i) परियोजना के लिए रोलिंग स्टॉक खरीद की योजना बनाई है, जो रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग की परिकल्पना करता है, जिससे ब्रेकिंग के समय विद्युत उत्पन्न हो, जो कि प्रणाली में चल रही अन्य पॉवरिंग ट्रेनों द्वारा खपत की जाएगी।

(ii) एलिवेटेड स्टेशन के वास्तुशिल्प को इस तरह से रखा गया है, जिससे दिन के समय में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग का फीहदतक किया जा सके। एलिवेटेड स्टेशनों पर पॉलीकार्बोनेट शीट्स के इस्तेमाल ने कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के प्रति प्रोत्साहित किया है।

(iii) हाई सीओपी-प्रकार की एयर कंडीशनिंग इकाइयों को ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ भूमिगत स्टेशनों के लिए परिकल्पित किया गया है, जिससे चिलर्स, कूलिंग टावरों, पंपों इत्यादि के उपयोग को अनुकूलित किया जा सके।

(iv) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

आंतरिक उपभोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु मेंटेनेंस डिपो में सौर सेलों के बड़े बैंक उपलब्ध कराए जाएंगे। डिपो लेआउट को इस तरह तैयार किया गया है ताकि हर संभव प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया जा सके।

(v) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:

इसे परियोजना के एक उचित स्तर में निर्धारित किया जाएगा।

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण -

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास:

कंपनी का अधिदेश परियोजना को लागू करने के लिए है। प्रौद्योगिकी अवशोषण की संभावना का पता लगाने के लिए क्रय चरण में प्रयास किए जाएंगे।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए हैं:

इससे मिले लाभ का ब्योरा भविष्य में उचित समय पर दिया जाएगा।

आर्थिक विकास के बेहतर अवसर -

यह परियोजना मौजूदा वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराएगी, साथ ही यह ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रूप में विकास प्रबंधन के माध्यम से स्टेशनों के ऊपर और गलियारे के किनारों पर सदृश विकास कार्यों को प्रोत्साहित करेगी। यह परियोजना कोलकाता और इसके आसपास में बढ़ती परिवहन जरूरतों को कम करने का एक प्रयास है और यह कोलकाता में यातायात की भीड़ और पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक कम कर देगी। संशोधित संरेखण के अनुसार इस लाइन में एस्लानेड पर निर्माणाधीन जोका एस्लानेड मेट्रो लाइन के साथ इंटरचेंज सुविधाएं भी होंगी। पूर्व रेलवे के सियालदह और हावड़ा स्टेशनों के साथ-साथ एस्लानेड स्थित प्रमुख बस अड्डों पर भी इंटरचेंज सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नई ईस्ट वेस्ट लाइन के पूरा होने से क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यातायात की भीड़ और वायु प्रदूषण को कम करके शहरी पर्यावरण में सुधार होगा।

ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के लाभ:

कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना अपने आप में एक आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल जन परिवहन प्रणाली है जो कोलकाता शहर और आसपास के शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण, यातायात भीड़ और सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक खत्म कर देगी। यह हावड़ा और कोलकाता के जुड़वां शहरों के लिए एक द्रुत नदी संचार प्रदान करते हुए क्षेत्र के जन परिवहन प्रणाली को बल देगा। अनुमान है कि वर्ष 2035

में लगभग 7.5 लाख लोग प्रतिदिन इस प्रणाली का उपयोग करेंगे। प्रारंभिक चरण में परियोजना के लिए उचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन [ईआईए] किया गया था और सांविधिक पर्यावरण मानदंडों का क्रियान्वयन निष्ठापूर्वक किया गया है।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव होंगे (उदाहरण के लिए अनैच्छिक पुनर्वास, गरीबी में कमी, प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव)।

भीड़भाड़ को कम करना - प्रमुख परिवहन केंद्रों (सियालदह और हावड़ा) और आवासीय क्षेत्रों (सॉल्ट लेक सिटी और भविष्य के राजरहाट न्यू टाउन) से शहर के मुख्य भाग (महाकरण और सेंट्रल) तक यात्रियों का परिवहन।

संरक्षा और सुरक्षा - यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे और अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का प्रावधान।

बेहतर वायु गुणवत्ता और ध्वनि प्रदूषण को कम करना - बस यात्राओं को कम करना और बढ़ती परिवहन मांग को पूरा करना और साथ ही लोगों को कारों और टैक्सियों से के स्थान पर एक बेहतर परिवहन प्रणाली प्रदान करना।

बेहतर जीवन स्तर - तनाव, वायु प्रदूषण एवं शोर और यातायात अव्यवस्था को कम करते हुए लगभग 100% समय पाबंदी के साथ सुखद और निर्बाध यात्रा अनुभव द्वारा जिंदगी की गुणवत्ता में वृद्धि। यहां तक कि ट्रेनों के ठहराव और रखरखाव के लिए डिपो का निर्माण भी पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ डिजाइन के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाएगा।

वित्तीय लागत

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लिए रेल मंत्रालय का संशोधित बजट आवंटन रु. 600.00 करोड़. रु. था। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय नेपास थ्रू असिस्टेंस के लिए 200.00 करोड़ जारी किए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, रेल मंत्रालय ने अधीनस्थ ऋण के लिए 300 करोड़ रुपये जारी किए।

शेयर पूंजी

फिलहाल कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 3758.62 करोड़ है।

31 मार्च, 2024 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी और जारी, सब्सक्राइब्ड और चुकता पूंजी रुपये 3758.62 करोड़ पर बनी रही। कंपनी में रेल मंत्रालय (पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हस्तांतरित शेयरों सहित) की धारित इक्विटी रुपये 2781.37 करोड़ (74%) थी जबकि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की 977.24 करोड़ रुपये (26%) थी।

जमा

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत जनता से जमा राशि को आमंत्रित नहीं किया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋण, निवेश और गारंटी का विवरण

कंपनी ने -

- क) किसी भी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है
- ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी भी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सिक्क्योरिटी नहीं दी है; तथा
- ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन निर्धारित नियमानुसार सदस्यता, खरीद या अन्यथा के माध्यम से किसी भी अन्य निगमित निकाय की प्रतिभूतियां हासिल नहीं की है।

सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनी

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई भी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं थी।

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड द्वारा गठित कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में 2023-24 के दौरान निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके (गैर-कार्यकारी) | : | अध्यक्ष |
| 2. श्री जयदीप (गैर-कार्यकारी) | : | सदस्य |
| 3. श्री धनंजय सिंह (गैर-कार्यकारी) | : | सदस्य |

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें हुईं—03.07.2023, 19.09.2023, 08.12.2023 और 31.03.2024 को।

आंतरिक लेखा परीक्षक

घांष बासु एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। लेखा परीक्षा समिति ने आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्य एवं उनके आवधिक प्रतिवेदन की समीक्षा की।

सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने राज कुमार कोठारी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के साथ पठित धारा 139 के अधीन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र (सांविधिक) लेखा परीक्षकों अर्थात् राज कुमार कोठारी एवं कं.का प्रतिवेदन संलग्न है।

राज कुमार कोठारी एंड कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप लेखा-परीक्षा की है। उक्त मानकों के अधीन उनकी जिम्मेदारियां हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरणों खंड की लेखा-परीक्षा हेतु लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित हैं। वे इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ ही साथ कंपनी अधिनियम 2013 एवं उसके अधीन नियमों के प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की उनकी लेखा-परीक्षा से सम्बंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी के स्वतंत्र हैं तथा उन्होंने इन आवश्यकताओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक ज़रूरतों को पूरा किया है। उनका विश्वास है कि उन्हें प्राप्त हुए लेखा-परीक्षा साक्ष्य उनकी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उचित हैं। और उनके द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं देखी गई है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं और किसी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में प्रकटीकरण पर कोई विशिष्टताएं, आपत्तियां, प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं दी हैं। उन्होंने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की लेखा परीक्षा समिति को धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

अधिनियम की धारा 143 (6) के अधीन 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ भी संलग्न हैं।

सीएजी ने वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों को उजागर किया है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

ए. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

तुलन-पत्र

परिसंपत्तियाँ - नॉन-करेंट परिसंपत्तियाँ

(बी) पूंजीगत प्रक्रियाधीन कार्य नोट सं. 5 और 6:

परिचालन पूर्व व्यय (लंबित विनिधान) नोट संख्या 6:

₹ 47.44 करोड़

ऋण लेने की लागत - नोट 6.1

नॉन-करेंट वित्तीय देयताएं

(1) ऋण - नोट 14 - 5011.20 करोड़

1) उधार लेने की लागत में 20 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी से लिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज 9.59 करोड़ 1 शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप नॉन-करेंट परिसंपत्तियों- परिचालन पूर्व व्यय (लंबित आवंटन)' को 9.59 करोड़ कम बताया गया और साथ ही नॉन-करेंट देयताओं-उधार को भी उतनी ही राशि कम बताया गया।

ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना जेआईसीएऋण द्वारा वित्तपोषित है, जिसके लिए ऋण खाते से संबंधित मूलधन और ब्याज राशि के पुनर्भुगतान के लिए वित्त मंत्रालय संप्रभु गारंटी धारक है।

चूंकि, केएमआरसीएल जेआईसीए द्वारा वितरित ऋण के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है, केएमआरसीएल के वार्षिक खाते में दिखाई गई ऋण राशि की बकाया स्थिति शुद्ध रूप से बोधात्मक है क्योंकि केएमआरसीएल द्वारा प्राप्त बजटीय सहायता से कोई वास्तविक नकद व्यय नहीं होता है।

वित्त वर्ष 2023-24 का लेखा 2 अप्रैल, 2024 को सीएए वेबसाइट पर उपलब्ध ऋण विवरणों के आधार पर तैयार किया गया था। ऋण ट्रांजे आईडी - 263 और 295 के लिए, ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष साल में दो बार की जाती है, एक बार 20 अप्रैल को और दूसरी बार 20 अक्टूबर को।

इसलिए, वित्त वर्ष 2023-24 में ऋण खाता-बही में उपलब्ध केवल 20.10.2023 तक के ब्याज का ही हिसाब दिया गया है।

तथापि, कृपया इस पर विचार किया जाए कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 20-10-2022 तक के ब्याज का हिसाब दिया गया था, इसलिए, वित्त वर्ष 2023-24 में 21-10-2022 से 20-10-2023 तक की बारह महीने की मध्यवर्ती अवधि के लिए ब्याज का हिसाब दिया गया है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

इसलिए, कम प्रावधान का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है और जेआईसीए ऋण आईडी -263 और 295 के उधार लागत का निर्धारण करने में न्यूनोक्ति नहीं की गई है। इसलिए, परिचालन पूर्व व्यय के साथ-साथ उधार (नॉन-करेंट) के अधीन उधार लागत में न्यूनोक्ति नहीं की गई है।

परिसंपत्तियाँ - नॉन-करेंट परिसंपत्तियाँ

(बी) पूंजीगत प्रक्रियाधीन कार्य - नोट सं. 5 और 6

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (नोट सं. 7) ₹ 253.70 करोड़

2) पूंजीगत प्रक्रियाधीन कार्य (सीडब्ल्यू आईपी) में दो 2 संविदाकारों/ परामर्शदाताओं को राज्यन वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹ 11.41 करोड़ दिखाया गया है।

कंपनी की लेखाकरण नीति सं. 3.7 के अनुसार एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति को प्राप्य एसजीएसटी के रूप में नॉन-करेंट परिसंपत्तियों के अंतर्गत रखा गया है और सीडब्यूटी कआईपी में उतनी ही कमी की गई है।

इसका परिणाम हुआ है कि सीडब्यूआईपी को ₹ 11.41 करोड़ अधिक दर्शाया गया है और अन्य। वित्तीय परिसंपत्तियों – प्राप्य एसजीएसटी को उतना ही कम दर्शाया गया है

पिछले वर्षों के बीजकों के लिए मेसर्स ट्रांसटोनेलस्ट्रॉय एफकॉन्स जेवी को ₹ 7.24 करोड़ एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की गई थी और यह प्रतिपूर्ति आखिरी बार वित्त वर्ष 2022-23 में की गई थी। यदि सलाह दी जाती है, तो इसे वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्य एसजीएसटी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

पिछले वर्षों के बीजकों के लिए जनरल कंसल्टेंट को ₹ 4.17 करोड़ एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की गई थी और यह प्रतिपूर्ति आखिरी बार वित्त वर्ष 2019-20 में की गई थी। यदि सलाह दी जाती है, तो इसे वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्य एसजीएसटी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

यह वर्गीकरण किसी भी तरह से वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि नॉन-करेंट परिसंपत्ति न तो अधिक बताई गई है न ही कम बताई गई है।

परिसंपत्तियां – नॉन-करेंट परिसंपत्तियां

पूंजीगत प्रक्रियाधीन कार्य

परिचालन पूर्व व्यय (लंबित विनिधान) (नोट- 6 :

अन्या प्रशासनिक व्यय नोट – 21.2 ₹ 123.50 करोड़)

3) उपरोक्त में कंपनी द्वारा एक विवाचन निर्णय को चुनौती देने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्देश के अधीन जमा की गई ₹ 31.43 करोड़ की राशि शामिल है।

इसे 'परिचालन पूर्व व्यय' के बजाय 'पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'परिचालन पूर्व व्यय (लंबित विनिधान) को अधिक दर्शाया गया है और 'अन्य। परिसंपत्तियां' (नॉन-करेंट) को ₹ 31.43 करोड़ कम दर्शाया गया है।

आईटीडी-आईटीडी सीईएम जेवी के पक्ष में जारी विवाचन निर्णय के विरुद्ध माननीय न्यायाधीश मौशुमी भट्टाचार्य के समक्ष वाद संख्या AP/749/2023 के अधीन अपील की गई। माननीय न्यायाधीश द्वारा यह निदेश दिया गया था कि निर्णय-देनदार 62,86,70,229/- रुपये की निर्णय राशि सुरक्षित करेगा, 50% नकद के रूप में और 50% बैंक गारंटी के रूप में। 'रजिस्ट्रार, ओरिजिनल साइड, उच्च न्यायालय, कलकत्ता' के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 31,43,35,114/- रुपये की नकद राशि जमा की जानी थी।

उपरोक्त लेनदेन, किसी विवाचन डिफ्री के विरुद्ध देय अग्रिम नहीं है, इसका भुगतान अदालत के आदेश का पालन करने के लिए किया गया था और अपील का निर्णय अभी तय नहीं हुआ है। और, यही कारण है कि, इसका लेखाकरण 'परिचालन पूर्व व्यय (लंबित विनिधान)' के रूप में किया गया है और प्रबंधन के अनुसार, 2023-24 के वार्षिक खातों में परिचालन पूर्व व्यय को अधिक नहीं दर्शाया गया है तथा अन्य परिसंपत्तियों को कम नहीं दर्शाया गया है।

1 ऋण आईडी-पी 263 (₹ 7.19 करोड़) और ऋण आईडी-पी 295 (.2.40 करोड़) के लिए जापानी येन और 0.5509 INR की विनिमय दर पर 2 यूजी-1 ठेकेदार ट्रांसटोनेलस्ट्रॉय एफकॉन्स जेवी और परियोजनाओं के जनरल कंसल्टेंट

संपत्ति – नॉन-करेंट परिसंपत्तियां

पूँजीगत प्रक्रियाधीन कार्य-नोट – 5

विद्युत आपूर्ति : ₹ 347.49 करोड़

4) उपरोक्त में मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के लिए बिजली शुल्क के रूप में खर्च की गई ₹ 14.75 करोड़ की राशि के लिए कंपनी का मेट्रो रेलवे से दावा किया गया ऊर्जा बिल शामिल है। इस राशि को सीडब्ल्यूआईपी में दर्शाने के बजाय 'मेट्रो रेलवे से प्राप्य' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए

इसके परिणामस्वरूप मेट्रो रेलवे, कोलकाता से प्राप्य राशि ₹ 14.75 करोड़ रुपये कम दर्शाई गई और सीडब्ल्यूआईपी के लिए इतनी ही राशि अधिक दर्शाई गई।

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ख़र्षण) सेंट्रल पार्क डिपो लोकेशन और हावड़ा स्टेशन लोकेशन पर स्थापित 33^{क्यू} ऊएए से ली गई बिजली के ऊर्जा बिलों का भुगतान कर रहा है।

केएमआरसीएल ने उन सेक्शनों के लिए मेट्रो रेलवे से कर्षण ऊर्जा शुल्क की प्रतिपूर्ति की मांग की है जहां वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है और मार्च 2024 तक ट्रेन परिचालन और रखरखाव क्रिया-कलाप के लिए ऊर्जा शुल्क का दावा ₹ 41.53 करोड़ रुपये है।

अब तक, मेट्रो रेलवे ने ₹ 4.00 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है और इसलिए, ₹ 37.53 करोड़ रुपये को मेट्रो रेलवे से प्राप्य के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, जबकि केएमआरसीएल ने 'मेट्रो रेलवे से प्राप्य' शीर्ष के अधीन ₹ 22.78 करोड़ रुपये और शेष ₹ 14.75 करोड़ रुपये विनिधान - 'बिजली आपूर्ति' के अधीन दिखाए हैं।

यह स्वीकार किया जाता है कि ₹ 14.75 करोड़ रुपये भी 'बिजली आपूर्ति' मद से 'मेट्रो रेलवे से प्राप्तियां' शीर्ष में स्थानांतरित किए जाने चाहिए थे और यह सुनिश्चित किया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में ऐसा किया जाएगा।

संपत्ति – करेंट परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियां

नकद और नकद समतुल्य से इतर बैंक शेष (नोट -10)

₹ 219.77 करोड़

5) उपरोक्त में एक बैंक गारंटी के सापेक्ष सावधि जमा की ₹ 34.43 करोड़ की राशि शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची छ के डिवीजन- छ के किसी कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों के खंड 6 (सी) (बी) के अनुसार 'मार्जिन मनी के रूप में रखी गई सीमा तक बैंकों के पास शेष राशि या उधारों, गारंटियों, अन्य प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध प्रतिभूतियों का अलग से खुलासा किया जाना चाहिए'।

तथापि, कंपनी ने बैंक गारंटी के बदले रखी गई ₹ 31.43 करोड़ की सावधि जमा का अलग से खुलासा नहीं किया था।

बैंक गारंटी का खुलासा न करना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-छ की आवश्यकताओं का अनुपालन न करना है। चालू वित्त वर्ष में इसे ठीक कर लिया जाएगा।

A. कंपनी द्वारा ₹ 62.87 करोड़ की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है, ₹ 31.43 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के रूप में, प्रतिभूति के रूप में इतनी ही राशि का सावधि जमा के साथ और रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, कलकत्ता को डीडी के जरिए ₹ 31.43 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इसलिए, निश्चित राशि, जो पहले ही खर्च की जा चुकी है और चालू वित्तीय विवरण में प्रासंगिक देयता के रूप में दर्ज की गई है, का खुलासा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

बी.लेखाकरण नीति पर टिप्पणियां

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

लेखाकरण नीतियाँ (नोट 2.1)

6. लेखाकरण नीतियाँ नोट 2.1 की ओर ध्यान आकषिप्त किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि 'संस्था के प्रबंधन द्वारा रेल मंत्रालय के मार्गदर्शन के अनुसार परिसंपत्तियों को परियोजना का चरण पूरा होने पर नहीं बल्कि परियोजना के पूर्ण होने पर पूँजीगत चालू कार्य से स्थिर परिसंपत्तियों में स्थानांतरित करने के लिए एक नीति अपनाई गई है;

तथापि रेल मंत्रालय का पत्र (2018) के अनुसार 'परियोजना के कार्यान्वयन के पूरा होने के बाद, मेट्रो रेलवे, कोलकाता एकीकृत नियंत्रण के तहत नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के साथ-साथ ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का परिचालन करेगा। रेल मंत्रालय के पत्र में परियोजना के पूर्ण होने पर परिसंपत्तियों को पूंजीगत प्रक्रियाधीन कार्य से स्थिर परिसंपत्ति में स्थानान्तरण करने के लिए कोई स्पष्ट लेखांकन उपचार अथवा कोई लेखांकन अनुदेश नहीं है। तदनुसार, नोट 2.1 रेल मंत्रालय के मार्गदर्शन के अनुरूप नहीं है।

एसपीवी के रूप में गठित केएमआरसीएल को पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के निर्माण का काम सौंपा गया है और मेट्रो रेलवे को एकीकृत नियंत्रण के अधीन उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के साथ-साथ पूर्ण की गई परियोजना के परिचालन और रखरखाव का काम सौंपा गया है। केएमआरसीएल एक ही चरण में परियोजना का निर्माण कर रहा है, हालांकि परियोजना का एक हिस्सा पहले ही चालू हो चुका है। हालांकि, कमीशन किए गए हिस्से से संबंधित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित कारणों से संभव नहीं है -

- A. हालांकि साल्ट लेक सेक्टर 3 से सियालदह तक वाणिज्यिक परिचालन पहले ही शुरू कर दिया गया है, लेकिन दी गई अधिकांश प्रमुख संविदाएं पूरे विस्तापर के लिए हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है।
- B. सृजित की गई कई परिसंपत्तियों में से कई (मुख्य रूप से रोलिंग स्टॉक, विद्युत और सिगनल व दूरसंचार) परिसंपत्तियां संपूर्ण परियोजना के लिए हैं और ये परस्पर संबंधित कार्य हैं। इसका मूल्यांकन संपूर्ण परियोजना के पूरा होने और चालू होने के बाद ही संभव है।

इसलिए, संपूर्ण परियोजना के पूरा होने और पूरे विस्ताहर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किए बिना, विधिवत मूल्य निर्धारित परिसंपत्तियों को सीडब्ल्यूआईपी से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है और परिणामस्वरूप मूल्यहास भी नहीं लिया जा सकता है।

इसलिए, यह फिर से आग्रह किया गया है कि जनवरी 2018 में रेल मंत्रालय द्वारा जारी पत्र की भावना को संज्ञान में लिया जाना चाहिए और प्रबंधन को लगता है कि कंपनी के हितधारकों को कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी गई है।

सी. आकस्मिक देयताएं और पूंजीगत प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न होने की सीमा तक)

7) कंपनी ने ₹ 62.87 करोड़ की राशि का माध्यस्थकम आदेश, जिसे कंपनी द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, की आकस्मिक देयता का खुलासा नहीं किया है।

कंपनी द्वारा 62.87 करोड़ की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है, 31.43 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के रूप में, प्रतिभूति के रूप में इतनी ही राशि का सावधि जमा के साथ और रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, कलकत्ता को डीडी के जरिए 31.43 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इसलिए, निश्चित राशि, जो पहले ही खर्च की जा चुकी है और चालू वित्तीय विवरण में प्रासंगिक देयता के रूप में दर्ज की गई है, का खुलासा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

निदेशक मंडल

फिलहाल बोर्ड की क्षमता अधिकतम 15 (पंद्रह) में से 10 (दस) निदेशकों की है।

निदेशक के रूप में कंपनी के साथ उनके जुड़े रहने के दौरान श्री एच. एन. जायसवाल और श्री अंशुमान सरकार द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं की बोर्ड ने ईमानदारी से सराहना की।

कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149 (4) के अनुपालन में, कंपनी को कम से कम दो "स्वतंत्र निदेशक" की आवश्यकता है जैसा कि इस समय बोर्ड पर अधिनियम की धारा 2 (47) द्वारा परिभाषित किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या 2021/ई(ओ)II/40/4 दिनांक 31.01.2024 के अनुसार श्रीमती अंबिका जैन, आईआरएएस को पीएफए/मेट्रो रेलवे/कोलकाता के रूप में उनके अपने प्रभार के अतिरिक्त 02.02.2024 से परियोजना के पूरा होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अतिरिक्त प्रभार के रूप में कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया है।

अधिनियम की धारा 152 (2) के अनुपालन में श्रीमती अंबिका जैन की नियुक्तियों की पुष्टि के लिए संकल्प को कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित किया जाएगा।

भारत सरकार, निगमित मामलों के मंत्रालय ने 5 जून 2015 को एक अधिसूचना जारी की है। उसी के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 152 (6) और 152 (7) के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे, जिसमें अन्यक बातों के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रदत्त शेयर पूँजी को केंद्र सरकार द्वारा धारित रखा जाता है। उसी के मद्देनजर, कंपनी के किसी भी निदेशक को आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की 08.05.2023, 03.07.2023, 08.08.2023, 19.09.2023, 08.12.2023, और 21.03.2023 को 6 (छह) बैठकें हुईं।

निदेशकों की उत्तरदायित्व अभिव्यक्ति

अधिनियम की धारा 134 (3) (सी) और धारा 134 (5) के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखा के संबंध में निदेशक मंडल की अभिव्यक्तियां निम्नवत हैं :

- (1) इसकी तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और कोई इसमें ठोस विचलन नहीं है;
- (2) वित्तीय विवरणों के द्रष्टव्य में वर्णित ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें लगातार लागू किया गया था तथा ऐसे निर्णय और अनुमान जो उचित और विवेकपूर्ण थे, जिससे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के मामलों एवं उस अवधि के दौरान आय और व्यय के बारे में और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- (3) कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया;
- (4) लेखा को एक 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किया गया था;
- (5) सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित और पर्याप्त प्रणालियां तैयार की गई थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी ढंग से परिचालित हो रही थीं;
- (6) सभी प्रयोज्यो सचिवीय मानकों का अनुपालन किया गया।

वार्षिक रिटर्न का सार

अधिनियम की धारा 92 (3) में यथा उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिटर्न का सार संलग्न (अनुलग्नक- I) किया गया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था

कंपनी रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। 'इंड एस 24' के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिन इकाइयों पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, तो प्रतिवेदन इकाई और अन्य संस्थाएं संबंधित पक्ष के रूप में मानी जाएंगी। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्था के लिए उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है और वित्तीय विवरणों में सीमित खुलासे किए हैं।

जिन संस्थानों के साथ वर्ष के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण लेन-देन थे उनमें (लेकिन सीमित नहीं) रेल मंत्रालय और बीईएमएल शामिल हैं।

(₹./करोड़)

लेन-देन की प्रकृति	निम्न समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
सरकारी संस्थाएं		
रेल मंत्रालय से प्राप्त निधियां	300.00	300.00
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त निधियां	-	-
अन्य संस्थाएं		
(क) उपयोगिताओं एवं पूंजी कार्यों के स्थानांतरण के लिए		
कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन	0.005	0.02
वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	-
(ख) दूसरों के लिए		
बीईएमएल लिमिटेड	8.01	102.97
भारत संचार निगम लिमिटेड	0.09	0.08
कुल :	308.105	403.07

वर्ष के दौरान 'प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों' के साथ संव्यवहार के विवरण वित्तीय विवरणों के नोट 33 में दिए गए हैं।

तदनुसार, 'फॉर्म एओसी -2' में कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 134(3) के क्लॉज (एच) के संदर्भ में संबंधित पार्टी के लेन-देन के प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च, 2024 (जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हों) के अंत और इस प्रतिवेदन की तारीख के बीच हुई कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

कर्मचारीगण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के पास ऐसा कोई भी कर्मचारी, चाहे नियमित, प्रतिनियुक्त पर या ठेकागत, नहीं था, जो कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा हो।

एक जोखिम प्रबंधन नीति का विकास एवं कार्यान्वयन

कंपनी वर्तमान में 'ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर' परियोजना को लागू कर रही है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में कंपनी परियोजना के निष्पादन के पूरा होने तक कार्य करती रहेगी। परियोजना के पूरा होने के बाद, भारत सरकार एकीकृत नियंत्रण के तहत उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के साथ इसे चलाएगी।

रेल मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि 'ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर' के पूरा होने के बाद, उसका परिचालन और रखरखाव मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त के संबंध में, रेल आधारित मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के परिचालन के लिए एक विशिष्ट जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने पर भविष्य में उचित समय पर विचार किया जाएगा। वित्तीय जोखिमों को कवर करने के लिए, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपायों को किया गया है (स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित लेखा परीक्षा के साथ-साथ भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के अलावा चार्टर्ड एकाउंटेंट की एक बाहरी फर्म द्वारा की गई आंतरिक लेखा-परीक्षा सहित)।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी परियोजना क्रियान्वयन के चरण में है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभ के आधार पर कंपनी को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 के प्रावधानों के तहत योगदान देना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम की धारा 135 की आवश्यकताओं तथा इसके तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुपालन में, कंपनी के पास निम्नलिखित निदेशकों की एक विधिवत गठित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति है।

- (1) श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके, नाम निर्दिष्ट निदेशक
- (2) श्री जयदीप, नाम निर्दिष्ट निदेशक और
- (3) श्री संजीत, नाम निर्दिष्ट निदेशक

समझौता ज्ञापन

वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संबंध में, चूंकि कंपनी एकल परियोजना का निर्माण कर रही है और कोई राजस्व उत्पन्न नहीं करती है, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने निर्देश दिया है कि रेल मंत्रालय कंपनी के साथ एक आंतरिक समझौता ज्ञापन तंत्र को जारी रख सकता है जबतक कि इसका परिचालन प्रारंभ नहीं होता और बाद में यह नए एमओयू दिशानिर्देशों द्वारा अच्छादित होगा।

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

कंपनी सर्वोत्तम निगमित अभिशासन अभ्यासों को अपनाने में विश्वास रखती है। जैसा कि सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश द्वारा वांछित है, निगमित अभिशासन पर एक प्रतिवेदन अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है। वही इस प्रतिवेदन का एक हिस्सा है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण पर प्रतिवेदन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन, जैसा कि निर्धारित है, वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा है और अनुलग्नक -III के रूप में भी संलग्न है।

नियामकों या न्यायालयों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और ठोस आदेश

किसी भी नियामक या अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण या ठोस आदेश नहीं पारित किया गया, जिसका कंपनी या उसके भविष्य के संचालन की चालू स्थिति पर प्रभाव पड़े।

महिलाओं की सुरक्षा और सुख-सुविधा

कंपनी के पास एक यौन-उत्पीड़न विरोधी नीति है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम,

2013 के अधीन एक 'आंतरिक शिकायत समिति' भी गठित की गई है। सभी कर्मचारी (ठेकागत सहित) इस नीति के अधीन शामिल हैं। शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :

- | | | | |
|------|--|---|-------|
| i. | वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या | - | शून्य |
| ii. | वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | - | शून्य |
| iii. | समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार लंबित शिकायतों की संख्या | - | शून्य |

अभिस्वीकृतियां

रेल मंत्रालय (क्षेत्रीय रेलों सहित); आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; वित्त मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से परियोजना के निष्पादन में प्राप्त सहायता और अथक सहयोग को बोर्ड अभिस्वीकृति प्रदान करना चाहता है।

बोर्ड कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोलकाता पुलिस, भारत संचार निगम लिमिटेड, सीईएससी लिमिटेड, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य विभिन्न प्राधिकारियों तथा एजेंसियों से प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है।

इस परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा की गई सुलभ ऋण सहायता के रूप में मदद अमूल्य है। बोर्ड परियोजना के निष्पादन में इस सहायता के महत्व को पूरी तरह से स्वीकार करता है।

बोर्ड विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों, सलाहकारों और तकनीकी विशेषज्ञों के निरंतर सहयोग और सहायता के लिए उनके प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करता है।

बोर्ड प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशेष रूप से प्रशंसा एवं उनके प्रति आभार प्रकट करता है।

कोलकाता, सॉल्टलेक और हावड़ा के विभिन्न हिस्सों, जहां निर्माण कार्य प्रगति पर था और है, के निवासियों, दुकानदारों, पैदल यात्रियों को कार्यस्थलों पर कार्यकलापों से असुविधा का सामना करना पड़ा है। बोर्ड ग्रेटर कोलकाता क्षेत्र में शहरी परिवहन की तस्वीर बदलने में इस परियोजना की क्षमता को समझने के लिए, इन गतिविधियों को धैर्यपूर्वक सहन करने के लिए इन सभी व्यक्तियों और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सभी स्तरों पर कंपनी के कर्मचारियों एवं अन्य लोगों द्वारा किए गए अथक प्रयासों, प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

**कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से**

**स्थान : कोलकाता
दिनांक : 30 सितंबर, 2024**

**पी.यू.के रेड्डी
अध्यक्ष**

अनुलग्नक-1

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा
कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

- (i) सीआईएन : U60100WB2008GOI127338
- (ii) पंजीकरण तिथि : 9 जुलाई, 2008
- (iii) कंपनी का नाम : कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- (iv) कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी : सार्वजनिक कंपनी / शेयरों द्वारा सीमित
- (v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण : 'केएमआरसीएल भवन', एचआरबीसी कार्यालय परिसर,
मुंशी प्रेमचंद सरणी,
कोलकाता - 700 021
दूरभाष: (033) 2213-4345;
फैक्स: (033) 2213-4380
- (vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है : नहीं
- (vii) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क विवरण : प्रयोज्य नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलाप:

कुल व्यवसाय कार्यकलाप में कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक का योगदान शामिल है:

क्रम सं.	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कुल कारोबार का %
-	परियोजना निष्पादन स्तर में कंपनी	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

III. होल्डिंग, सब्सिडियरी एवं एसोसिएट कंपनियों का विवरण : शून्य

IV. शेयरधारिता स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण):

- (i) श्रेणीवार शेयर धारित : भारतीय प्रमोटर
- केंद्र सरकार (भारत के राष्ट्रपति):
- वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या:**
- डीमैट : शून्य
- फिजिकल : 375,86,20,000
- कुल शेयरों का % : 100%
- वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या:**
- डीमैट : शून्य
- फिजिकल : 375,86,20,000
- कुल शेयरों का % : 100%
- वर्ष के दौरान परिवर्तन का % : 0%

(ii) प्रोमोटरो की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति (a/c रेलवेमंत्रालय)	278,13,79,200	74.00	0	278,13,79,200	74.00	0	0
2.	भारत के राष्ट्रपति (a/c शहरी विकास मंत्रालय)	97,72,40,000	26.00	0	97,72,40,00	26.00	0	0
3.	भारत के राष्ट्रपति के नामांकित	800	0	0	800	0	0	0
	कुल	375,86,20,000	100.00	शून्य	375,86,20,000	100.00	शून्य	शून्य

(iii) प्रोमोटरो की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारम्भ में	375,86,20,000	100	375,86,20,000	100
2	वर्ष के दौरान प्रोमोटरो की शेयरधारिता में तिविवार वृद्धि/ कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए तारीखवार विवरण	0	-	0	-
	वर्ष के अंत में	375,86,20,000	100	375,86,20,000	100

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (जीडीआर और एडीआर के निदेशक, प्रोमोटर और होल्डर्स के अतिरिक्त):

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री डी. क. मिश्रा	100	0.0001	100	0.001
2.	श्री संदीप जैन	100	0.0001	100	0.001
3.	श्री सुदीप श्रीवास्तव	100	0.0001	100	0.001
4.	श्री अजीत श्रीवास्तव	100	0.0001	100	0.001
5.	श्री धनंजय सिंह	100	0.0001	100	0.001
6.	श्री राजेश कुमार जैन	100	0.0001	100	0.001
7.	श्री आशीष सिंह	100	0.0001	100	0.001
8.	श्री जयदीप	100	0.0001	100	0.001

(उपरोक्त सभी शेयरधारक रेल मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत भारत के राष्ट्रपति a/c के नामिती हैं)

(v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिता

क्र. सं.	निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता (01.04.2020)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31.03.2021)	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	श्री जयदीप	100	0.0001	100	0.0001

नोट: श्री जयदीप कंपनी के निदेशक हैं। वर्ष के दौरान किसी भी अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पास कोई शेयर नहीं था।

(vi) ऋणग्रस्तता :

बकाया/अर्जित ब्याज, लेकिन भुगतान के लिए बकाया नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता:

	जमा के अतिरिक्त प्रतिभूति ऋण (रु.)	अप्रतिभूति ऋण (रु.)	जमा (रु.)	कुल ऋणग्रस्तता (रु.)
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन	-	3,61,52,279.94	-	3,61,52,279.94
(ii) ब्याज बकाया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
(iii) ब्याज प्रोद्भुत लेकिन बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	3,61,52,279.94	-	3,61,52,279.94
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- योग	-	47,02,716.72	-	47,02,716.72
- कमी	-	-	-	-
शुद्ध परिवर्तन	-	47,02,716.72	-	47,02,716.72
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन	-	3,13,97,875.28	-	3,13,97,875.28
(ii) ब्याज बकाया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
(iii) ब्याज प्रोद्भुत लेकिन बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i + ii + iii)	-	3,13,97,875.28	-	3,13,97,875.28

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं / या प्रबंधक को पारिश्रमिक :

सकल वेतन -

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	: रु. 55,05,000
(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	: शून्य
(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले मुनाफा	: शून्य
स्टॉक का विकल्प	: शून्य
स्वेट इक्विटी	: शून्य
कमीशन - लाभ के % के रूप में	: शून्य
अन्य	: शून्य
कुल	: रु. 55,05,000
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीलिंग	: अप्रयोज्य



VII. जुर्माना / सजा / अपराध शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माना / सजा / अपराध शमन का विवरण	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट]	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
सजा	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
अपराध शमन	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
सजा	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
अपराध शमन	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारीगण					
जुर्माना	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
सजा	शून्य	लागू नहीं	-	-	-
अपराध शमन	शून्य	लागू नहीं	-	-	-

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

निगमित अभिशासन पर कंपनी का दर्शन:

निगमित अभिशासन पर कंपनी के दर्शन का उद्देश्य है:

(क) दीर्घावधि हितधारक मूल्यों तथा अपनी निजी धन सृजन क्षमता को निम्न के माध्यम से बढ़ाना -

- सुदृढ़ व्यावसायिक निर्णय लेने में शीर्ष प्रबंधन की सहायता;
- दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन।

(ख) अपने सभी निर्णयों और कार्यकलापों में पारदर्शिता और व्यावसायिकता प्राप्त करना।

(ग) प्रकटीकरण अनुपालन के प्रति दृढ़ रहना।

(घ) निगमित अभिशासन में निम्न द्वारा उत्कृष्टता प्राप्त करना-

- निगमित अभिशासन पर प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुकूल और जहां भी संभव हों उसे बढ़ाना;
- मौजूदा प्रणालियों की समय-समय पर समीक्षा एवं आगे के सुधारों के लिए नियंत्रण;
- कार्य के आचार एवं व्यवहार में उच्च नैतिक मानकों की स्थापना;
- विधियों एवं नियमों का अनुपालन;
- बोर्ड द्वारा रणनीतिक मार्गदर्शन एवं प्रभावी निगरानी।

निदेशक मंडल :

संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के तहत यह कंपनी एक 'सरकारी कंपनी' है। वर्तमान में इसकी संपूर्ण चुकता शेयर पूंजी रेल मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 124 (ए) के संदर्भ में, निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल होंगे:

- रेल मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित निदेशकगण।
- प्रबंध निदेशक।
- पूर्णकालिक निदेशकगण / कार्यात्मक निदेशकगण।
- डिबेंचर धारकों द्वारा नामित निदेशक(गण)
- स्वतंत्र निदेशक (गण)।

धारा 124 (बी) के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में उसके अध्यक्ष सहित दस व्यक्तियों को नामांकित करने के लिए कंपनी को सम्बोधित करके लिखित में सूचित करने का अधिकार प्राप्त है।

धारा 125 के संदर्भ में, बोर्ड में कम से कम तीन या अधिक से अधिक 15 निदेशक होंगे। भारत सरकार ने अभी तक बोर्ड की संख्या की सलाह नहीं दी है।

दिनांक 31.03.2023 को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की संख्या 9 (नौ) थी, जिसमें 3 (तीन) कार्यचालक निदेशक, जैसे प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (आरएस एंड टी) और निदेशक (परियोजना और योजना), 1 (एक) निदेशक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित, 3 (तीन) निदेशक रेल मंत्रालय द्वारा नामित और 2 (दो) निदेशक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नामित शामिल थे।।

दिनांक 31.03.2024 को निदेशक मंडल का गठन एवं निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद की श्रेणी
1.	श्री श्री पी.यू.के. रेड्डी	अध्यक्ष
2.	श्री व्ही.के. श्रीवास्तीव	प्रबंध निदेशक (कार्यचालक निदेशक)
3.	श्रीमती अम्बिका जैन	निदेशक (वित्त) (कार्यचालक निदेशक)
4.	श्री सैयद मोहम्मद जमील अहसन	निदेशक (परियोजना एवं योजना) (कार्यचालक निदेशक)
5.	श्री जयदीप	नामिती निदेशक
6.	श्री. नागसेन मोरेश्वर ढोके	नामिती निदेशक
7..	श्री धनंजय सिंह	नामिती निदेशक
8.	श्री सौमित्र मोहन, आईएएस	नामिती निदेशक
9.	श्री संजीत	नामिती निदेशक

निदेशक मंडल की बैठकें:

निदेशक मंडल की बैठकें अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पर्याप्त सूचना देकर बुलाई जाती हैं। जब तक बैठक अल्पावधि सूचना पर न बुलाई जाए, बैठकों में सार्थक चर्चा की सुविधा के लिए व्यापक पृष्ठभूमि की जानकारी द्वारा समर्थित एजेंडा नोट्स और अन्य कागजात आम तौर पर बैठक के सात दिन पूर्व निदेशक मंडल के सदस्यों को परिपत्रित किया जाता है। जहां एजेंडा नोट्स/कागजातों के एक हिस्से के रूप में संबंधित पृष्ठभूमि की जानकारी को संलग्न करना या भेजना व्यावहारिक न हो या अन्यथा संलग्न किया जाए या भेजा न जाए, तो उसे बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

बैठकें एवं उपस्थिति:

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 08.05.2023, 03.07.2023, 08.08.2023, 19.09.2023, 08.12.2023 एवं 21.03.2024 को 6 (छह) बैठकें की।

निदेशक मंडल की बैठकों एवं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति निम्नलिखित अनुसार है : -

निदेशकों का नाम	बैठक में शामिल होने की सं.	19.09.2023 को आयोजित विगत एजीएम में उपस्थिति
श्री पी. यू. के. रेड्डी	6	हाँ
श्री एच.एन. जायसवाल	कोई नहीं	लागू नहीं
श्री व्हीए. के. श्रीवास्तीव	5	हाँ
श्री अंशुमन सरकार	5	हाँ
श्री सैयद. मोहम्मद जमील अहसन	6	हाँ
श्रीमती अम्बिका जैन	1	लागू नहीं
श्री असीम कुमार मजूमदार	5	हाँ
श्री जयदीप	5	हाँ
श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके	5	हाँ
श्री धनंजय सिंह	5	हाँ
डॉ. सौमित्र मोहन	2	हाँ

निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के विवरण को कार्यवृत्तग बही में दर्ज एवं प्रविष्टि तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।

लेखा परीक्षा समिति:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड द्वारा गठित कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेश शामिल थे :

1. श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके (गैर-कार्यकारी) : अध्यक्ष
2. श्री जयदीप (गैर-कार्यकारी) : सदस्या
3. श्री धनंजय सिंह (गैर-कार्यकारी) : सदस्य

31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 03.06.2023, 19.09.2023, 08.12.2023 और 21.03.2024 को समिति की चार बैठकें आयोजित हुईं।

कंपनी सचिव का कार्य समिति के सचिव के रूप में होता है। समिति की बैठकों में लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता है। जब कभी आवश्यक हो, समिति बैठक में किसी अधिकारी को आमंत्रित करती है।

लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें (दिनांक 26.08.2009 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन अनुसार) निम्नानुसार हैं:

1. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं लेखा परीक्षकों के प्रेक्षणसहित लेखा परीक्षा का विषय-क्षेत्र के बारे में समय-समय पर लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा;
2. निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा;
3. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करना;
4. उपर्युक्त मामलों में से किसी में या बोर्ड द्वारा यथासंदर्भित मामले में जांच; तथा
5. प्रबंधन सूचना प्रणाली आदि की समीक्षा।

मई, 2010 में भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश के अनुच्छेद 4.2 के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति को सौंपी गई भूमिका का भी पालन किया जा रहा है।

प्रबंधन, वैधानिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच समिति एक कड़ी के रूप में कार्य करती है और वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली का आकलन करती है। लेखा परीक्षा समिति का गठन सिर्फ गैर-कार्यचालक निदेशकों को लेकर किया गया था।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 168 (1) के अनुपालन में, एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन निम्न लिखित निदेशकों को शामिल करके किया गया है:

1. श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके	(गैर-सरकारी निदेशक)	: अध्यक्ष
2. श्री जयदीप	(गैर-सरकारी निदेशक)	: सदस्यक
3. श्री संजीत	(गैर-सरकारी निदेशक)	: सदस्यक

गैर-सरकारी स्वरतंत्र निदेशक प्रत्येक बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए : 20,000/- तथा समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए : 15,000/- का पारिश्रमिक के हकदार हैं।

कार्यचालक निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यचालक निदेशक (जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उनको छोड़कर) रेल मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर अपने मूल संवर्ग के वेतनमान और अनुमेय भत्तों पर आते हैं।

आचरण संहिता:

निदेशक मंडल द्वारा मानकों को बनाए रखने एवं विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण और आचार संहिता बनाई गई है। इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है:

वार्षिक सामान्य/ आम बैठकें:

पिछली तीन वार्षिक सामान्य/ आम बैठकों का विवरण निम्नलिखित अनुसार है :

वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव पारित, यदि कोई हो
2022-23	19.09.2023 को 15.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से	कोई नहीं
2021-22	29.11.2022 को 15.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से	कोई नहीं
2022-21	27.11.2021 को 12.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से	कोई नहीं

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सामान्य/ आम बैठक दिनांक 30.09.2024 को 16.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

प्रकटीकरण:

- अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्टी संबंधी लेन-देन, जिसमें कंपनी के हितों के साथ बड़े पैमाने पर संभावित संघर्ष हो सकता है - ऐसा कोई लेन-देन नहीं है। हालाँकि, लेखांकन मानक एस 18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण को 'वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों' में शामिल किया गया है।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश से संबंधी किसी मामले में कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन, किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर लगाए गए जुर्माना, दंड का विवरण - कोई नहीं।
- व्हिसल ब्लोअर नीति एवं इसकी पुष्टि कि किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से रोका नहीं गया है - कंपनी ने 'व्हिसल ब्लोअर नीति' को अपनाया है। कंपनी के किसी भी कर्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

- iv) दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण - कंपनी ने आम तौर पर दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
- v) केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों और वर्ष के दौरान तथा पिछले तीन वर्षों में उनके अनुपालन का विवरण - गत वर्ष के दौरान राष्ट्रपति का कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था।
- vi) लेखा बही में डेबिट किए गए ऐसे व्यय की मदें, जो व्यापार के उद्देश्यों के लिए नहीं हैं - वर्ष के दौरान व्यय की ऐसी कोई मद नहीं है।
- ivii) खर्च जो व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यय किए गए हैं - कोई नहीं

संचार साधन:

कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। इसलिए, समाचार-पत्रों में तिमाही परिणाम प्रकाशित नहीं होते हैं। हालांकि, अंकेक्षित किए गए वार्षिक वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.kmrc.co.in) पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

पत्राचार हेतु पता:

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
'केएमआरसीएल भवन', एचआरबीसी कार्यालय परिसर
मुंशी प्रेमचंद सरणी, कोलकाता - 600021

लेखा परीक्षा योग्यता:

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में कोई योग्यता नहीं है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

यह कंपनी विशेष रूप से कोलकाता में 'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर' परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए गठित की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय (दिनांक 23.08.2012 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार) यह कंपनी ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के लिए केवल ' परियोजना कार्यान्वयन इकाई ' है। यह परियोजना के निष्पादन के पूरा होने तक कार्य करती रहेगी। हालांकि, कंपनी के सभी शेयर भारत सरकार के पास होंगे, जो परियोजना के पूरा होने के बाद एकीकृत नियंत्रण के तहत मौजूदा नॉर्थ-साऊथ कॉरिडोर के साथ-साथ इस प्रणाली को परिचालित करेगी। परियोजना के निष्पादन के पश्चात्, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का परिचालन मेट्रो रेलवे, कोलकाता के साथ विलय कर दिया जायेगा। इसलिए,, कंपनी के बिजनेस मॉडल में बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता अब तक महसूस नहीं की गई है। हालांकि, कंपनी ने निदेशकों को प्रशिक्षित करने का निर्णय ले लिया है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

व्हिसल ब्लोअर नीति:

कंपनी ने एक 'व्हिसल ब्लोअर नीति' को अपनाया है, जिसे इसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इस तरह की नीति कर्मचारियों को अत्याचार के भय के बिना कंपनी के भीतर गंभीर अनियमितताओं पर अपनी चिंता प्रकट करने का आधार प्रदान करती है और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को सुरक्षित प्रकटीकरण की सुरक्षा प्रदान करती है।

अनुपालन प्रमाणपत्र:

यह प्रतिवेदन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश की आवश्यकताओं का यथावत अनुपालन करता है। निगमित अभिशासन पर ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में एक अभ्यासी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस प्रतिवेदन में संलग्न किया गया है।

कोलकाता
दिनांक: 30 सितंबर, 2024

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
पी.यू.के.रेड्डी
अध्यक्ष

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

शहरीकरण अवसरों के माध्यम से उत्पन्न वर्तमान विश्व प्रवृत्ति है शहरों से जुड़ा हुआ है। अधिक से अधिक लोग ग्रामीण से शहरी की ओर जा रहे हैं इलाकों। यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 में, लगभग 4.9 बिलियन लोग (वैश्विक का 60%) आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेंगे। इसलिए, शहरों के भविष्य के डिजाइन का उद्देश्य है शहरी जीवन टिकाऊ की उच्च गुणवत्ता का निर्माण करते हुए बड़ी आबादी को समायोजित करें समाज को। इसलिए, आज की दुनिया में मेगासिटी को परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है जिसमें स्थिरता के बुनियादी गुण हैं - कुशल, सस्ती, सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को आदर्श पाया गया है इस संबंध में परिवहन समाधान, जैसा कि शहरों की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है भारत और अन्य देशों दोनों में समान विकल्प चुनना।

कंपनी का गठन 'ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर' को लागू करने के लिए किया गया है पूर्व में साल्ट लेक सेक्टर ३ को पश्चिम में हावड़ा मैदान से जोड़ता है। सरकार भारत सरकार (जीओआई) ने निर्णय लिया है कि यह कंपनी परियोजना कार्यान्वयन इकाई होगी और परियोजना के निष्पादन के पूरा होने तक कार्य करना जारी रखते हैं। हालांकि, सभी कंपनी के शेयर भारत सरकार के पास होंगे, जो परियोजना के पूरा होने के बाद एकीकृत नियंत्रण के अंतर्गत उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के साथ-साथ प्रणाली को चलाना।

और तकनीकी आधार के साथ बुनियादी ढांचापरियोजनाओं को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए कार्यान्वयन मानकों और प्रथाओं के साथ एक वातावरण में उपयोगकर्ताओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और संतुष्टि के प्रति अत्यधिक सावधानीसार्वजनिक सेवा और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के बीच तालमेल का।

मिशन:

शहरी में 'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर' एमआरटीएस परियोजना को लागू करनाकोलकाता शहर का समूह और हावड़ा और साल्ट के शहरीकृत परिवेशइस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गतिशीलता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए झील।

वस्तुनिष्ठ:

1. 'ईस्टवेस्टमेट्रो' को अत्याधुनिक शहरी यात्रीमास केरूप में स्थापित करना पार गमन प्रणाली, सस्ती, परेशानी मुक्त, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त प्रदानकर नाशहरके जीवन के लिए वाहन।
2. एकीकृत यातायात के एक हिस्से के रूप में मेट्रो सवारियों को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करनाकोलकाता शहर और इसके लिए युक्तिकरण योजना और व्यापक गतिशीलता योजनाहावड़ा और साल्ट लेक का शहरीकृत परिवेश।
3. प्राप्त करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन जुटानावित्तीय सुदृढ़ता और स्थिरता।
4. उचित कामचलाऊ कौशल के साथ कम से कम लागत वृद्धि के साथ परियोजना को निष्पादित करने के लिएप्राप्त करने के लिए उपलब्ध वित्तीय और तकनीकी संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करनाइष्टतम समय लक्ष्य।
5. एक लागत प्रभावी संगठनात्मक सेट अप बनाए रखने और उचित प्रशिक्षण को लागू करने के लिएऔर एक प्रेरित और उत्पन्न करने के लिए सर्वोत्तम मानकों के मूल्य संवर्धन कार्यक्रम औरपरिणाम उत्मुख परियोजना टीम।
6. के निष्पादन के दौरान गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिएपरियोजना।

परियोजना के निष्पादन में आने वाली कठिनाइयाँ:

परियोजना कार्यान्वयन (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित के अनुसार) प्रभावित हुआ हैभूमि की अनुपलब्धता तथा पुन सरेखण मुद्दे जैसे बाहरी कारकों के कारण।समय के साथ-साथ लागत में भी वृद्धि हुई है। परियोजना कार्यान्वित की जा रही हैदो चरणों में अर्थात साल्ट लेक सेक्टर V से फूलबागान तक चरण-I और चरण-छफूलबागान से हावड़ा मैदान।

पूरे चरण - I को अब दो चरणों में चालू किया गया है; नमक से चरण-ध्लेक सेक्टर-V स्टेशन से साल्ट लेक स्टेडियम स्टेशन 14.02.2020 से और साल्ट सेलेक स्टेडियम स्टेशन से फूलबागान 05.10.2020 से। का कार्यान्वयनचरण-I दत्ताबाद और स्वाभूमि में भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित हुआ था(ख) केन्द्रीय पार्क में डिपो के साथ-साथ एक पर एलिवेटेड वायडक्ट के निर्माण को प्रभावित कियाक्रमशः 365 मीटर और 120 मीटर स्ट्रेच। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के2013 में स्वाभूमि और 2015 में दत्ताबाद के लोगों का पुनर्वास किया गया था औरइसके बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ा। डिपो में जमीन का मुद्दा भी थाकेवल 2013 में हल किया गया।

चरण-II में प्रस्तावित सेंट्रल एवं महाकरन स्टेशनों के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने मार्ग पुन निर्माण का प्रस्ताव दिया था।इसने (पुनःसरेखित मार्ग के अनुसार परियोजना को निष्पादित करना) इस के विस्तार को निम्न द्वारा प्रेरित किया है इस परियोजना में 1.878 किमी की अतिरिक्त समय और लागत शामिल है। रेल मंत्रालय ने स्वीकार किया अगस्त 2015 में पुनर्गठन प्रस्ताव और चरण- II में गतिरोध जो था 2012 खत्म होने के बाद से जारी है। इस खंड पर काम सितंबर 2015 में फिर से शुरू हुआ।

हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड खंड परियोजना के चरण - II में शामिल, 4.80 किमी के खंड को कवर करने वाले खंड का उद्घाटन 6 मार्च, 2024 को माननीय द्वारा किया गया था। भारत के प्रधान मंत्री और 15 मार्च, 2024 को कमीशन किया गया था।

बउबाजार टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन) में पानी के प्रवेश की तीन घटनाएं रिट्रीवल शाफ्ट ने परियोजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से भी महत्वपूर्ण स्वीकृतियां प्राप्त करनी पड़ी (चूंकि कुछ संरक्षित स्मारक मार्ग के आस-पास स्थित हैं) और रक्षा 2017 में प्राधिकरण (चूंकि स्टेशनों में से एक सेना के स्वामित्व वाली भूमि के अधीन होगा)।

अवसर:

चूंकि परियोजना को संशोधित संरक्षण के अनुसार निष्पादित किया जा रहा है, इसलिए यह आशा की जाती है कि प्रस्तावित एस्प्लेनेड स्टेशन के माध्यम से काफी अधिक यात्री यातायात होगा ('पूर्व-पश्चिम' और 'उत्तर-दक्षिण' मेट्रो लाइनों का इंटर-चेंज स्टेशन)। जोका-बीबीडीबैंग मेट्रो लाइन भी एस्प्लेनेड पर समाप्त होगी। एस्प्लेनेड में एक बस हब स्थित है प्रस्तावित स्टेशन के करीब। इसके अलावा, यह केंद्रीय व्यवसाय के निकट भी है कोलकाता का जिला। पूरा होने पर, परियोजना अंतर-नोडल भी प्रदान करेगी हावड़ा और सियालदह में दो व्यस्त सतही रेलवे स्टेशनों के साथ कनेक्टिविटी, कनेक्शन नौका, बस और ट्राम के लिए। शायद समकालीन में कोई अन्य जन पारगमन प्रणाली नहीं है दुनिया परिवहन के कई विध साधनों को जोड़ती है।

कोलकाता शहर और आसपास के क्षेत्रों के जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए, 'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो' लाइन की सवारियों की संभावित मांग को एक माना जाता है अनूठी विशेषता।

इन सभी जन-केंद्रित मूल्यों और इसमें शामिल अवसरों को ध्यान में रखते हुए परियोजना, यूनाइटेड किंगडम के सिविल इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित संस्थान पर है उनका द्वि-शताब्दी के अवसर पर परियोजना को दो सौ परियोजनाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया दुनिया में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। परियोजना 2018 में दोहा में आयोजित विश्व सुरंग कांग्रेस में भी चित्रित किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय वाहवाही ने प्रोजेक्ट टीम का मनोबल एक नई ऊंचाई तक बढ़ा दिया है।

'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो' की संकल्पना इस तरह से की गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कनेक्शन की संभावना साल्ट लेक सेक्टर - २ इसी प्रकार, पश्चिमी छोर पर, लाइन को संतरगाछी ओर रामराजतला।

हावड़ा और सियालदह स्टेशन दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक होंगे? इन दोनों स्टेशनों को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन के साथ भारी यात्री यातायात उत्पन्न करते हैं सुबह और शाम के व्यस्त घंटों के दौरान। 'ईस्ट-वेस्ट मेट्रो' लाइन प्रदान करेगी कोलकाता के केंद्रीय व्यापार जिले के भीतर यात्रियों को महत्वपूर्ण लाभ और पूर्व में न्यू टाउन, साल्ट लेक और राजारहाट के साथ-साथ हावड़ा के निवासियों के लिए पश्चिमी सीमा में शहर और आसपास के क्षेत्र।

खतरों:

संशोधित समय अनुसूची और लागत के अनुसार परियोजना की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न स्टेकहोल्डरों अर्थात् पणधारियों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। मंत्रालय रेलवे; आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय; वित्त मंत्रालय; सरकार (क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल का जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी; आदि। हालांकि, यहां तक कि समन्वित प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं कि परियोजना को निष्पादित किया जाए इस तरह के एक परिसर में इतने सारे बाहरी कारकों की भागीदारी के कारण समय और लागत परियोजना जैव-क्षेत्र।

सड़कों को बंद करने और निर्माण के लिए फ्लाईओवर के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करना साथ ही संशोधित के भीतर आने वाली विभिन्न उपयोगिताओं (ज्यादातर भूमिगत) का स्थानांतरण संरक्षण उसी की पहचान के रूप में समय से अधिक होने का खतरा पैदा करता है, प्राप्त करता है कोलकाता जैसे घनी आबादी वाले शहर में अनुमति के साथ-साथ कार्यान्वयन

इसमें विविध हितधारक शामिल हैं और इसमें अत्यधिक समय लगता है।

इसके अलावा, सुरंग में पानी के प्रवेश की बार-बार होने वाली घटनाओं ने भी परियोजना की प्रगति।

आंतरिक नियंत्रण:

एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण ढांचा प्रदान करने के लिए एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता है उचित आश्वासन है कि संगठन के मिशन की खोज में, सामान्य परियोजना को निष्पादित करने के उद्देश्य नैतिक, आर्थिक और प्रभावी है हासिल। इस संदर्भ में, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार किया जाता है पर्याप्त और इसके आकार के अनुरूप।

भविष्य का दृष्टिकोण:

कंपनी 'कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो' को एक अत्याधुनिक के रूप में स्थापित करने का इरादा रखती है शहरी यात्री एमआरटीएस सस्ती, पेशानी मुक्त, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त प्रदान करते हैं शहर के जीवन के लिए परिवहन का तरीका। पूर्णता को ध्यान में रखते हुए, कंपनी है परियोजना के कार्यान्वयन में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। यह कंपनी एक विश्व स्तरीय तकनीकी डेटा बेस तैयार करेगी और जानेगी कि ऐसी उल्लेखनीय मेट्रो परियोजना की योजना और कार्यान्वयन जो हो सकता है क्षितिज में भविष्य की परियोजनाओं के लिए परियोजना हितधारकों द्वारा उपयोग किया जाता है

निगमित अभिशासन अनुपालन प्रमाणपत्र

प्रति

सदस्यगण

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : U60100WB2008GO1127338

हमने 31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा गया) द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की, जैसा कि भारत सरकार, भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश 2010 और उसके अधीन उल्लिखित अनुलग्नकों (इसके बाद दिशानिर्देश कहा गया) में वर्णित किया गया है।

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई उसकी प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन तक सीमित थी, जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लिखित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित के :

- 1) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची छ के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला निदेशक की न्यूनतम संख्या भी नहीं है। साथ ही समितियों के गठन और कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकों का भी अनुपालन नहीं किया गया है।
- 2) यद्यपि रेलवे बोर्ड, भारत सरकार द्वारा श्री असीम कुमार मजूमदार को 01.06.2023 से केएमआरएल में बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया गया है, तथापि, हमें सूचित किया गया है कि एमसीए में उक्त नियुक्ति के लिए फॉर्म डीआईआर -12 दाखिल नहीं किया जा सका है क्योंकि ऐसे निदेशक के लिए डीआईएन उपलब्ध नहीं था।

हम पुनः बताते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन भविष्य में कंपनी की जीवनक्षम के रूप में न तो आश्वासन है न ही प्रभावशीलता की कार्यकुशलता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते डी. राउत एंड एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

देवेन्द्र राउत

सत्वाधिकारी, एसीएस संख्या।: 16626

सीपी संख्या : 5232

यूडीआईएन: A016626F001310204

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 24/09/2024

प्रपत्र संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में.]

प्रति

सदस्यगण

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(सीआईएन: U60100WB2008G0I127338)

हमने प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों तथा कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसमें इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा अच्छी निगमित कार्यपद्धति के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से की गयी है, जो निगमित आचार/ सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपने मत व्यक्त करने का हमें समुचित आधार प्रदान करता है।

कंपनी के लेखों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पंजिका, प्रपत्र तथा फाइल किए गए रिटर्न एवं कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा संचालित करने के दौरान, हम एतद द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मत से कंपनी ने, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, इसके अधीन सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं हैं तथा अब तक अनुपालन मैकनिज्म सही है तथा इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे जा रहे लेखों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पंजिकाओं, फॉर्मों तथा फाइल किए गए रिटर्नों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है,

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अधीन बनाए गए नियम।
- (ii) कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। अतः सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 ('SCRA') और उसके अधीन बनाए गए नियम इस पर लागू नहीं होते हैं।
- (iii) कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, अतः डिपोजिटरीज अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम एवं बाई-लॉज इस पर लागू नहीं होते हैं।
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम व विनियम कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- (v) कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, अतः सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 ('सेबी एक्ट') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश इसके ऊपर लागू नहीं हैं :-
 - (क) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स) रेगुलेशन्स, 2011,
 - (ख) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशन्स, 1992,
 - (ग) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (ईश्यू ऑफ कैपिटल एण्ड डिस्क्लोजर रिकवायरमेन्ट्स) रेगुलेशन्स, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं),
 - (घ) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम एण्ड एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम) गाइडलाइन्स, 1999
 - (ङ) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (ईश्यू एण्ड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज) रेगुलेशन्स, 2008 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है),
 - (च) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (रजिस्ट्रार टू ऐन ईश्यू एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स) रेगुलेशन्स, 1993, कंपनी अधिनियम 2013 एवं ग्राहक के साथ डीलिंग के संबंध में।
 - (छ) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स) रेगुलेशन्स, 2009 (लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरों को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान न तो डीलिट किया है/ न ही डीलिट करने का प्रस्ताव दिया है); और
 - (ज) दि सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज) रेगुलेशन्स, 1998 (लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपने सिक्योरिटी को समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान न तो वापस खरीदा है/और न ही बाईबैक का प्रस्ताव दिया है)।

(vi) कंपनी (रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) कोलकाता में रेल आधारित ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़ी हुई है। प्रबंधन द्वारा जैसा चिह्नित किया गया है, इस पर साधारण कानून के अलावा निम्नलिखित विशिष्ट कानून लागू हैं :

(क) श्रमिक एवं कारीगर से संबंधी कानून

(ख) भविष्य निधि

(ग) विभिन्न कानूनों के अधीन कार्यस्थल पर मूलभूत सुरक्षा का प्रावधान एवं स्वास्थ्य का प्रावधान

(घ) पर्यावरण संबंधी कानून

हमने निम्नलिखित के लागू उपबंधों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) दि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1) एवं साधारण बैठक (एसएस-2) के सम्बन्ध में सचिवीय मानक।

(ii) कंपनी ने अपने द्वारा जारी सिक्क्योरिटीज (शेयरों) के संबंध में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोई सूचीबद्धता करार नहीं किया है, क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित प्रेक्षण के:

1) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची छ के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के पास न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र निदेशक और एक महिला निदेशक नहीं है। साथ ही समितियों के गठन और कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकों का भी अनुपालन नहीं किया गया है।

2) यद्यपि रेलवे बोर्ड भारत सरकार द्वारा श्री असीम कुमार मजूमदार को 01.06.2023 से केएमआरसीएल में बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया गया है, हमें सूचित किया गया है कि उक्त नियुक्ति के लिए एमसीए में फॉर्म डीआईआर -12 दाखिल नहीं किया जा सका क्योंकि ऐसे निदेशक के लिए डीआईएन उपलब्ध नहीं है।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि :

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर - कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ, सिवाय ऊपर उल्लिखित स्वतंत्र निदेशकों और एक महिला निदेशक के, विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

समस्त निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की अनुसूची, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट के लिए पर्याप्त सूचना कम से कम सात दिन पहले भेज दी गई थी तथा बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए एवं बैठक के पूर्व कार्यसूची के मदों पर और अधिक सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं माँगने की एक प्रणाली भी विद्यमान है।

अधिकांश निर्णय तब किया जाता है जब असहमत सदस्यों के विचार (यदि कोई हों) को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं निगरानी रखने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप कंपनी के पास पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रिया है।

हम आगे रिपोर्ट देते हैं कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान :

क) चूंकि कंपनी की कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए कंपनी पर सीएसआर लागू है। कंपनी को पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% योगदान और खर्च करना आवश्यक है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना के अनुसार)। आगे प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि कंपनी के लिए सीएसआर में वित्त वर्ष के दौरान योगदान देना आवश्यक नहीं है धारा 198 के अधीन गणना किया गया कंपनी का लाभ ऋणात्माक है।

कृते डी. राउत एसोसिएट्स
कंपनी सेक्रेटरीज

देबेन्द्र राउत
सत्वाधिकारी

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 24.09.2024

एसोसिएट्स सं: 16626 सीपी सं : 5232
यूडीआईएन: A01662F001302636

यह प्रतिवेदन संलग्न अनुलग्नक के साथ पढ़ा जाएगा।

अनुलग्नक :- I

सेवा में

सदस्यगण

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमारे सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

सचिवीय लेखा परीक्षा में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी द्वारा बनाए गए रजिस्ट्रों और दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है। यह कंपनी द्वारा किए गए किसी भी वित्तीय लेनदेन को कवर नहीं करता है। लेखा परीक्षा या रिपोर्ट इंजीनियरिंग, निर्माण और अन्य विनिर्माण या सेवा या मानव संसाधन मामलों या उन पहलुओं को नियंत्रित करने वाले किसी भी कानून को कवर नहीं करती है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी :

1. यह कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव करे तथा सभी प्रयोज्य कानूनों एवं विनियामकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली को लागू करे तथा सुनिश्चित करे कि प्रणाली पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से परिचालित है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है।

सचिवीय लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धति एवं प्रथाएं हमारे अभिमत को वाज़िब आधार प्रदान करती हैं।
3. जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के घटने के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

अस्वीकरण :

1. इस रिपोर्ट का उद्देश्य आ पूरी तरह से कंपनी अधिनियम, 2013 या सेबी (एलओडीआर) (केवल सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए लागू) के तहत कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन पर एक राय बनाने के लिए है और यह न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
2. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा की पुस्तकों के सही और उपयुक्त होने को सत्यापित नहीं किया है।
3. लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारीकर्ता का दायित्व उस व्यावसायिक शुल्क तक सीमित है जो उसे इस कार्य के लिए प्राप्त हुआ है।



KMRC

वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24



OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT

Railway Production Units and Metro Railway

NKG Building (5th Floor), 14, Strand Road

Kolkata - 700 001

No. RPU & MR/KMRCL/2024-25

Date: 30.09.2024

प्रति

प्रबंध निदेशक,

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

केएमआरसीएल भवन (एचआरबीसी कार्यालय परिसर)

मुंशी प्रेमचंद सरणी,

कलकत्ता - 700 021

विषय : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कृपया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संलग्नित टिप्पणियों को प्राप्त करें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(एन मैसनम)

महानिदेशक, लेखा परीक्षा

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 29 जुलाई 2024 में और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षण के बाद 27 सितंबर को 2024 को उनके संशोधन में कहा गया है कि ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत एक अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की पृष्ठताल और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है। अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर के लिए आवश्यक हैं:

ए. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

तुलन-पत्र

परिसंपत्तियां - नॉन-करेंट परिसंपत्तियां

(बी) पूंजीगत प्रक्रियाधीन कार्य नोट सं. 5 और 6:

परिचालन पूर्व व्यय (लंबित विनिधान) नोट संख्या 6:

रु 47.44 करोड़

ऋण लेने की लागत - नोट 6.1

नॉन-करेंट वित्तीय देयताएं

(1) ऋण - नोट 14 - रु 5011.20 करोड़

- 1) उधार लेने की लागत में 20 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी से लिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज 9.59 करोड़ 1 शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप नॉन-करेंट परिसंपत्तियों- परिचालन पूर्व व्यय (लंबित आवंटन) को 9.59 करोड़ कम बताया गया और साथ ही नॉन-करेंट देयताओं-उधार को भी उतनी ही राशि कम बताया गया।

परिसंपत्तियां - नॉन-करेंट परिसंपत्तियां

(बी) पूंजीगत प्रक्रियाधीन कार्य - नोट सं. 5 और 6

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट सं. 7) रु 253.70 करोड़

- 2) पूंजीगत प्रक्रियाधीन कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में दो 2 संविदाकारों/ परामर्शदाताओं को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति के रूप में रु 11.41 करोड़ दिखाया गया है।

कंपनी की लेखाकरण नीति सं. 3.7 के अनुसार एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति को प्रायः एसजीएसटी के रूप में नॉन-करेंट परिसंपत्तियों के अंतर्गत रखा गया है और सीडब्ल्यूआईपी में उतनी ही कमी की गई है।

इसलिए, सीडब्ल्यूआईपी से 11.41 करोड़ रुपये की प्राप्त एसजीएसटी राशि को कम किया जाना चाहिए था। इसका परिणाम हुआ है कि सीडब्ल्यूआईपी को रु 11.41 करोड़ अधिक दर्शाया गया है और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों - प्रायः एसजीएसटी को उतना ही कम दर्शाया गया है।

परिसंपत्तियां - नॉन-करेंट परिसंपत्तियां

पूंजीगत प्रक्रियाधीन कार्य

परिचालन पूर्व व्यय (लंबित विनिधान) (नोट- 6):

अन्य प्रशासनिक व्यय नोट - 21.2 रु 123.50 करोड़)

- 1 ऋण आईडी-पी 263 (7.19 करोड़) और ऋण आईडी-पी 295 (2.40 करोड़) के लिए जापानी येन और 0.5509 INR की विनिमय दर पर 2 यूजी-1 ठेकेदार ट्रैस्टोनलस्टॉय एफकॉन्स जेवी और परियोजनाओं के जनरल कंसल्टेंट

- 3) उपरोक्त में कंपनी द्वारा एक विवाचन निर्णय को चुनौती देने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्देश के अधीन जमा की गई रु 31.43 करोड़ की राशि शामिल है।

इसे 'परिचालन पूर्व व्यय' के बजाय 'पूँजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'परिचालन पूर्व व्यय (लंबित विनिधान) को अधिक दर्शाया गया है और 'अन्य परिसंपत्तियाँ' (नॉन-करेंट) को रु 31.43 करोड़ कम दर्शाया गया है।

संपत्ति – नॉन-करेंट परिसंपत्तियाँ

पूँजीगत प्रक्रियाधीन कार्य-नोट – 5

विद्युत आपूर्ति : 347.49 करोड़

- 4) उपरोक्त में मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के लिए बिजली शुल्क के रूप में खर्च की गई 14.75 करोड़ की राशि के लिए कंपनी का मेट्रो रेलवे से दावा किया गया ऊर्जा बिल शामिल है। इस राशि को सीडब्ल्यूआईपी में दर्शाने के बजाय 'मेट्रो रेलवे से प्राप्य' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए

इसके परिणामस्वरूप मेट्रो रेलवे, कोलकाता से प्राप्य राशि 14.75 करोड़ रुपये कम दर्शाई गई और सीडब्ल्यूआईपी के लिए इतनी ही राशि अधिक दर्शाई गई।

संपत्ति – करेंट परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

नकद और नकद समतुल्यों से इतर बैंक शेष (नोट -10)

रु. 219.77 करोड़

- 5) उपरोक्त में एक बैंक गारंटी के सापेक्ष सावधि जमा की 31.43 करोड़ की राशि शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची छ के डिवीजन- छ के किसी कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों के खंड 6 (सी) (बी) के अनुसार 'मार्जिन मनी के रूप में रखी गई सीमा तक बैंकों के पास शेष राशि या उधारों, गारंटियों, अन्य प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध प्रतिभूतियों का अलग से खुलासा किया जाना चाहिए'।

तथापि, कंपनी ने बैंक गारंटी के बदले रखी गई 31.43 करोड़ की सावधि जमा का अलग से खुलासा नहीं किया था।

बी.लेखाकरण नीति पर टिप्पणियाँ

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

लेखाकरण नीतियाँ (नोट 2.1)

6. लेखाकरण नीतियाँ नोट 2.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि 'संस्था के प्रबंधन द्वारा रेल मंत्रालय के मार्गदर्शन के अनुसार परिसंपत्तियों को परियोजना का चरण पूरा होने पर नहीं बल्कि परियोजना के पूर्ण होने पर पूँजीगत चालू कार्य से स्थिर परिसंपत्तियों में स्थानांतरित करने के लिए एक नीति अपनाई गई है;

तथापि रेल मंत्रालय का पत्र (2018) के अनुसार 'परियोजना के कार्यान्वयन के पूरा होने के बाद, मेट्रो रेलवे, कोलकाता एकीकृत नियंत्रण के तहत नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के साथ-साथ ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का परिचालन करेगा। रेल मंत्रालय के पत्र में परियोजना के पूर्ण होने पर परिसंपत्तियों को पूँजीगत प्रक्रियाधीन कार्य से स्थिर परिसंपत्ति में स्थानांतरण करने के लिए कोई स्पष्ट लेखांकन उपचार अथवा कोई लेखांकन अनुदेश नहीं है।

तदनुसार, नोट 2.1 रेल मंत्रालय के मार्गदर्शन के अनुरूप नहीं है।

सी. आकस्मिक देयताएं और पूँजीगत प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न होने की सीमा तक)

- 7) कंपनी ने रु 62.87 करोड़ की राशि का माध्यस्थ आदेश, जिसे कंपनी द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, की आकस्मिक देयता का खुलासा नहीं किया है।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से**

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 30 सितंबर 2024

(एन मैसनाम)

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

Raj Kumar Kothari & Co. CHARTERED ACCOUNTANTS

Head Office : Ezra Street, 4th Floor Suite # 403, Kolkata - 700 001

Contact No. +91 33 2235-0677 / +91 33 2234-1478

Website : www.ckkco.com, E-mail : ca.rkothari@gmail.com, ca.rkothari2@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की संशोधित रिपोर्ट

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक का बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे इंडाएस वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त इंडाएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित (इंडाएस), तथा भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा उसके नकदी प्रवाह के बारे में सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जम्मेदारियों के खंड में आगे वर्णित किया गया है।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन इंडाएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संगत नैति अपेक्षाओं तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

कंपनी एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई है जिसे मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है। हमारी लेखा परीक्षा प्रयोज्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की गई थी और यहां इसमें अभिव्यक्त लेखा परीक्षा की राय उन मानकों के अनुसार निष्पादित कार्य पर आधारित है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

एसए-701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

मामले पर जोर

- (i) हम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट संख्या 7 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार (पश्चिम बंगाल सरकार) से राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के रूप में 210.22 करोड़ रुपये और वैट के रूप में 41.38 करोड़ रुपये प्राप्त होने को प्राप्य खातों के रूप में मान्यता दी गई है, जिसकी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

- (ii) हम भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 26 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें सेंट्रल पार्क, साल्ट लेक में डिपो स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार (पश्चिम बंगाल सरकार) से अनुमति कब्जे के आधार पर प्राप्त 38.5 एकड़ भूमि का मूल्य कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं है। भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 26 का संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने उक्त भूमि के अनुमति कब्जे के लिए 3368.79 करोड़ रुपये शुल्क की मांग की है।
- (iii) हम इंडएएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने 06.11.2012 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 48 करोड़ रुपये की राशि का वित्तपोषण किया है। कंपनी ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इस मामले को उठाया है और कंपनी को दिए जाने वाले 48 करोड़ रुपये के विवरण के लिए प्रयास किया है, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड में ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मामले का समाधान और समाधान अभी भी लंबित है।
- (iv) (रु) हम लंबित मुकदमेबाजी मामलों और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8.1.2, 25 और 39 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
- (v) हम नोट संख्या 5.4 और 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में परियोजना के एलिवेटेड हिस्से के संचालन और रखरखाव से संबंधित व्यय शामिल है, जिसका वाणिज्यिक संचालन फरवरी, 2020 से वाणिज्यिक संचालन के लिए मेट्रो रेलवे, कोलकाता को सौंपा गया है और इससे संबंधित आय को मेट्रो रेलवे द्वारा मान्यता दी गई है।
- (vi) हम भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 7.2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कार्य में देरी के कारण पीबीजी और कार बीमा की प्रतिपूर्ति के लिए एक ठेकेदार (आईटीडी आईटीडी सेम जेवी) के खिलाफ मामले के लिए 5.74 करोड़ रुपये की सावधि जमा उच्च न्यायालय में गिरवी रखी गई है।
- (vii) हम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 14.10 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें मूल परियोजना लागत 4,874.58 करोड़ रुपये थी, लेकिन अनुमानित अंतिम परियोजना लागत 10,442.41 करोड़ रुपये हो गई, जो इसकी प्रारंभिक अनुमानित लागत से बहुत दूर थी।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें IndAS वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

IndAS वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी IndAS वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का कोई भौतिक गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

इंडएएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन इंडएएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं, जो कि इंडएएस और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो इंडएएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

इंडिएएस वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

IndAS वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या IndAS वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SA के अनुसार संचालित ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन IndAS वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

SA के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ध्वंसे वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और निष्पादित करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(ग) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की उचितता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में IndAS वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित IndAS वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या IndAS वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता, इंडिएएस वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाती है कि इंडिएएस वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (ग) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ग) इंडिएएस वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम शासन के प्रभारी लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें हमारे लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है।

हम शासन के प्रभारी लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य मामले

1. निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की ओर से गैर-अनुपालन किया गया है। संबंधित प्रावधानों और संबंधित सीमाओं के अनुसार, कंपनी में कम से कम 1 महिला निदेशक और 2 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। श्रीमती वारियर को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह निदेशक मंडल में महिला निदेशक भी थीं। 10.07.2022 को उनका कार्यकाल पूरा होने और उसके बाद की आवश्यकता के बाद, रिक्ति को नहीं भरा गया है। कंपनी के पास आज की तारीख में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। प्रबंधन के उत्तर के अनुसार, ऐसी रिक्ति केवल सरकार द्वारा भरी जा सकती है और उन्होंने रेलवे बोर्ड को कई पत्रों के माध्यम से इसकी सूचना और अनुरोध किया है।
2. हमने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए वित्तीय विवरणों पर कोलकाता में दिनांक 29.07 2024 को एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (मूल रिपोर्ट) जारी की थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार हमने उक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया है। यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट मूल रिपोर्ट के स्थान पर है जिसे राय का आधार पैराग्राफ पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रेक्षण पर ध्यान देकर उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया केवल इस पैराग्राफ में उल्लिखित मद में किए गए संशोधन तक ही सीमित है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार, हम अनुलग्नक बी में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - a. i) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - b. ii) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।
 - c. iii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 - d. iv) हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें संशोधित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है।
 - e. v) कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 829(ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं हैं। vi) कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता

के संबंध में, अनुलग्नक ए में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

vi) संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

- a. कंपनी ने इसके IndAS वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुला किया है-IndAS वित्तीय विवरण को नोट 25 और 39 देखें।
- b. जी. कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध शामिल हैं, जिसके लिए कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित घाटा था।
- c. एच. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- d. (i) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (यों) को या उनमें कोई भी धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से), जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा;
- (ii) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में प्रकट किए गए विवरण के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधिकरण पक्ष) शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी, और
- (iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि प्रबंधन द्वारा ऊपर (ग) और (ग) में बताए गए अभ्यावेदन में कोई भौतिक गलत विवरण शामिल है।
- e. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों का अनुपालन लागू नहीं होता है।
- f. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता बही बनाए रखने के लिए है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11
- g. के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू है।

हमने इस आवश्यकता के साथ कंपनी के अनुपालन की जांच की है और इसे सत्यापित करने के लिए नमूना जांच की है। हमारी जांच से पता चला है कि कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है। हमने पाया कि यह सुविधा सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए 02-06-2023 से शुरू होकर पूरे वर्ष संचालित हुई है। हमारे ऑडिट के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला, सिवाय कुछ मामलों के जहां गलत प्रविष्टियां की गई थीं, लेकिन बाद में उन मामलों में पिछली तारीख की प्रविष्टि के माध्यम से सुधार किया गया था, जहां प्रावधान किए गए थे। हमने पाया कि सुधार को ऑडिट ट्रेल में ठीक से दर्ज किया गया था, और कंपनी ने रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया है।

हमारी राय में, कंपनी ने ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा के साथ लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता बही बनाए रखने की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और यह पूरे वर्ष प्रभावी ढंग से संचालित हुआ है, उपर्युक्त उदाहरण को छोड़कर जिसे ठीक से सुधारा गया था।

4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करते हुए निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन अनुलग्नक सी में निर्धारित किया गया है।
5. वर्ष के दौरान वैधानिक बकाया के संबंध में कुछ मामूली गैर-अनुपालन हुए हैं, जिनका विवरण नीचे संबंधित मुद्दों पर प्रबंधन के उत्तर के साथ दिया गया है।

विवरण	मात्रा	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
विविध लेनदारों के अधीन प्रवीर कुमार दास।	15,93,883.00	सुरंग व्यय- सुरंग के अंदर हाथ से पेंटिंग। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9(3) के तहत आरसीएम लागू है क्योंकि व्यय कला के काम से संबंधित है।	आरसीएम को वित्त वर्ष 2024-25 में ब्याज सहित बुक और भुगतान किया जाएगा।
सबा इंटरनेशनल विविध लेनदारों के अधीन।		अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक टीडीएस नहीं काटा गया	टीडीएस कम काटा गया है। इसे ठीक किया जाएगा।
ईआई डी लिमिटेड, द ओबेरॉय ग्रैंड	11,71,297.00	इस राशि पर टीडीएस काटा जाना है।	कटौती में त्रुटि। इस सुधारा जाएगा
पेटेंट टैल्गो एस.एल.	1,74,89,377.00	कोई टीडीएस नहीं काटा गया। कोई आईजीएसटी आरसीएम बुक नहीं किया गया।	सत्यापन के बाद इसे ठीक कर दिया जाएगा।
ट्रांसटोनलस्ट्रॉय एफकॉन्स जेवी		65,14,63,655/- रुपये पर 2% की दर से टीडीएस = 1,30,29,273/-, जबकि टीडीएस 1,23,96,242/- रुपये दर्ज किया गया। कमी का कारण?	क्रेडिट नोट के कारण ऋति हुई है। इसे सुधारा जाएगा।
कानूनी खर्च		आरसीएम की बुकिंग 810/- रुपये तक कम	आरसीएम को वित्त वर्ष 2024-25 में ब्याज सहित बुक और भुगतान किया जाएगा।

राज कुमार कोठारी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 320166E

राज कुमार कोठारी
भागीदार

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 27.09.2024

सदस्यता संख्या: 055208
UD1N: 24055208BKGSDG6669

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (ग) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च 2024 तक कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के साथ संयोजन में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (4ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और ऋतियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित किए गए ICAI द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू है और दोनों ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारे लेखापरीक्षा में IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना शामिल है। IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें IndAS वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या ऋति के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए IndAS वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

- उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

- (ii) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार IndAS वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और
- (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो IndAS वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

इंडएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

इंडएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए इंडएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि इंडएएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी IndAS वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए स्थापित किए गए थे।

राज कुमार कोठारी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 320166E

राज कुमार कोठारी
भागीदार

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 27.09.2024

सदस्यता संख्या: 055208
UD1N: 24055208BKGSDG6669

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'बी'

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

(i)

(a) (ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख बनाए रख रही है।

(बी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(i)(ए)(बी) लागू नहीं होता।

(b) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाता है। हालांकि, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, इसलिए हम ऐसे सत्यापन में देखी गई किसी भी भौतिक विसंगति पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

(c) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के स्वामित्व विलेख नीचे उल्लिखित के अलावा कंपनी के नाम पर हैं।

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य ('000 में)	के नाम पर आयोजित	चाहे प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारण अवधि - जहां उपयुक्त हो, सीमा बताएं	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पट्टा-भूमि	1,97,396.52	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	वित्तीय वर्ष 2012-13 से अब तक	कंपनी ने 30 साल की अवधि के लिए जमीन लीज पर ली है। कंपनी इसे अपने नाम पर पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है, जैसा कि इंडएएस वित्तीय विवरणों के नोट 22 में उल्लेख किया गया है।
इमारत	46,741.73	हुगली नदी पुल आयुक्त	नहीं	वित्तीय वर्ष 2008-09 से अब तक	इमारत का स्वामित्व केएमआरसीएल को हस्तांतरित नहीं किया गया क्योंकि इमारत उस समय बनी थी जब राज्य सरकार परियोजना की एक हिस्सेदार थी। परियोजना पूरी होने के कगार पर है और परिसंपत्ति मेट्रो रेलवे को हस्तांतरित कर दी जाएगी। यह उम्मीद की जाती है कि मेट्रो रेलवे इमारत के स्वामित्व, शीर्षक आदि के लिए आगे की पहल करेगी। इंडएएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट 22 देखें।

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य ('000 में)	के नाम पर आयोजित	चाहे प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारण अवधि - जहां उपयुक्त हो, सीमा बताएं	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	74,480.57	पश्चिम बंगाल सरकार	No	वित्तीय वर्ष 2008-09 से अब तक	1488 वर्ग मीटर भूमि का दाखिल खारिज प्रक्रियाधीन है तथा 1733 वर्ग मीटर का दाखिल खारिज लंबित है, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा मामला वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या (सिविल) 36172/2013 के तहत लंबित है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट 22 में संदर्भित है।

- (घ) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर जिसे हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।
- (ङ) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर जिसे हमने आवश्यक समझा, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(i)(ई) लागू नहीं होता।
- (ii) (क) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(ii)(क) लागू नहीं होता।
- (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(ii)(ख) लागू नहीं होता।
- (iii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है या ऋण की प्रकृति में कोई गारंटी या सुरक्षा या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(iii) लागू नहीं होता है।
- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने किसी भी पार्टी को या उसकी ओर से कोई ऋण/गारंटी/सुरक्षा नहीं दी है या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 में संदर्भित कोई निवेश नहीं किया है। कंपनी ने किसी भी निगमित निकाय या किसी अन्य व्यक्ति को ऋण के संबंध में कोई ऋण, गारंटी या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।
- (v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान जमाराशि या जमा मानी जाने वाली राशि स्वीकार नहीं की है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 या अन्य प्रासंगिक प्रावधान तथा उसके तहत बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते। इस संबंध में कंपनी लॉ बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।

(vii) (क) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, कंपनी उचित प्राधिकारी के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है, जिसमें माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य लागू वैधानिक बकाया शामिल हैं।

माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर सहित लागू वैधानिक देयताओं के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जो 31.03.2024 तक देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, आयकर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का कोई बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो, सिवाय नीचे बताए गए को छोड़कर:

कानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि ('000 में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह मंच जहां विवाद लंबित है
वित्तीय अधिनियम, 1994	सेवा कर	1854.94	वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13	अपीलीय प्राधिकारी आयुक्त अपील (11), केंद्रीय उत्पाद शुल्क
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	14.50	वित्त वर्ष 2022-23	ट्रेस के अनुसार कुल डिफॉल्ट
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	7.32	वित्त वर्ष 2021-22	ट्रेस के अनुसार कुल डिफॉल्ट

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खाता बही में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (viii) लागू नहीं होता।

(ix) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर व्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। इसके अलावा, आस्थगित भुगतान देनदारियों को ऋणदाता से उधार/बकाया नहीं माना जाता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने सावधि ऋण का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है, जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया था।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच और कंपनी की बैलेंस शीट की समग्र जांच के आधार पर, कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(ix)(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(ix)(ङ) लागू नहीं होता।

- (च) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(ix)(च) लागू नहीं होता।
- (x) (क) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर जिसे हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(x)(क) लागू नहीं होता।
- (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर जिसे हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमूल्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- (xi) (क) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xi)(क) लागू नहीं होता।
- (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xi)(ख) लागू नहीं होता।
- (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xi)(ग) लागू नहीं होता।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं होता।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं तथा संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) के वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) द्वारा अपेक्षित है।
- (xiv) (क) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- (ख) लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर हमने लेखापरीक्षा के दौरान विचार किया।
- (xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के आधार पर, जिसे हमने आवश्यक समझा, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत निर्दिष्ट है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (xv) लागू नहीं होता है।
- (xvi) (क) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा बही-खातों और अभिलेखों की जांच के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xvi)(क) लागू नहीं होता।
- (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा बही-खातों और अभिलेखों की जांच के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां या कोई आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xvi)(ख) लागू नहीं होता।
- (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा बही-खातों और अभिलेखों की जांच के अनुसार, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xvi)(ग) लागू नहीं होता।

- (घ) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा पुस्तकों एवं अभिलेखों की जांच के अनुसार, समूह में कोई कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
- (xvii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी को चालू वित्त वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समय-समय पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है।
- (xix) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा आवश्यक समझी गई पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के अनुसार, वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, इंडएएस वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर, हम इस राय के हैं कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों को चुकाने में सक्षम है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।
- (xx) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर जिसे हमने आवश्यक समझा तथा जैसा कि भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के नोट 22(क्यू) में कहा गया है, कंपनी ने विशेषज्ञ की राय के आधार पर किसी भी व्यय का प्रावधान नहीं किया है, जिसकी प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- (ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की जांच के आधार पर जिसे हमने आवश्यक समझा, हमारी रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी चालू परियोजना नहीं है।

राज कुमार कोठारी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 320166E

राज कुमार कोठारी
भागीदार

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 27.09.2024

सदस्यता संख्या: 055208
UD1N: 24055208BKGS DG6669

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक 'सी'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

निर्देश 1

क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के निहितार्थ खातों की अखंडता पर वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ, यदि कोई हो, तो बताए जा सकते हैं।

हमारी टिप्पणी

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। हालाँकि, उचित अनुमोदन/जांच/निपटान के लिए लंबित लेनदेन केवल ऐसे दावों के अंतिम रूप देने पर ही लेखा पुस्तकों में दर्ज किए जाते हैं। अंतिम रूप देने के लिए लंबित ऐसे सभी लेनदेन का योग रिपोर्टिंग की तिथि के अनुसार 'आकस्मिक देयताओं' के रूप में दर्ज किया जाता है और वित्तीय विवरणों के नोट 39 में प्रकट किया जाता है।

वित्तीय विवरणों पर प्रभाव - जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 39 में बताया गया है।

निर्देश 2

क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/राइट ऑफ किया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा गया है?

हमारी टिप्पणी

हमारे विचार में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन नहीं किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/राइट ऑफ किया गया है।

वित्तीय विवरणों पर प्रभाव - शून्य

निर्देश 3

क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाले धन (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब-किताब रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।

हमारी टिप्पणी

हमारे विचार में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। हालाँकि, लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा बजटीय सहायता प्रदान की गई है। इस प्रकार प्राप्त धनराशि का उपयोग परियोजना के उद्देश्य के लिए किया गया है। अप्रयुक्त राशि को अस्थायी रूप से सावधि जमा में रखा जाता है तथा अर्जित ब्याज को परियोजना में वापस लगाया जाता है।

विचलन - शून्य

राज कुमार कोठारी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 320166E

राज कुमार कोठारी
भागीदार

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 27.09.2024

सदस्यता संख्या: 055208
UD1N: 24055208BKGS DG6669

वार्षिक लेखा 2023-24

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 31 मार्च 2024 को तुलन-पत्र

		(राशि रु. में)	
विवरण	द्रष्टव्य सं	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
परिसंपत्तियाँ			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	423,400.82	423,206.24
(ख) पूँजी कार्य प्रगति में	5 एवं 6	8,05,87,847.79	8,05,58,951.58
(ग) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	25,36,999.17	23,01,351.16
(घ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	8	12,25,881.64	8,79,351.22
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		8,47,74,129.41	8,41,62,860.22
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) नकद एवं नकद समकक्ष	9	1,74,290.22	5,72,787.90
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा बैंक शेष	10	21,97,744.96	11,29,345.85
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	22,47,046.41	21,98,751.35
(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	11	13,254.79	11,870.66
कुल वर्तमान परिसंपत्तियाँ		46,32,336.38	39,12,755.77
कुल परिसंपत्तियाँ		8,94,06,465.79	8,80,75,615.97
इक्विटी एवं देयता			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	12	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
(ख) अन्य इक्विटी	13	7,186.46	7,287.38
कुल इक्विटी		3,75,93,386.46	3,75,93,487.38
देयताएं			
गैर चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	14	5,01,12,020.69	4,85,30,288.05
(ii) अन्यवित्तीयदायित्व - प्रतिधारणराशि	14, 12	2,55,000.61	3,28,721.78
(ख) प्रावधान	15	6,932.11	7,219.36
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	16	2,76,357.53	3,43,670.05
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		5,06,50,310.93	4,92,09,899.25
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	17	7,83,056.97	8,86,678.05
(ii) अन्यवित्तीयदायित्व - प्रतिधारणराशि	17	2,89,502.68	2,79,960.87
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	18	90,208.74	1,05,590.42
कुल वर्तमान देयताएं		11,62,768.40	12,72,229.34
कुल देयताएं		5,18,13,079.33	5,04,82,128.59
कुल इक्विटी एवं देयताएं		8,94,06,465.79	8,80,75,615.97
वित्तीय विवरणों के संलग्न द्रष्टव्य	1-41		

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते राज कुमार कोठारी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 320166ई

सीए आर.के. कोठारी

भागीदार

सदस्यता सं. 055208

यूडीआईएन 24055208BKGSAS6842

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29.07.2024

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

बी. के. श्रीवास्तवा

प्रबंध निदेशक

डीआईएन 10207179

समीक भट्टाचार्य

मुख्य वित्तीय अधिकारी

पैन AMWPB7941H

अश्विका जैन

निदेशक (वित्त)

डीआईएन 07271472

महुआ दत्ता गुप्ता

कंपनी सचिव

पैन AIEPG3324K

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ एवं हानि का विवरण

विवरण	द्रष्टव्य सं	(राशि रु. में)	
		31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
आय			
परिचालन से राजस्व			
अन्य आय	19	433.72	8,074.70
कुल आय		433.72	8,074.70
व्यय			
अन्य व्यय	20	559.01	590.72
कुल व्यय		559.01	590.72
कर पूर्व लाभ		-125.29	7,483.98
कर व्यय			
वर्तमान कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
अवधि के लाभ / (हानि)		-125.29	7,483.98
अन्य व्यापक आय			
वे मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।			
ग्रेच्युटी योजना पर पुनः माप लाभ/(हानि)	15.1	24.37	-211.93
आयकर प्रभाव		-	-
आयकर के लिए प्रावधान वापस लिया गया		-	-
शुद्ध अन्य व्यापक आय, जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		24.37	-211.93
अवधि के लिए कुल व्यापक आय		-100.92	7,272.04
प्रतिइक्विटीशेयरआय			
(1) प्रतिशेयरमूलआय		-	-
(2) मिश्रित		-	-
वित्तीय विवरणों के संलग्न द्रष्टव्य	1-41		

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते राज कुमार कोठारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 320166ई
सीए आर.के. कोठारी
भागीदार
सदस्यता सं. 055208
यूडीआईएन 24055208BKGSAS6842
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29.07.2024

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

वी. के. श्रीवास्तवा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 10207179

समीक भट्टाचार्य
मुख्य वित्तीय अधिकारी
पैन AMWPB7941H

अम्बिका जैन
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 07271472

महुआ दत्ता गुप्ता
कंपनी सचिव
पैन AIEPG3324K

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(राशि रु. में)

विवरण	मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर एवं असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध आय के लिए समायोजन :-	-125.29	7,483.98
अन्य व्यापक आय (ग्रेच्युटी)		
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय		
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव		-
ब्याज आय		-
परिसंपत्ति/ निवेश की बिक्री पर हानि/(लाभ)		-
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	-125.29	7,483.98
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
दीर्घावधि प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	-287.25	1,730.92
अन्य वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-15,381.67	11,126.31
गैर-वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-67,312.53	1,80,695.16
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	-2,35,648.01	-2,59,252.68
वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	-48,295.05	-7,73,584.98
वित्तीय देयताओं में कमी/(वृद्धि)	-64,179.36	1,19,379.78
वर्तमान कर परिसंपत्ति में कमी/(वृद्धि)	-1,384.13	-9,667.20
परिचालन से शुद्ध नकदी प्रवाह(क)	-4,32,613.29	-7,22,088.72
निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीद	-194.57	-10,037.72
डब्ल्यूआईपी पूंजी की खरीद	-28,896.21	-50,03,676.77
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	-3,46,530.41	-2,28,692.50
निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी प्रवाह(ख)	-3,75,621.20	-52,42,406.99
ख. वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय		-
ब्याज मुक्त अधीनस्थ बकाए से प्राप्त आय	61,80,828.28	27,38,809.22
दीर्घावधि उधारी से प्राप्त आय	-45,99,095.63	3,96,725.58
अल्पावधि उधारी से प्राप्त आय	-1,03,621.08	2,132.12
ग्रेच्युटी अन्य व्यापक आय का समायोजन	24.37	-211.93
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	14,78,135.94	31,37,454.99
ग. नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क + ख + ग)	6,69,901.45	-28,27,040.72
घ. वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	17,02,133.73	45,29,174.45
ड. वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	23,72,035.19	17,02,133.73

- नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (IndAS) - 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट में निर्धारित किया गया है।
- अचल संपत्तियों की खरीद में वर्ष के दौरान चल रहे चालू-पूँजीगत-कार्य की गतिविधि शामिल है।
- वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य नकद और बैंक शेष को दर्शाता है।
- विगत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ प्रयोज्य है, पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है

वित्तीय विवरणों के संलग्न द्रष्टव्य

1-41

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

कृते राज कुमार कोठारी एंड कं.

वी. के. श्रीवास्तवा

अखिका जैन

सनदी लेखाकार

प्रबंध निदेशक

निदेशक (वित्त)

फर्म पंजीकरण सं. 320166ई

डीआईएन 10207179

डीआईएन 07271472

सीए आर.के. कोठारी

समीक भट्टाचार्य

महुआ दत्ता गुप्ता

भागीदार

मुख्य वित्तीय अधिकारी

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 055208

पैन AMWPB7941H

पैन AIEPG3324K

यूडीआईएन 24055208BKGSAS6842

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29.07.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि हजार रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
पूर्व अवधि की ऋणियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
वर्तमान प्रतिवेदन अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
इक्विटी शेयरों का नया आवंटन		
- नगदी के लिए		-
- नकद के अलावा अन्य विचारार्थ		-
प्रतिवेदन अवधि के अंत में शेष राशि	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00

ख. अन्य इक्विटी

(राशि हजार रु. में)

विवरण रकम लंबित	शेयर आवेदन रकम लंबित आवंटन	रिजर्व और अधिशेष प्रतिधारित आय	अन्य विस्तृत आय	कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए कुल इक्विटी आर्टिब्यूटेबल
1 अप्रैल, 2022 को शेष राशि	-	558.78	(543.45)	15.34
पूर्व अवधि की ऋणियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-
प्रतिवेदन अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	558.78	(543.45)	15.34
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	7,483.98	(211.93)	7,272.04
मालिकों के रूप में उनकी क्षमता में मालिकों के साथ लेन-देन				
इक्विटी शेयर जारी करना	-	-	-	-
शेयर आवेदन रकम प्राप्त	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	-	8,042.76	(755.38)	7,287.38
पूर्व अवधि की ऋणियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्तमान प्रतिवेदन अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	8,042.76	(755.38)	7,287.38
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	-	(125.29)	24.37	(100.92)
मालिकों के रूप में उनकी क्षमता में मालिकों के साथ लेन-देन-				
इक्विटी शेयर जारी करना	-	-	-	-
नकद के अलावा अन्य इक्विटी शेयर जारी करना	-	-	-	-
शेयर आवेदन रकम प्राप्त	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	-	7,917.47	(731.01)	7,186.46

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

कृते राज कुमार कोठारी एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 320166ई

सीए आर.के. कोठारी

भागीदार

सदस्यता सं. 055208

यूडीआईएन 24055208BKGSAS6842

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29.07.2024

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

वी. के. श्रीवास्तवा

प्रबंध निदेशक

डीआईएन 10207179

समीक भट्टाचार्य

मुख्य वित्तीय अधिकारी

पैन AMWPB7941H

अम्बिका जैन

निदेशक (वित्त)

डीआईएन 07271472

महुआ दत्ता गुप्ता

कंपनी सचिव

पैन AIEPG3324K

फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के नोट

1. कॉर्पोरेट जानकारी

कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी'), जिसका CIN-U60100WB2008GOI127338 है, को 9 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया था। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ में एक सरकारी कंपनी है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत आती है। एसपीवी होने के नाते यह कंपनी कोलकाता में कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन में लगी हुई है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

2.1 लेखांकन नीतियाँ

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के अनुसार तथा उसके अनुपालन में तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 7 के साथ पढ़ा गया है। वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुति के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया गया है, सिवाय एमसीए द्वारा जारी मानकों में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में किए गए परिवर्तनों को छोड़कर, जो वर्तमान लेखांकन अवधि के लिए प्रभावी हैं तथा पिछले वित्तीय वर्ष में अपनाई गई लेखांकन नीतियों में अन्य सुधार। वित्तीय विवरण की प्रस्तुति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के इंड एस पर आधारित है।

रेल मंत्रालय के मार्गदर्शन के अनुसार संगठन के प्रबंधन द्वारा परियोजना के पूर्ण रूप से पूर्ण होने पर, न कि चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होने पर, परिसंपत्तियों को पूंजीगत-कार्य-प्रगति से अचल परिसंपत्तियों में स्थानांतरित करने की नीति अपनाई गई है। इसलिए, परियोजना के एक हिस्से के वाणिज्यिक संचालन के शुरू होने के बावजूद, पूरी राशि सीडब्ल्यूआईपी के तहत दिखाई जा रही है और किसी भी नई बनाई गई संपत्ति का अचल संपत्तियों में कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो इसकी कार्यात्मक मुद्रा भी है।

2.2 लेखांकन परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत, उपाजन और चालू चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है। ऐतिहासिक लागत आम तौर पर माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित होती है। सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन II में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच की प्रकृति और समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू या गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.3 अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय और धारणाएँ लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों में परिवर्तन उस अवधि में वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होते हैं जिसमें परिवर्तन किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हैं, तो उनके प्रभावों का वित्तीय विवरणों के नोटों में खुलासा किया जाता है।

कार्य अनुबंधों के संबंध में, इंजीनियरों द्वारा प्रमाणन पर व्यय को प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में दर्ज किया जाता है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

3.1 राजस्व मान्यता

राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय तब मान्यता प्राप्त होती है जब यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

निर्माण कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों की बिक्री से आय को पूंजीकरण लंबित व्यय से घटाया जाता है।

ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिमों पर ब्याज को प्रगति में पूंजीगत कार्य में वर्णित अनुबंधों के संबंधित शीर्ष के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

बैंक के साथ अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है और प्रगति में पूंजीकरण लंबित व्यय से घटाया जाता है क्योंकि इसे पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है। प्रबंधन के निर्णय के अनुसार चालू अवधि के दौरान निधि के अस्थायी परिनियोजन से सावधि जमा पर अर्जित ब्याज आय को प्रगति में पूंजीगत कार्य की लागत के साथ समायोजित किया गया है।

3.2 विदेशी मुद्राएँ

कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करते समय, कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा प्रदान की गई उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः अनुवादित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी गई गैर-मौद्रिक मदों का पुनः अनुवादित नहीं किया जाता है।

3.3 उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत, जो ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, उन परिसंपत्तियों की लागत में तब तक जोड़ी जाती है, जब तक कि परिसंपत्तियां अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाएं।

3.4 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण:

नियमित कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि में कंपनी के अंशदान का लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है और लाभ एवं हानि खाते में जमा किया जाता है। कंपनी का निधि में देय अंशदान के अलावा कोई अन्य दायित्व नहीं है।

प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में, कर्मचारियों को मिलने वाले कर्मचारी लाभ उनके संबंधित संगठन/नियोक्ता को दिए जाते हैं, जहां से उन्हें उनके संगठन द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान को भी उनके मूल्यांकन के अनुसार उनके संबंधित संगठनों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

ग्रेच्युटी:

कंपनी पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए ग्रेच्युटी, परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना ('ग्रेच्युटी योजना') प्रदान करती है। ग्रेच्युटी योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है, जो संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी के साथ रोजगार की अवधि के आधार पर एक राशि होती है।

ग्रेच्युटी योजना के संबंध में देयताएं एक स्वतंत्र एक्युअरी द्वारा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किए गए एक्युरियल वैल्यूएशन द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

एक्युरियल लाभ और हानि और योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध ब्याज को छोड़कर) को शामिल करते हुए पुनर्मापन, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त चार्ज या क्रेडिट के साथ बैलेंस शीट में तुरंत परिलक्षित होता है जिसमें वे होते हैं।

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन तुरंत बनाए रखा आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ या हानि खाते में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है। शुद्ध ब्याज की गणना अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

3.5 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और स्थगित कर की राशि को दर्शाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कंपनी के वर्तमान कर की गणना रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू दर के अनुसार की जाती है।

वर्तमान और पिछली अवधियों के लिए वर्तमान कर, अवैतनिक सीमा तक, देयता के रूप में मान्यता प्राप्त है। यदि वर्तमान और पिछली अवधियों के संबंध में पहले से भुगतान की गई राशि उन अवधियों के लिए देय राशि से अधिक है (मूल्यांकन वर्षवार और संचयी नहीं), तो अतिरिक्त राशि को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी।

स्थगित कर

स्थगित कर व्यय या लाभ को समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच का अंतर है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। स्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि संभावित संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ निकट भविष्य में उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उन्हें प्राप्त किया जा सकता है।

3.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन आदि सहित) को बैलेंस शीट में लागत में से संचित मूल्यहास और हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है। अधिग्रहण की लागत में माल दुलाई, शुल्क, कर और अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं जो सीधे ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं।

जब पूरी परियोजना वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार हो जाएगी, तब मूर्त परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाएगी और प्री-ऑपरेटिव व्यय के विभाजन और अन्य मूर्त परिसंपत्तियों की पहचान करने के बाद भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार निपटा जाएगा।

3.6.1 पट्टे

इंड एस 116 में कहा गया है कि यदि अनुबंध में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को विचार के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा होता है।

3.6.1.1 पट्टेदार के रूप में

परिसंपत्तियों का पट्टा, जहां कंपनी ने पट्टेदार के रूप में, आरंभ तिथि पर पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से ग्रहण नहीं किया है, तो उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति (आरओयू) को लागत पर मापा जाएगा। इसके बाद, इंड एस 116 के पैरा 31 का पालन करते हुए, परिसंपत्ति का मूल्यहास किया जाता है जिसे पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर प्रगति में पूंजीगत कार्य के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग तिथि पर निर्माणाधीन परिसंपत्तियों को पूंजीगत-कार्य-प्रगति के रूप में दिखाया गया है।

प्रगति पर पूंजीगत कार्य को निर्माणाधीन पीपीई की प्रकृति में माना जाता है और इस पर भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रावधान लागू होंगे।

निर्माण व्यय, सलाहकारों को भुगतान की गई फीस और निर्माण के दौरान पूर्व-संचालन व्यय के साथ-साथ परियोजना के लिए जिम्मेदार किसी भी आय को घटाकर अन्य सभी लागतों को पूंजीकरण तक पूंजीगत-कार्य-प्रगति के रूप में दिखाया जाता है। इसे पूंजीकृत परिसंपत्तियों और कुल पूंजीगत-कार्य-प्रगति के अनुपात में परिसंपत्तियों को आवंटित किया जाएगा। ब्याज और अन्य के लिए ठेकेदारों से वसूली पूंजीकरण लंबित निर्माण व्यय के खिलाफ समायोजित की जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कंपनी के समझौता

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

ज्ञापन के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किए गए सभी एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसलिए, सभी एसजीएसटी को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत एसजीएसटी प्राप्य के रूप में वर्षवार ब्रेक-अप और सीडब्ल्यूआईपी से इसी कटौती के साथ रखा गया है।

वर्ष	एसजीएसटी राशि
2017-18	2,10,019.98
2018-19	4,26,944.27
2019-20	4,59,627.83
2020-21	2,41,115.90
2021-22	2,71,461.28
2022-23	2,58,395.15
2023-24	2,71,390.72

3.8 मूल्यहास और परिशोधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट दरों पर लिखित मूल्य पद्धति का उपयोग करके संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यहास करती है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास उपयोग की तिथि के आधार पर प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

Asset	Useful Life (in years)
Building	60
Air Conditioning and Others	10
Computer Equipment	3
Motor Vehicle	8
Office Equipment	5
IT System & Networking	6

प्रबंधन का मानना है कि अनुमानित जीवन यथार्थवादी है और उस अवधि का उचित अनुमान दर्शाता है जिसके दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किए जाने की संभावना है। तकनीकी विकास, बाजार की स्थितियों में बदलाव और अन्य कारकों के कारण अनुमान बदल सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप अनुमानित उपयोगी जीवन और मूल्यहास शुल्क में बदलाव हो सकता है।

फ्रीहोल्ड भूमि का मूल्यहास नहीं किया जाता है।

लीजहोल्ड भूमि को एक RoU परिसंपत्ति के रूप में लिया जाता है जिसे सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि में परिशोधित किया जाना है।

3.9 मूर्त संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि परिसंपत्तियों को कोई हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि की सीमा (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि उचित मूल्य में से निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह है।

3.10 उधार लेने की लागत

इंड एएस 23 उधार लेने की लागत में कहा गया है कि उधार लेने की लागत जो सीधे किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, उस परिसंपत्ति की लागत का हिस्सा बनती है। अन्य उधार लेने की लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

कंपनी की परियोजना को विशेष रूप से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एजेंसी (JICA) और उसी के लिए सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। चूंकि यह उधार विशेष रूप से एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से है, इसलिए ब्याज लागत उन उधारों पर अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी भी आय को घटाकर पूंजीकरण के लिए पात्र है। अधीनस्थ ऋण के कारण उधारी, प्रकृति में ब्याज-मुक्त होने के कारण, कंपनी ने बैलेंस शीट की तिथि पर इसके उचित मूल्य का आकलन नहीं किया है। हालांकि, ऋण को वित्त मंत्रालय द्वारा सेवित किया जाना है और इसे पास थरू सहायता (PTA) के रूप में दर्ज किया गया है।

3.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभावना है कि कंपनी को दायित्व का निपटान करने की आवश्यकता होगी, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन के निर्णय के आधार पर नोटों में प्रकट किया जाता है। जिन आकस्मिकताओं की संभावना दूर है, उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया जाता है। आकस्मिक संपत्तियों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि आकस्मिकता का समाधान नहीं हो जाता है और राशि प्राप्त या प्राप्य नहीं हो जाती है।

3.12 इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स

3.12.1 इक्विटी शेयर

साधारण शेयरों को केवल इक्विटी शेयरों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.13 लेखा नीति में परिवर्तन

वित्त वर्ष 2020-21 में लेखा नीति में संभावित प्रभाव से परिवर्तन किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, अन्य व्यापक आय के शुद्ध को पूर्व-संचालन व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया और पूंजीगत कार्य-प्रगति के रूप में पूंजीकृत किया गया। यह विश्वसनीय और अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया था क्योंकि कंपनी एक एसपीवी होने के नाते कोई राजस्व उत्पन्न नहीं करती है और ईस्ट-वेस्ट मेट्रो के निर्माण के उद्देश्य से स्थापित की गई है, न कि परियोजना के पूरा होने पर इसके संचालन के लिए।

हालांकि, भारत के C&AG द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा करते समय की गई टिप्पणी के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि खाता तैयार किया गया है, जिसमें परियोजना से सीधे संबंधित नहीं होने वाले लेनदेन शामिल हैं।

4.

		राशि ₹.000में	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
नेट ब्लॉक	4.1	4,23,206.24	4,13,168.52
जोड़ें: वर्ष के दौरान किय गया अतिरिक्त		6,292.87	21,818.23
कम: वर्ष के दौरान किया गया विलोपन		-	-139.58
कम: वर्ष के दौरान कोन मूल्यहास		-6,098.30	-11,640.92
नेट ब्लॉक		<u>4,23,400.82</u>	<u>4,23,206.24</u>

वित्तीय विवरणों पर दृष्टि (जारी)

4.1 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वहन मूल्य में निम्न परिवर्तन किए गए हैं :

राशि ₹.000में

विवरण वाली जमीन	पूर्ण स्वामित्व	भवन फिक्सचर्स	फर्नीचर एवं उपकरण	कार्यालय उपकरण	कम्प्यूटर एवं नेटवर्किंग	आईटी सिस्टम	कुल
1 अप्रैल, 2023 तक सकल वहन मूल्य	2,54,768.99	46,741.73	18,130.74	917.12	14,020.90	8,018.58	3,61,010.11
संयोजन			302.34		4,334.00	862.46	6,292.87
समाप्ति/निपटारा/समायोजन							
31 मार्च, 2024 तक सकल वहन मूल्य	2,54,768.99	46,741.73	18,433.09	917.12	18,354.90	8,881.04	3,67,302.98
1 अप्रैल, 2023 को संचित मूल्यहास		20,417.99	14,153.95	871.27	13,079.08	6,622.00	72,092.33
वर्ष के लिए मूल्यहास एवं परिशोधन		1,268.51	169.53	86.96	724.00	559.35	2,808.36
समाप्ति/निपटारा/समायोजन							
पर संचित मूल्यहास							
31 मार्च, 2024 तक संचित मूल्यहास		21,686.50	14,323.48	871.27	13,803.08	7,181.36	74,900.68
31 मार्च, 2024 तक शुद्ध वहन मूल्य	2,54,768.99	25,055.24	4,109.61	45.86	4,551.82	1,699.68	2,92,402.29

4.1.1 पट्टे वाली जमीन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टे वाली जमीन के वहन मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं :

राशि ₹.000में

विवरण	पट्टे वाली जमीन	कुल
1 अप्रैल, 2023 तक सकल वहन मूल्य	1,97,396.52	1,97,396.52
संयोजन		
समाप्ति/निपटारा/समायोजन		
31 मार्च, 2024 तक सकल वहन मूल्य	1,97,396.52	1,97,396.52
1 अप्रैल, 2023 को संचित मूल्यहास		
वर्ष के लिए मूल्यहास एवं परिशोधन	63,107.75	63,107.75
समाप्ति/निपटारा/समायोजन		
पर संचित मूल्यहास	3,289.94	3,289.94
31 मार्च, 2024 तक संचित मूल्यहास	66,397.69	66,397.69
31 मार्च, 2024 तक शुद्ध वहन मूल्य	1,30,998.83	1,30,998.83

4.1.2 पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन में महाकरण एवं सेंट्रल स्टेशन, कोलकाता के परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वासन के लिए 10, लू सू सरणी, कोलकाता स्थित जमीन की कीमत के उद्देश्य से कोलकाता राज्य परिवहन निगम को भुगतान किया गया ₹ 3.00 करोड़ शामिल है।

4.1.3 जमीन के मूल्य में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सॉल्ट लेक में अनुमेय कब्जे के आधार पर दिए गए 38.5 एकड़ भूखंड की लागत शामिल नहीं है क्योंकि केवल उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।

4.1.4 वर्षिके दौरान संपत्तियों में कोई क्षति नहीं हुई।

4.1.5 पट्टे वाली जमीन के लिए लीज कि राये उपचार IndAS-116 के पैरा -31 की आवश्यकताओं के अनुपालन में है, जबकि पट्टेदार के एमआरसीएल ने पट्टे की शुरुआत से ही पट्टा अवधि पर समान रूप से सीधी रेखा पद्धति में प्रारंभिक पट्टा भुगतान के परिशोधन का पालन किया है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

		राशि रु.000 में	
5.0 चालू-पूँजीगत-कार्य	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पूँजीगत कार्य प्रगति पर है			
व्यय सीधे सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित है			
सिविल निर्माण व्यय			
ऊँचा पुल		31,41,022.55	31,41,004.38
स्टेशन निर्माण और डिजाइन		31,08,783.31	31,01,174.70
भूमिगत सुरंग निर्माण – यूजी-1		2,10,06,918.04	2,03,04,977.19
भूमिगत सुरंग निर्माण – मूजी-2		1,98,17,696.53	1,93,57,390.99
संट्रल पार्क डिपो		17,50,932.23	17,39,666.76
ट्रेक कार्य		22,74,236.59	21,51,208.41
टानेल वेंटिलेशन प्रणाली		10,77,118.27	9,50,178.65
भूमिगत पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली		13,63,539.24	11,55,506.22
भूमिगत ई एंड एम		21,77,065.23	20,08,517.41
यूएफडी- आल्ट्रासोनिक दोष डिटेक्टर		276.86	276.86
यूएफडब्ल्यूएल – अंडर फ्लोर व्हील लेथ		76,831.79	75,303.69
बिजली की आपूर्ति		34,74,891.25	34,17,263.96
सिग्नलिंग एवं संचार		34,99,354.71	31,71,197.10
पटरी पर चलने वाली छोटी गाड़ी		99,46,805.14	99,46,965.93
संचालित किराया संग्रहण प्रणाली		4,36,869.95	3,20,337.58
संचालित स्मार्ट कार्ड रिचार्ज मशीन		22,886.98	6,168.83
लिफ्ट और एस्केलेटर		7,10,191.46	6,36,895.85
प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर/प्लेटफॉर्म स्क्रीन गार्ड		5,13,032.16	4,89,639.73
संतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन		25,749.04	20,276.10
डिपो स्टोर मशीन		4,01,133.94	3,40,019.57
संचालन एवं रखरखाव के लिए जनशक्ति आपूर्ति		98,784.90	85,447.47
स्कैनर		61,495.58	29,857.18
अन्य सहायक कार्य		81,329.81	26,315.60
सलहाकारी संस्था का शुल्क			
सामान्य सलाहकार		57,35,617.25	53,05,958.19
प्रमुख सलाहकार		1,71,375.53	1,71,375.53
अन्य		88,343.54	70,906.76
		8,10,62,281.89	7,80,23,830.62
प्री-ऑपरेटिव व्यय, लंबित आवंटन		-4,74,434.10	25,35,120.96
		8,05,87,847.79	8,05,58,951.58

- 5.1 ठेकेदारों से प्राप्त मोबिलाइजेशन एडवांस और रिटेंशनमनी पर अर्जित ब्याज को वर्ष के दौरान संबंधित लागत केंद्रों के पूँजीगत व्यय के विरुद्ध समायोजित किया गया है।
- 5.2 भारत सरकार, भारत सरकार के बीच दिनांक 27.10.2008 के समझौता ज्ञापन के खंड 10.4 के अनुसार। पश्चिमबंगाल (GoWB) और कोलकाता मेट्रोरेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KMRCL), GoWB परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किए गए भी स्थानीय करें, कर्तव्यों और लेवी को KMRCL को या तो छूट दे गया प्रतिपूर्ति करेगा। तदनुसार, GoWB द्वारा प्रतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति योग्य कर (वैट राशि 78.26 करोड़) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों की लागत से कम कर दिया गया है।
- 5.3 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद मार्च 2022 की अवधि तक एसजीएसटी (राज्य माल और सेवा कर) की प्रतिपूर्ति के लिए जीओडब्ल्यूबी को 160.92 करोड़ रुपये का दावा पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष से संबंधित 21.00 करोड़ जमा किये गये हैं। 2022-23 रुपये के कुल दावे में से। 25.84 करोड़. जीओडब्ल्यूबी द्वारा दावे की लंबित प्रसंस्करण के दौरान दावा की गई राशि को निर्माणाधीन परिसंपत्तियों की लागत के विरुद्ध समायोजित किया गया है और गैर-वर्तमान अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में अलग रखा गया है। प्राप्त एसजीएसटी दावे का वर्षवार विवरण इस प्रकार है: FY-2017-18 - रु. 21.00 करोड़, FY 2018-19 - रु. 42.69 करोड़, FY- 2019-20 - रु. 45.96 करोड़ और FY 20-21 - रु. 24.11 करोड़, FY 21-22- रु. 27.14 करोड़, FY 22-23 - रु. 25.84 करोड़, FY 23-24- रु. 27.14 करोड़।
- 5.4 प्रगति में पूँजीगत कार्य में परियोजना के ऊँचे हिस्से के संचालन और रखरखाव के संबंध में किए गए खर्च शामिल हैं, जिसका वाणिज्यिक संचालन फरवरी, 2020 से वाणिज्यिक संचालन के लिए मेट्रो रेलवे, कोलकाता को सौंपा गया है और इसके संबंध में आय मेट्रो रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

(राशि रु.000 में)

6.0 पूर्व परिचालन व्यय (लंबित आवंटन)

व्यय	द्रष्टव्य सं.	31-3-23 को	वर्ष 2023-24 के दौरान संयोजन/ विलोपन	31-3-23 को	वर्ष 2022-23 के दौरान संयोजन/ विलोपन
उधार लागत	6.1	40,12,399.72	3,85,443.80	36,26,955.92	3,70,001.70
कर्मचारी लाभ भुगतान	21.1	8,96,057.30	1,15,797.48	7,80,259.82	1,11,321.67
मूल्यहास एवं परिशोधन		1,37,375.76	4,012.97	1,33,362.79	11,640.92
बैंक धीर		15,463.87	112.84	15,351.02	346.03
विज्ञापन व्यय		47,361.31	-	47,361.31	1,089.77
मुद्रा में उतार-चढ़ाव लागत		-46,58,061.55	-39,07,332.25	-7,50,729.30	-2,32,334.78
कानूनी एवं पेशेवर प्रभार		1,11,305.79	32,838.83	78,466.96	20,963.96
अन्य प्रशासनिक व्यय	21.2	12,35,010.79	4,31,696.69	8,03,314.04	1,55,313.04
पिछले वर्ष के लिए आयकर		2,01,972.27	-	2,01,972.27	-
मेट्रो रेल को प्रतिपूर्ति		50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
		20,48,885.19	-29,37,429.64	49,86,314.83	4,88,342.31
आय					
सावधि जमा पर ब्याज	6.2	24,71,864.70	66,939.61	24,04,925.09	2,94,705.76
अन्य		6,996.14	515.12	6,481.02	1,448.57
टीटीए और केआरजेवी से किराये की उगाही	6.3	5,607.87	2,416.96	3,190.91	180.84
मोबाईल कवरेज से किराया		2,448.99	1,214.27	1,234.72	-157.68
जब्त बयाना राशि		480.00	-	480.00	-
निविदा दस्तावेजों की बिक्री		12,533.98	-	12,533.98	56.90
आयकर वापसी पर ब्याज		18,258.00	-	18,258.00	-
प्रतिभूति जमा पर ब्याज		5,129.62	1,039.46	4,090.15	982.68
घटाएँ: परिचालन के अधिन उत्पन्न आय		25,23,319.29	72,125.42	24,51,193.87	2,97,217.08
शुद्ध पूर्व परिचालन व्यय सीडब्ल्यूआईपी में अंतरित		-4,74,434.10	-30,09,555.06	25,35,120.96	1,91,125.23

- 6.1 समाप्त वर्ष के दौरान उधार लागत में शामिल हैं
- | द्रष्टव्य सं. | मार्च 31, 2024 | मार्च 31, 2023 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ब्याज व्यय जेआईसीए | 3,85,443.80 | 3,70,001.70 |
| कुल | 3,85,443.80 | 3,70,001.70 |
- 6.2 ब्याज आय को समायोजित किया गया है ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एसबीआई स्वीप खाते पर केवल वास्तविक प्राप्त ब्याज और अर्जित ब्याज लिया जा सके। समय से पहले किये गए निवेश पर अर्जित सभी ब्याज को केवल प्राप्त ब्याज को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है।
- 6.3 बिना किसी औपचारिक अनुबंध या अनुबंध के ठेकेदार से वसूल किया गया किराया।
- 6.4 चूंकि, सीएएए केएमआरसीएल की ओर से भुगतान कर रहा है और प्रबंधन के पास विनियम दर में उतार-चढ़ाव में अंतर उपलब्ध नहीं है। जेपीवाई में कुल देय राशि पर दिनांक 31.03.2024 को आरबीआई की समापन दर के अनुसार विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव व्यय 3,90,73,32,247 (वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 23,23,34,779 था) दर्ज किया गया।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

7.0 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(राशि रु.000 में)

गैर वर्तमान अप्रतिरक्षित, आच्छा माना जाता है	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
सुरक्षा जमा	7.1	20,538.60	19,661.22
GOBW से वैट प्राप्य	5.2	4,13,843.69	4,13,843.69
GOBW से प्राप्य SGST	5.3	21,02,280.18	18,67,564.41
अन्य प्राप्य		336.69	281.84
कुल		25,36,999.17	23,01,351.16
वर्तमान			
असुरक्षित, आच्छा माना जाता है			
- सुरक्षा जमा के विरुद्ध प्राप्य ब्याज			
- अन्य अग्रिम			
अन्य अग्रिम/प्रिपेड		630.73	322.70
सावधि जमा (उपार्जित ब्याज सहित)	7.2	22,46,415.67	21,98,428.66
कुल		22,47,046.41	21,98,751.35
कुल ऋण और अग्रिम		47,84,045.57	45,00,102.51

- 7.1 प्रतिभूति जमा से तात्पर्य बिजली जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए दी गई जमाराशि और ऐतिहासिक लागत पर ली गई जमा राशि है। इसमें वैट शाफ्ट उद्देश्य के लिए अतिरिक्त 375 वर्ग मीटर भूमि का उपयोग करने के लिए कोलकाता पत्तन न्यास को दी गई जमा राशि भी शामिल है।
- 7.2 कार्य में देरी के कारण पीबीजी और कार बीमा की प्रतिपूर्ति के लिए एक ठेकेदार (आईटीडी आईटीडी सीईएम जेबी) के खिलाफ मामले में उच्च न्यायालय के पास 5.74 करोड़ की सावधि जमा गिरवी रखा गया है।

8.0 अन्य परिसंपत्तियाँ

गैर-वर्तमान	द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2023
सुरक्षित, आच्छा माना जाता है			
पंजीगत अग्रिम			
ठेकेदार को अग्रिम	8.1	2,81,008.03	3,24,706.29
सरकारी निकायों को अग्रिम उपयोगिता सेवाओं के लिए	8.2	5,78,208.99	1,89,147.82
भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम भूगतान	8.3	3,30,177.77	3,30,177.77
कुल पंजीगत अग्रिम		11,89,394.79	8,44,031.88
पंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			
रापस्व प्राधिकारियों के साथ संतुल			
आयकर	8.4	36,417.29	35,249.78
सेवा क		69.56	69.56
कुल		36,486.85	35,319.34
कुल		12,25,881.64	8,79,351

8.1

ठेकेदार को अग्रिम

लामबंदी अग्रिम

कुल

31 मार्च, 2024

2,52,874.84

2,52,874.84

31 मार्च, 2023

2,96,573.10

2,96,573.10

- 8.1.1 अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिए गए लामबंद अग्रिम ठेकेदारों से प्राप्त वित्तीय बैंक गारंटी के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित है।
- 8.1.2 ठेकेदारों को दिए गए अन्य अग्रिम में 2,81,33,188 भी शामिल है, जो मेसर्स सिम्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (मेसर्स एसआईएल) को भुगतान की गई वैट राशि है, जिसे समझौता ज्ञापन के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी थी, जिसे बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया था। इसलिए, मेसर्स एसआईएल को राशि वापस देने के लिए कहा गया था। तथापि, एक कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ और वर्तमान में मेसर्स एसआईएल के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय के खिलाफ एक अपील माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। उक्त अपील में, मेसर्स एसआईएल से प्राप्य के रूप में यह राशि भी शामिल है। आखिरी सुनवाई 16.03.2022 को हुई थी और मामला अभी तक सुलझा नहीं है।
- 8.2 उपयोगिता सेवाओं के लिए की गई पूंजीगत अग्रिम पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि पैसा पूर्व रेलवे आदि जैसी सरकारी एजेंसियों को भुगतान किया गया है और काम पूरा होने पर अग्रिमों को उचित समय पर समायोजित किया जाएगा।
- 8.3 परियोजना के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि अधिग्रहण के लिए एलएसी, पश्चिम बंगाल को भुगतान किया गया अग्रिम तदर्थ भुगतान है और उन भूमि का अधिग्रहण अभी तक केएमआरसीएल को नहीं सौंपा गया है। कंपनी ने दिनांक के 13.10.2017 के पत्र के माध्यम से ईस्ट-वेस्ट मेट्रो के संरेखण में परिवर्तन के लिए 2923.77 लाख की राशि की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया है, अब भूमि की आवश्यकता नहीं है। मामला निपटान हेतु लंबित है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

8.4 वापसी योग्य आय कर वर्ष वार मूल्यांकन : निर्धारण वर्ष में आय कर वापसी और विवाद पर आय कर भुगतान का विवरण इस प्रकार है :

मूल्यांकन वर्ष	वापसी योग्य आयकर	विवाद पर भुगतान किया गया आयकर	कुल
नि.व. 2013-14	18,640.79	-	18,640.79
नि.व. 2014-15	16,559.57	49.43	16,608.99
कुल	35,200.36	49.43	35,249.78

8.4.1 निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए धारा 250 के तहत सीआईटी (ए) में आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है और इसका धन-वापसी लंबित है।

9.0 नकद और नकद समकक्ष

(राशि रु.000 में)

द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
बैंकों में शेष		
बैंक में शेष चालु खाते में	1,74,290.22	5,72,787.90
कुल	1,74,290.22	5,72,787.90

10.0 अन्य बैंकों शेष

द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अन्य बैंकों में शेष		
सावधि जमा (परिपक्वता 12 महीने से अधिक नहीं)	21,59,230.57	11,02,772.29
उपर्युक्त पर उपार्जित ब्याज	38,514.40	26,573.56
कुल	21,97,744.95	11,29,345.85

10.1 सावधि जमा में दूरसंचार विभाग को बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक के पास गिरवी रखी गई रु.1 लाख की जमा राशि शामिल है।

10.2 सावधि जमा में 8.94 करोड़ का ब्याज शामिल है जो प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि से पहले की अवधि से संबंधित है जिसका नोट नंबर 31 मार्च, 2024 31 मार्च, 2023

11.0 वर्तमान कर परिसंपत्तियां

द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कर संपत्ति		
स्रोत पर कर कटौती	13,254.79	11,870.66
कुल	13,254.79	11,870.66

12.0 इक्विटी शेयर पूंजी

द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
अधिकृत शेयर पूंजी		
इक्विटी शेयर पूंजी	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
3,75,86,20,000 (37,58,62,000)		
इक्विटी शेयर रु.10 /- प्रत्येक		
निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता		
3,75,86,20,000 (37,58,62,000)		
इक्विटी शेयर रु.10 /- प्रत्येक	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00
	3,75,86,200.00	3,75,86,200.00

वित्तीय विवरणों पर दृष्टव्य (जारी)

12.1 इक्विटी शेयर से जुड़े नियम / अधिकार

कंपनी के पास सिर्फ एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिसका अंकित मूल्य रु. 10 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक संबंधित शेयरधारकों द्वारा रखे गये इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की किसी भी शेष परिसंपत्ति को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

12.2 प्रतिवेदन वर्ष के प्रारम्भ एवं अंत में शेयरों की संख्या एवं बकाया राशि का सामंजस्य

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्रतिवेदन अवधि के प्रारम्भ में शेष अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन - इक्विटी शेयरों का नया आवंटन -- नकद के लिए -- नकद के अलावा अन्य विचारार्थ	3,75,86,20,000.00	3,75,86,200.00	3,75,86,20,000.00	3,75,86,200.00
प्रतिवेदन अवधि की समाप्ति पर शेष	3,75,86,20,000.00	3,75,86,200.00	3,75,86,20,000.00	3,75,86,200.00

12.3 पांच प्रतिशत (5%) इक्विटी शेयरों से अधिक के शेयर धारकों का विवरण

शेयरधारकों का नाम	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	शेयरों की सं.	% धारण	शेयरों की सं.	% धारण
रेल मंत्रालय के जरिए भारत के राष्ट्रपति	2,78,13,79,200	74.00%	2,78,13,79,200	74.00%
आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	97,72,40,000	26.00%	97,72,40,000	26.00%

12.4 प्रमोटरों का होल्डिंग का विवरण

प्रमोटर का नाम	वर्ष की शुरुआत में		वर्ष की अंत में		% वर्ष के दौरान परिवर्तन
	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय)	2,78,13,79,200	74.00%	2,78,13,79,200	74.00%	0.00%
भारत के राष्ट्रपति (आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय)	97,72,40,000	26.00%	97,72,40,000	26.00%	0.00%
भारत के राष्ट्रपति के मनोनीत	800	0.00%	800	0.00%	0.00%

12.5 5 साल की अवधि के लिए, तुलन पत्र प्रतिवेदन तिथि से ठिक पहले

(क) नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी	शून्य
(ख) बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित कुल संख्या और शेयरों की श्रेणी	शून्य
(ग) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी	शून्य

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

(राशि रु.000 में)

13.0 अन्य इक्विटी

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	13.2	-	-
अंतिम शेष (कुल-क)		-	-
ख) आरक्षित एवं अधिशेष			
अधिशेष :			
प्रारंभिक शेष		8,042.78	558.78
जोड़े : वर्ष के दौरान		-125.29	7,483.98
घटाये : सीडब्ल्यूआईपी ★ को अंतरित	13.1		-
अंतिम शेष (कुल-ख)		7,917.47	8,042.76
ग) अन्य व्यापक आय			
प्रारंभिक शेष		-755.38	-543.45
आयकर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से		24.37	-211.93
अंतिम शेष (कुल - ग)		-731.01	-755.38
वर्ष की समाप्ति पर शेष (क + ख + ग)		7,186.46	7,287.38

13.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने वर्ष 20-21 के लिए रु 217,82,05,388/-, वर्ष 19-20 के लिए रु 236,92,20,200/- और पिछले वर्षों के लिए रु. -19,10,14,813/- को चालू-पूँजीगत-कार्य(सीडब्ल्यूआईपी) में स्थानांतरित कर दिया है जो पहले लाभ और हानि खाते में दर्ज किए गए थे। प्रबंधन की राय के अनुसार, चूंकि केएमआरसीएल एक एसपीवी है, इसलिए किए गए सभी खर्च सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित हैं, इसलिए पहले राजस्व के रूप में दर्ज आय/व्यय अब सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित किये गए हैं।

13.2 शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन

शेयर आवेदन राशि में कोई भी शेयर प्रीमियम शामिल नहीं है।

13.3 शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन में परिवर्तन का मिलाप

(राशि रु.000 में)

विवरण	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2024 राशि रुपये में	31 मार्च, 2023 राशि रुपये में
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन			
प्रतिवेदन अवधि के प्रारम्भ में शेष		-	-
जोड़े : प्राप्त नयी शेयर आवेदन राशि		-	-
घटाये : वर्ष के दौरान आवंटित शेयर		-	-
प्रतिवेदन अवधि के अंत में शेष		-	-

14.0 उधार

(राशि रु.000 में)

	द्रष्टव्य सं.	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
गैर-वर्तमान			
अप्रतिभूति			
वरिष्ठ सावधि ऋण (जेआईसीए)	14.1 से 14.9	3,13,97,875.28	3,52,13,913.95
भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण	14.10 से 14.11	1,94,97,202.38	1,33,16,374.10
		5,08,95,077.66	4,85,30,288.05

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

- 14.1 जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जाइका) ने भारत में अवसंरचनात्मक विकास के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के साथ एक समझौता किया है। ऐसा ही एक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना का निर्माण था, ताकि बड़े पैमाने पर गति वाले परिवहन प्रणाली का विस्तार करके कोलकाता मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और इस प्रकार ट्रैफिक जाम की समस्या एवं बढ़ती मोटर वाहनों की वजह से हो रहे प्रदूषण को कम करके क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा तथा शहरी विकास एवं शहरी पर्यावरण में सुधार लाया जा सके।

जाइका ऋण संप्रभु गारंटी ऋण है और आवश्यक ऋण समझौते द्वारा समर्थित है जो ऋण के नियमों और शर्तों का विवरण देता है। जाइका ऋण एक दीर्घावधि वित्तीय दायित्व है और इसे इंड AS-32 के अनुसार वित्तीय विवरण में परिशोधित लागत पर लिया जाता है।

- 14.2 जाइका ने चार ट्रांचरों में ऋण स्वीकृत किए हैं जिनका विवरण यहां दिया गया है

विवरण	समझौते की तारीख	स्वीकृत राशि (राशि लाख येन में)	ऋण का उद्देश्य	ब्याज की दर	अप्रयुक्त राशि पर देय प्रतिबद्धता प्रभार
ऋण खाता 192 ऋण खाता 192ए	10-03-2008	64,370.00	निर्माण कार्य व्यय तकनीकी परामर्श आकस्मिक ऋण	1.20% 0.01%	0.01%
		64,370.00			
ऋण खाता 207 ऋण खाता 207ए	31-03-2010	2,34,020.00	निर्माण कार्य व्यय तकनीकी परामर्श	1.40% 0.01%	0.01%
		2,34,020.00			
ऋण खाता 263 ऋण खाता 263ए	28-09-2018	2,59,030.00	निर्माण कार्य व्यय तकनीकी परामर्श	1.20% 0.01%	0.01%
		2,59,030.00			
ऋण खाता 295 ऋण खाता 295ए	25-03-2021	90,910.00	निर्माण कार्य व्यय तकनीकी परामर्श	1.15% 0.01%	0.01%
		90,910.00			
		6,48,330.00			

14.3 जेआईसीए की परिपक्वता प्रोफाइल इस प्रकार है

(राशि रु.000 में)

विवरण	2023-24	2024-25	2024-25 के बाद
जेआईसीए ऋण			
- ऋण खाता 192	3,11,688.00	3,11,688.00	40,51,944.00
- ऋण खाता 207	11,09,726.00	11,09,726.00	1,66,45,890.00
कुल	14,21,414.00	14,21,414.00	2,06,97,834.00

- 14.4 ये ऋण समझौते की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए है। मूलधन का पुनर्भुगतान समझौते की अवधि के बाद शुरू होगा एवं छमाही किस्त में 20 साल की अवधि में पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऋण सं. 192 के मूलधन का पुनर्भुगतान मार्च, 2018 से शुरू हुआ है एवं ऋण सं. 207 की शुरुआत मार्च, 2021 से होगी। ऋण सं. का पुनर्भुगतान 263 एवं ऋण नं. 295 क्रमशः सितंबर 2028 और मार्च 2031 से शुरू होगा।
- 14.5 भारत सरकार के कंट्रोलर ऑफ एंड एकाउंट्स एंड ऑडिट(सीएए) द्वारा ब्याज, मूलधन की किस्तों तथा अन्य बकायों की सेवा प्रदान की जा रही है। अबतक कंपनी ने ब्याज को अपनी लेखा-बहियों में प्रदान किया है, लेकिन कंपनी के बैंक खातों से कोई बहिर्वाह नहीं किया गया है, क्योंकि सीएए द्वारा इसकी सेवा प्रदान की जाती है। उपर्युक्त की रोशन में, कंपनी ने लेखा-बहियों में बकाया राशि पर 2% की सीमा तक अतिदेय शुल्क हेतु कुछ भी प्रदान नहीं किया है, जैसा कि ऋण समझौते में निर्धारित किया गया है। सीएए ने तुलन पत्र की तारीख के अनुसार इस खाते पर कोई भी मांग नहीं की है।
- 14.6 ऋण आईडी -207 के तहत संवितरण को मई 2018 के बाद रोक दिया गया है। कंपनी का विचार है कि चूंकि ऋण का संवितरण मई, 2018 के बाद नहीं किया गया है, इसलिए ऋण के तहत प्रतिबद्धता शुल्क के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- 14.7 बकाया जेआईसीए ऋण को वर्तमान और गैर-वर्तमान में बाँट दिया गया है। वर्तमान जेआईसीए ऋण को संबंधित ऋण समझौता की परिशोधन अनुसूची के अनुसार तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर बकाया पड़ी किस्तों के आधार पर तैयार किया गया है।
- 14.8 जाइका ऋणों पविदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव-सीएए द्वारा पुष्टि की गई दर पर तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय मुद्रा में पुनर्विक्रय किया गया है। 31 मार्च, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भित दर पर आधारित रूपांतरण दर 0.5509 है। इंड AS-32 के अनुसार विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव को लाभ-हानि में प्रभावित किया गया है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

विवरण	31.3.24 को ऋण (येन) अनुवादित नहीं	31.3.24 को ऋण (आईएनआर) अनुवादित नहीं	उधार पर विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव व्यय	31.3.24 को ऋण (आईएनआर) अनुवादित
ऋण खाता 192	43,63,632.00	24,03,924.87	3,10,998.39	27,14,923.26
ऋण खाता 207	1,77,55,616.00	97,81,586.85	12,56,252.53	1,10,37,821.38
ऋण खाता 263	2,58,26,535.42	1,42,27,838.36	17,32,960.53	1,59,60,798.89
ऋण खाता 295	90,48,000.00	49,84,543.20	6,07,120.80	55,91,664.00
	5,69,93,783.42	3,13,97,875.28	39,07,332.25	3,53,05,207.53

14.9 जेआईसीए ऋण का विवरण

विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	अंतिम शेष (आईएनआर)
मूलधन	3,61,00,592.00		7,95,384.47	39,07,332.25	3,13,97,875.28
ब्याज प्रोद्भूत एवं बकाया		3,85,443.70	3,85,443.70		
प्रतिबद्धता शुल्क बकाया	51,687.94				51,687.94
	3,61,52,279.94	3,85,443.70	11,80,828.17	39,07,332.25	3,14,49,563.21

14.10 अधीनस्थ ऋण

रेल मंत्रालय (एमओआर) तथा आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) वर्तमान संयुक्त प्रमोटर होने के नाते और पश्चिम बंगाल सरकार (परियोजना के पूर्ववर्ती संयुक्त प्रमोटर) ने परियोजना के लिए केंद्रीय कर, ड्यूटी एवं अन्य संबंधित पूंजीगत व्यय अग्रिम के लिए कंपनी को ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण प्रदान किया है। इन ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची तथा अन्य नियमों एवं शर्तों को अभी तक तैयार एवं तय नहीं किया गया है। परियोजना के लिए संपूर्ण बड़े सावधि ऋण अर्थात जेआईसीए से प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान के पश्चात शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त ऋण वर्ष 2021 से 2025 के दौरान पुनर्भुगतान योग्य है।

14.11 उधार लेने की शक्ति

		मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2023
अधीनस्थ ऋण – आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के जरिए भारत सरकार	14.7	17,10,700.00	17,10,700.00
अधीनस्थ ऋण – रेल मंत्रालय के जरिए भारत सरकार		78,68,900.00	48,68,900.00
बड़ा सावधि ऋण (जेआईसीए) / पीटीए		70,81,607.24	59,00,778.97
वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज के साथ जेआईसीए ऋण का पुनर्भुगतान		2,56,25,082.38	2,36,25,082.38
पास शुरु असिस्टेंस – रेल मंत्रालय			
घटाएँ :			
जेआईसीए के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त		-2,27,89,087.24	-2,27,89,087.24
		1,94,97,202.38	1,33,16,374.10

14.12 गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं
 प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण राशि

 द्रष्टव्य सं.
 17.1

 मार्च 31, 2024
 2,55,000.61
2,55,000.61

 मार्च 31, 2023
 3,28,721.78
3,28,721.78
15.0 प्रावधान

 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान
 ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान
 अवकाश वेतन के लिए प्रावधान

द्रष्टव्य सं.

 मार्च 31, 2024
 3,333.20
 3,598.91
6,932.11

 मार्च 31, 2023
 3,419.40
 3,799.96
7,219.36

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

15.1 कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अपने पात्र कर्मचारियों के भावी ग्रेच्युटी लाभ और अवकाश वेतन लाभ की देनदारी का हिसाब रखती है।

परिभाषित लाभ योजना

(i) परिभाषित लाभ दायित्व के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान

विवरण	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	34,19,401.00	26,83,749.00
वर्तमान सेवा लागत	2,84,261.00	3,08,253.00
ब्याज लागत	2,18,651.00	1,93,966.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	-24,372.00	2,11,934.00
लाभ भुगतान	-5,64,742.00	-
पिछले वित्तीय वर्ष★ के लिए समायोजन		21,499.00
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	33,33,199.00	34,19,401.00

(ii) वर्ष के दौरान पहचान की गई व्यय

विवरण	ग्रेच्युटी (अवित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
आय विवरण में		
वर्तमान सेवा लागत	2,84,261.00	3,08,253.00
ब्याज लागत	2,18,651.00	1,93,966.00
कुल लागत	5,02,219.00	5,02,219.00
अन्य व्यापक आय में		
बीमांकिक (लाभ)/हानि	24,372.00	2,11,934.00
ओसीआई में मान्यता प्राप्त वर्ष के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	-24,372.00	2,11,934.00

(iii) परिभाषित लाभ दायित्व के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान

विवरण	अवकाश वेतन (अवित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	37,99,958.00	32,03,090.00
वर्तमान सेवा लागत	3,99,668.00	2,65,222.00
ब्याज लागत	2,22,062.00	1,99,554.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	4,05,195.00	5,51,995.00
लाभ भुगतान	12,27,971.00	
पिछले वित्तीय वर्ष★ के लिए समायोजन	-24,55,942.00	-4,19,903.00
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	35,98,912.00	37,99,958.00

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

16.0 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2023
पूँजीगत वस्तुओं के लिए व्यापार देय			
- सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम का बकाया		2,76,357.53	3,43,670.05
- सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के अलावा अन्य लेनदारों का बकाया		2,76,375.53	3,43,670.05

31.03.24 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को देय राशि पर कोई ब्याज या बकाया नहीं है
31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्षों के लिए व्यापार देय पुरानी निर्धारण अनुसूची इस प्रकार है :

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई का बकाया						
अन्य		2,61,443.01	9,899.78	3,911.52	1,103.22	2,76,357.53
कुल		2,61,443.01	9,899.78	3,911.52	1,103.22	2,76,357.53

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई का बकाया						
अन्य		3,33,132.71	3,911.52	1,103.22	5,522.60	3,43,670.05
कुल		3,33,132.71	3,911.52	1,103.22	5,522.60	3,43,670.05

17.0 वित्तीय देयताएं वर्तमान	द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2023
उधारी			
असुरक्षित			
जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से ऋण	14.1 to 14.9	7,83,056.97	8,86,678.05
भारत सरकार के माध्यम से (जेआईसीए)	17.1	2,89,502.68	2,79,960.87
प्रतिभूति जमा एवं प्रतिधारण राशि		10,72,559.66	11,66,638.92

17.1 कंपनी द्वारा रोक दी गई प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि को दोष दायित्व अवधि पूरी होने पर जारी कर दी जाती है। रोक दी गई ऐसी प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा को वर्तमान एवं गैर-वर्तमान में वर्गीकरण तुलन पत्र की तारीख से एक (1) वर्ष के भीतर या उसके बाद इस तरह की दोष देयता अवधि के पूरा होने की समाप्ति के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है।

18.0 अन्य वित्तीय देयताएं अन्य देयताएं	द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2023
कर्मचारी लाभ देय		73.55	6,616.14
व्यय के लिए देयताएं		2,095.25	153.97
सांविधिक बकाया		29,342.19	39,677.66
जमा बयाना राशि		7,008.82	7,454.72
जेआईसीए ऋण पर प्रतिबद्धता शुल्क	14.5	51,687.94	51,687.94
		90,208.74	1,05,590.42

19.0 अन्य आय	द्रष्टव्य सं.	मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2023
आयकर वापसी पर ब्याज		433.72	8,074.70
कुल		433.72	8,074.70

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

20.0 अन्य व्यय

निदेशक बैठने की फीस
लेखा परीक्षकों को भुगतान
सांविधिक लेखा परीक्षा
आंतरिक लेखा परीक्षा
कर लेखा परीक्षा
कुल

द्रष्टव्य सं.

मार्च 31, 2024

मार्च 31, 2023

		41.30
217.01		237.42
330.00		300.00
12.00		12.00
559.01		590.72

22. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक सूचना। अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख का विवरण कंपनी के नाम पर नहीं है।

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन वस्तु	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व विलेख पर नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक के रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक के कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	पट्टा भूमि	1,97,396.52	कोलकाता न्यास पत्तन	नहीं	वित्तीय वर्ष 2012-13 से आभी तक	कंपनी ने भूमि को 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर लिया है। कंपनी इसे अपने नाम पर पंजीकृत करने की प्रक्रिया में है।
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	75,480.57	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 2008-09 से आभी तक	1488 वर्ग मीटर भूमि का म्यूटेशन प्रक्रियाधीन है एवं 1733 वर्ग मीटर भूमि का म्यूटेशन लंबित है क्योंकि मामला विचाराधीन है और मामला वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी संख्या (सिविल) 36172/2013 के अंतर्गत लंबित है।
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	भवन	46,741.73	हुगली रिवर ब्रिज कमीशनर	नहीं	वित्तीय वर्ष 2008-09 से रु. 24,250.83 वित्तीय वर्ष 2013-14 से रु. 22,490.90	भवन का स्वामित्व केएमआरसीएल को हस्तांतरित नहीं किया गया था क्योंकि भवन उस समय बनाया गया था जब राज्य सरकार इस परियोजना में एक हिस्सेदार थी। परियोजना पूरी होने के कगार पर है और संपत्ति को मेट्रो रेलवे को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि मेट्रो रेलवे, भवन के स्वामित्व, टाईटल आदि के लिए आगे पहल करेगी।

ख) कंपनी के पास चालू वर्ष और पिछले वर्ष के अंत में कोई निवेश संपत्ति नहीं है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

ग) कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

- घ) कंपनी ने प्रमोटरो, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, जो मांग पर या वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाने योग्य है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- ड) चालू-पूँजीगत-कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) पुरानी अनुसूची/पूर्णता अनुसूची
- क. चालू-पूँजीगत-कार्य के लिए, पुरानी अनुसूची 31.03.2023 तक नीचे दी गई है:

सीडब्ल्यूआईपी	एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
परियोजना प्रगति पर है	28,896.21	6,29,587.38	77,15,177.03	7,22,14,187.17	8,05,87,847.79
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित					

- ख. पूँजी-कार्य-प्रगति के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है, 31.03.2022 तक पूरा करने की अनुसूची नीचे दी गई है :

सीडब्ल्यूआईपी	एक अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
परियोजना प्रगति पर है	39,06,444.33	56,11,848.77	1,18,43,262.83	5,91,97,395.65	8,05,58,951.58
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित					

- च) कंपनी के पास चालू वर्ष और पिछले वर्ष के अंत में विकास के अंतर्गत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, इस के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- छ) चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान बेनामी संपत्ति लेन्डेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खोलाफ़ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- ज) कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- झ) कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबुझ कर डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- ञ) कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- ट) बैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि लंबित नहीं है। तदनुसार, इस पैरा के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- ठ) चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के अंतर्गत कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित परतों की संख्या का अनुपालन लागू नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

ड) विश्लेषणात्मक अनुपात:

अनुपात	गिनने वाला	भाजक	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि	% परिवर्तन	25% से अधिक होने पर परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देयताएं	3.98	3.08	29.54 %	मुख्य रूप से वर्ष के अंत में वैधानिक देनदारियों में वृद्धि और रोके गए धन के कारण
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	1.33	1.29	3.26%	-
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं		-
इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारकों की औसत इक्विटी	0.00	0.00	0.00%	-
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत (सीओजीएस)	औसत इन्वेंटरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री	औसत खाते प्राप्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
व्यापार देय कारोबार अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	शुद्ध बिक्री	कार्यशील पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
शुद्ध लाभ अनुपात (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नियोजित पूंजी पर वापसी (%)	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	0.00%	0.00%	0.00%	-
निवेश पर वापसी (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारकों की निधि	0.00%	0.00%	0.00%	-

ढ) चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यवस्था की योजना को मंजूरी नहीं दी गई है। लदनुसार, इस अनुच्छेद के तहत अपेक्षित फर्कटीकरण लागू नहीं होता है।

ण) (अ) कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं) को अग्रिम या ऋण या निवेशित धन (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड) का निवेश नहीं किया है और पिछले वर्ष इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि मध्यस्थ:

- कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या
- अंतिम लाभार्थी को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

- (आ) कंपनी को चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी :
- कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करे या
 - अंतिम लाभार्थी को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।
- प) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान खातों की पुस्तकों में सरेंडर या आय के रूप में प्रकट किए गए खालों में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है।
- फ) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रबंधनों के अनुसार सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) के तहत किसी भी खर्च के लिए प्रबंधन नहीं किया है। तदनुसार, सीएसआर गतिविधियों के संबंध में प्रकटीकरण लागू नहीं है।
- ब) कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान क्रोप्टो मुद्रा या भरचुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है और इसलिए, मांगे गए प्रकटीकरण लागू नहीं है।

23. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, वित्तीय विवरण और खातों के द्रष्टव्य में सभी राशियाँ हजारों में हैं।

24. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

वर्तमान कर कानून के तहत कटौती योग्य अस्थायी अंतर समाप्त नहीं होते हैं। इन मदों के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभावित नहीं माना जाता है कि निकट भविष्य में भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उन्हें प्राप्त किया जा सके।

25. भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित कानूनी मामले

कंपनी के खिलाफ 54 न्यायालयीन मामले हैं जो 31-03-2024 तक लंबित हैं। विवरण निम्नानुसार हैं: (सभी मामले सिविल प्रकृति के हैं)

मामलों की संख्या	विवरण	फोरम
1	भूमि अधिग्रहण	माननीय सर्वोच्च न्यायालय
13	भूमि अधिग्रहण	माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय
1	भूमि अधिग्रहण	हावड़ा जिला न्यायालय
1	पर्यावरण	नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, कोलकाता
1	सुरंग	माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय
28	विविध	माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय
9	अनुबंध संबंधी	माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय

26. पश्चिम बंगाल सरकार (GoWB) ने 9 फरवरी 2015 को एक पत्र जारी कर डिपो की स्थापना के लिए सेंट्रल पार्क, साल्ट लेक में केएमआरसीएल को दी गई 38.5 एकड़ जमीन के लिए अनुमति प्राप्त कब्जे के लिए शुल्क के रूप में 3368.79 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है। भारत सरकार, GoWB और KMRCL के बीच 27 अक्टूबर 2008 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के पैरा 12.1 के अनुसार कंपनी द्वारा उक्त शुल्क देय नहीं है और इसलिए इनका हिसाब पुस्तकों में नहीं किया गया है।
27. पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने पत्र दिनांक 13.02.2015 के तहत कोलकाता शहर में स्टेशनों और मेट्रो रेल मार्गों के भूमि उपयोग के लिए वे लीव शुल्क के लिए 889.69 करोड़ रुपये की राशि की मांग की थी। इस मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया गया है हालाँकि, विवेक के आधार पर, कंपनी ने नोट संख्या 33(जी) के अनुसार इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया है।
28. 31 मार्च 2024 तक किसी भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को कोई बकाया देय नहीं है और न ही कंपनी अधिनियम, 2013 और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत किसी अन्य विशेष डेटा का खुलासा करने की आवश्यकता है। एक उद्यम का सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के रूप में निर्धारण कंपनी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को इस संबंध में भेजी गई सूचना के जवाब में प्राप्त पुष्टि पर आधारित है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

29. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न कर्मचारी लाभों का विवरण इस प्रकार है:

परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करती है, जिन्होंने त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति के समय कंपनी में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के मूल वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। यह योजना आम तौर पर कंपनी को बीमांकिक जोखिमों जैसे: निवेश जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के लिए उजागर करती है।

समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि का पुनर्मापन उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे अन्य व्यापक आय में होते हैं।

योजना परिसंपत्तियों का सबसे हालिया बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य 31 मार्च, 2024 को डॉ. आर. कन्नन, बी. चटर्जी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार द्वारा किया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत को प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके मापा गया था। कंपनी कोई निधि नहीं रखती है, इसलिए ऐसी योगदान योजना के संबंध में योगदान की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग्रेच्युटी

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणा इस प्रकार थी:

जीवनांकिक मूल्यांकनों के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रमुख धारणा इस प्रकार थी :

प्रमुख धारणाएँ	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
छूट दर	6.97%	7.17%
भविष्य में वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
औसत अपेक्षित भावी सेवा (शेष कार्य जीवन)	12 वर्ष	10 वर्ष
मृत्यु दर तालिका	IALM 2012-2015	IALM 2012-2014
आयु में सेवानिवृत्ति- पुरुष	60 वर्ष	60 वर्ष
आयु में सेवानिवृत्ति- महिला	60 वर्ष	60 वर्ष
समय से पहले सेवानिवृत्ति और विकलांगता (सभी कारण संयुक्त)	0.100%	0.100%
आयु 45 से ऊपर	0.06%	0.06%
आयु 29-45 के बीच	0.03%	0.03%
आयु 29 से कम	0.01%	0.01%
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	अनदेखा	अनदेखा

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

छुट्टी योजना एक अंतिम वेतन परिभाषित लाभ योजना है जो सेवानिवृत्ति, मृत्यु, विकलांगता या स्वैच्छिक निकासी के माध्यम से बाहर निकलने पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। लाभ अंतिम वेतन (बेसिक और डीए को ध्यान में रखते हुए) और संचित अवकाश शेष के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं और बाहर निकलने के समय भुगतान किए जाते हैं। योजना डिजाइन का अर्थ है कि आम तौर पर देनदारियों और वित्तीय परिणामों को प्रभावित करने वाले जोखिम इस प्रकार होने की उम्मीद है:

यह योजना आम तौर पर कंपनी को बीमांकिक जोखिमों जैसे: निवेश जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के लिए उजागर करती है।

बी. चटर्जी इंटरनेशनल कंसल्टेंट डॉ. आर. कन्नन द्वारा 31 मार्च, 2024 को योजना परिसंपत्तियों और परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का सबसे हालिया बीमांकिक मूल्यांकन किया गया।

छुट्टी वेतन

एक्चुरियल मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य धारणा इस प्रकार थी:

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

प्रमुख धारणाएँ	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
छूट दर	6.97%	7.17%
भविष्य में वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
औसत अपेक्षित भावी सेवा (शेष कार्य जीवन)	12 वर्ष	10 वर्ष
मृत्यु दर तालिका	IALM 2012-2015	IALM 2012-2014
आयु में सेवानिवृत्ति- पुरुष	60 वर्ष	60 वर्ष
आयु में सेवानिवृत्ति- महिला	60 वर्ष	60 वर्ष
परिहार दर	0.100%	0.100%
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	अनदेखा	अनदेखा

30. भौतिक पूर्व अवधि ऋणियाँ

भौतिक पूर्व अवधि ऋणियाँ प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनः बताकर पूर्वव्यापी रूप से ठीक की जाती हैं, जिसमें ऋणित हुई थी। यदि ऋणित प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई सबसे प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष को पुनः बता दिया जाता है, जब तक कि यह अव्यवहारिक न हो, ऐसी स्थिति में, तुलनात्मक जानकारी को नई लेखांकन नीति को व्यावहारिक रूप से सबसे प्रारंभिक तिथि से लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

31. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आय	मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय (रु.)	0.00	0.00
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ (INR)	(100.92)	7272.04
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	3,75,86,20,000	3,75,86,20,000
प्रारंभिक शेयर पूंजी – संख्या	3,75,86,20,000	3,75,86,20,000
समापन शेयर पूंजी – संख्या	3,75,86,20,000	3,75,86,20,000

32. पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने 06.11.2012 को एक पत्र जारी किया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 48 करोड़ रुपये की राशि का वित्तपोषण किया है। कंपनी ने केएमआरसीएल को दिए जाने वाले 48 करोड़ रुपये के विवरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मामला उठाया है, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड में ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मामले का समाधान और समाधान अभी भी लंबित है।

33. इंड एस 24 के तहत संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

(a) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का नाम	रिश्ते की प्रकृति
श्री पी.यू.के. रेड्डी	अध्यक्ष
श्री वी.के. श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक
श्री अंगशुमन सरकार (01.02.2024 तक)	निदेशक (वित्त) और निदेशक (आरएस एंड टी)
श्रीमती अंबिका जैन (02.02.2024 से)	निदेशक (वित्त)
सैयद मोहम्मद जमील अहसन	निदेशक (पी एंड पी)
श्री धनंजय सिंह	निदेशक
श्री नागसेन मोरेश्वर ढोके	निदेशक
डॉ सौमित्र मोहन	निदेशक
श्री असीम कुमार मजूमदार	निदेशक(आरएस एंड टी)
श्री जयदीप	निदेशक
श्रीमती मोहुआ दत्त गुप्ता	कंपनी सचिव
श्री समिक भट्टाचार्य	सीएफओ

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

(बी) वर्ष/अवधि के दौरान प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देन

विवरण	एमडी/निदेशक (राशि '000 में)	केएमपी (राशि '000 में)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	5,505.00	5,063.87
अनुलाभ का मूल्य	-	-
वेतन के बदले लाभ	-	-
स्वतंत्र निदेशकों को बैठने का शुल्क *	-	-
कुल	5,505.00	5,063.87

★ 2023-24 के लिए निदेशक की बैठक फीस का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

(ग) ऊपर बताए गए संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के अलावा, कंपनी के रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भी लेन-देन हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

नियंत्रण की प्रकृति: पर्याप्त हित रखने वाले शेयरधारक

वर्ष के दौरान लेनदेन:

संबंधित पार्टी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	राशि ('000 रुपये में)
रेल मंत्रालय	पास-थरू सहायता	30,00,000.00
	जेआईसीए ऋण के खिलाफ प्राप्य	14,70,026.53

34. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्राओं में लेनदेन करती है: जैसे ठेकेदारों को अग्रिम, निर्माण व्यय, परिणामस्वरूप, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के जोखिम उत्पन्न होते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किए गए लेनदेन की कुल राशि इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ठेकेदारों को अग्रिम		
- यूरो	शून्य	शून्य
- यूएसडी	शून्य	शून्य
- येन	शून्य	शून्य
- एयूडी	शून्य	शून्य
निर्माण व्यय		
- यूरो	14,87,382.72	6,86,055.70
- जेपीवाई	शून्य	3,05,724.51
- यूएसडी	2,45,086.56	2,42,453.40
- एयूडी	80,548.30	11,618.26

35. उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल किया जाता है जो बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त होगी और देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान की जाएगी। उचित मूल्य मापन इस धारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने का लेनदेन या तो होता है:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में या
- परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

कंपनी के लिए मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार सहभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार सहभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं।

प्रबंधन उचित मूल्य और उसके वित्तीय साधनों का अनुमान लगाने में अपने सर्वोत्तम निर्णय का उपयोग करता है। हालाँकि, किसी भी अनुमान तकनीक में अंतर्निहित सीमाएँ होती हैं। इसलिए, लगभग सभी वित्तीय साधनों के लिए, प्रस्तुत उचित मूल्य अनुमान आवश्यक रूप से उन सभी राशियों का संकेत नहीं देते हैं जो कंपनी संबंधित तिथियों के अनुसार बिक्री लेनदेन में प्राप्त या भुगतान कर सकती थी। इस प्रकार, संबंधित रिपोर्टिंग तिथियों के बाद वित्तीय साधनों का उचित मूल्य प्रत्येक वर्ष/अवधि के अंत में रिपोर्ट की गई राशियों से भिन्न हो सकता है।

36. 31 मार्च 2024 तक विवादित सेवा कर और आयकर बकाया का विवरण, जो जमा नहीं किया गया है या विरोध के तहत जमा किया गया है, निम्नानुसार है:

कानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि ('000 रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1,854.94	वित्त वर्ष 2009-10 से 2012-13	अपील प्राधिकरण आयुक्त अपील (11), केंद्रीय उत्पाद शुल्क
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	14.50	वित्त वर्ष 2022-23	ट्रेस के अनुसार कुल चूक
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	7.32	वित्त वर्ष 2021-22	ट्रेस के अनुसार कुल चूक

37. कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग गतिविधि नहीं है।
38. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमानित घाटा था।
39. आकस्मिक देयताएँ और पूंजी प्रतिबद्धताएँ (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है):

विवरण	31 मार्च, 2024 तक (000 में)	31 मार्च, 2023 तक (000 में)
(ए) निम्नलिखित के संबंध में: - वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक अपील के अधीन सेवा कर मामले	1,854.94 INR	1,854.94 रुपये
(बी) कंपनी के खिलाफ दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	1,27,55,353.23 INR	1,27,55,353.23 रुपये
(सी) हुगली नदी पुल आयुक्त द्वारा विभिन्न खर्चों के लिए दावा	13,301.36 INR	13,301.36 रुपये
(डी) अधूरे पूंजी अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिमों का शुद्ध)	2,81,008.03 INR	3,24,706.29 रुपये
(ई) ऋण पत्र के विरुद्ध बकाया राशि	1,316.60 यूरो	1,316.60 यूरो
(एफ) 38.5 एकड़ भूमि के लिए अनुमेय कब्जा शुल्क (नोट .26 देखें)	3,36,87,942.75 INR	3,36,87,942.75 रुपये
(जी) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगे गए वे लीव शुल्क (द्रष्टव्य - 27 देखें)	88,96,900.00 रुपए	88,96,900.00 रुपये
(एच) वेंट शाफ्ट के लिए कोलकाता पत्तन न्यास से अतिरिक्त भूमि	88,83,466.54 रुपए	88,83,466.54 रुपये

- 2009-10 से 2012-13 तक सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील-ए) के समक्ष सेवा कर अपीलें लंबित हैं। अंतिम सुनवाई 13.10.2017 को हुई थी और उसके बाद अपील में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए इसे खातों में मान्यता नहीं दी गई है।
- बिंदु संख्या (बी) में कंपनी के खिलाफ सुलह और मध्यस्थता पुरस्कार से संबंधित दावों की संख्या शामिल है, जिन्हें अभी तक न्यायालय में निपटाया जाना है, इसलिए उन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्शाया गया है।
- एचआरबीसी द्वारा किए गए दावों का समर्थन किसी भी सत्यापित दस्तावेज द्वारा नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों पर द्रष्टव्य (जारी)

- यह राशि अगले दो वित्तीय वर्षों के दौरान खर्च की जाने वाली बजटीय पूंजी लागत से संबंधित है। अनुमान परियोजना से संबंधित भौतिक और वित्तीय प्रगति के आधार पर लगाया गया है। जब भी देनदारी जुटाई जाती है और उसका भुगतान किया जाता है, तो व्यय बुक किया जाता है। इसलिए, इस राशि को असंपादित पूंजी अनुबंधों की अनुमानित राशि के रूप में दिखाया गया है।
- 40. विविध लेनदारों के डेबिट/क्रेडिट शेष की पुष्टि और समाधान किया जाना आवश्यक है।
- 41. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। बैलेंस शीट के अभिन्न अंग के रूप में नोट 1 से 41 को विधिवत प्रमाणित किया गया है।

संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार**कृते राज कुमार कोठारी एंड कं.**

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 320166ई

सीए आर.के. कोठारी

भागीदार

सदस्यता सं. 055208

यूडीआईएन 24055208BKGSAS6842

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29.07.2024

निदेशक मण्डल के लिए व उनकी ओर से

वी. के. श्रीवास्तवा

प्रबंध निदेशक

डीआईएन 10207179

अम्बिका जैन

निदेशक (वित्त)

डीआईएन 07271472

समीक भट्टाचार्य

मुख्य वित्तीय अधिकारी

पैन AMWPB7941H

महुआ दत्ता गुप्ता

कंपनी सचिव

पैन AIEPG3324K





KMRC

Kolkata Metro Rail Corporation Limited

(A Government of India undertaking)

KMRCL Bhavan, HRBC Office Compound, Munshi Premchand Sarani, Kolkata - 700 021